

द्वाक व्यय की पूर्य घावा गो के
द्विना द्वाक द्वारा भेज जाने के
लिये अनुमति। अनुमति-पत्र
क्र. नं. पी. 19.

पंजी क्रमांक एम. पी. 533



9/10
9/10

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

45

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 1977—कार्तिक 20, शके 1899

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थायांतर्दृष्टि को वृचनार्दे

IN THE COURT OF SHRI CHANDRA PAL SINGH
STATE TRANSPORT APPELLATE TRIBUNAL,
M. P.

Appeal No. 47/76.

Ratlam Transport Service Co., Pri. Limited, Mhow
Road, Ratlam *Appellant.*

Versus

1. Regional Transport Authority, Ujjain Region, Ujjain, and/or
The Regional Transport Authority, Indore Region, Indore.
2. Hrozuddin S/o Wahiduddin Qureshi, Ujjain.
Kamladevi w/o Shantilal Trivedi, Khandrao Bazar, Tarana, District Ujjain.
3. Prabhakar Laxaman, Pathak, 63, Tilam Path, Indore.
4. Rafiquddin S/o Gulam Mohinuddin, 169/3, Juna Rishala, Indore.
5. Abdul Razak Abdul Gani, Bus Operator, Dhansara, District Ratlam.
6. M/s. Bhartiya Bus Co., Ratlam.
7. M. P. S. R. T. C., Bhopal, through Divisional Manager, Indore Division, Indore.
8. Syed Manazirullah Hussain S/o Syed Hajrul Hassan, Civil Lines, Mahidpur, District, Ujjain.
9. Samratmal Keshrimal Agarwal, Bus Operator, Station Road, Ratlam.

11. M/s. Akhtari Begum & Sons, Civil Lines, Mahidpur, District Ujjain.
12. Smt. Jaidabai w/o Usmankhan, Chowk Bazar, Mahidpur.
13. M/s. Suryapal Shriyans Kumar Jain, Barnagar, District Ujjain.
14. Nandkishore Ramratan Gupta, 143, Pandrinath Marg, Indore.
15. M/s. Jawahar Yatayat Co-operative Society, 54, Bombay Bazar, Indore.
16. M/s. Union Transport Co., Maganlal Building, Ratlam.
17. Trivedi Bus Service, Bus Operator, Jain Road, Indore.
18. M/s. Jamaluddin Ibrahim & Sons, M. T. Cloth Market, Indore *Respondents.*

WHEREAS aforesaid appeal against the order of the R.T.A., Ujjain, dated 9th December 1975, granting stage carriage permit for the route Ujjain-Jaora via Hingoriya, Unhel, Nagda, Khachroad, has been filed before this Tribunal :

The above parties are hereby given notice that the appeal would be laid for hearing before the State Transport Appellate Tribunal, Moti Mahal, Gwalior at 10-30 a.m. on 15th December 1977.

If no appearance either personally or through a duly authorised representative is put in on the said date, the case shall be heard and decided *ex parte*.

संमय के दोरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैः—

- (१) श्री संयुक्त संचालक, नगर एवं प्रामीण नियोजन विभाग, म. प्र., इंदौर, इमली बाजार, गोपाल भैया की हवेली, इंदौर.
- (२) इंदौर विकास प्राधिकारी, १५-१६, जवाहर मार्ग, सिवामंज, इंदौर.
- (३) कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर.
- (४) कार्यालय उपगृह निर्माण आयुक्त, इंदौरवृत्त, जगजीवनराम नगर, इंदौर.

उन नगर विकास स्कीम इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

धार. सी. चूष,
अध्यक्ष अभियंता।

दी. जी. नाईक,
अध्यक्ष।

कार्यालय इंदौर नगरपालिक निगम, इंदौर

(सूचियाँ और विधायी कार्य विभाग का परिमाणित प्रारूप)
उन उपविधियों का जिन्हें कि प्रशासक, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्र. २३, सन् १९५६) की, उरा ४२७ के खंड (१-अ) के उपखंड (उ) तथा (अ) द्वारा प्रदत्त अदिकृतों को प्रयोग में लाने हुए बनाना प्रस्तावित करता है, निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा ४२९ के खंड (अ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यविधियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, जिसकी मुद्रित प्रतिलिपि नगरपालिक निगम, इंदौर के कार्यालय में, इस सूचना की तारीख से एक मास के लिये कार्यालय समय के दोरान नियुक्त सार्वजनिक विरक्षण के लिये रखदी गई है इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छ: सप्ताह की कालावधि के पश्चात् द्वारा किया जायगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो किसी व्यक्ति द्वारा आप्य उपविधियों के संबंध में इस सूचना की तारीख से एक मास तक भीतर लिखित में दिया जाय, प्रशासक, नगरपालिक द्वारा द्वारा विचार किया जावेगा।

प्रारूप उपविधियाँ

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(१) ये उपविधियाँ इंदौर निगम के कामकाज संचालन संबंधी उपविधियाँ, १९७६ कालावधि।

(२) ये उपविधियाँ मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी।

२: निररान.—इन उपविधियों के प्रारंभ होने के अव्यवहृत पूर्व प्रवृत्त वे समस्त नियम, आदेश तथा उपविधियाँ जोकि निगम द्वारा बनाई तथा जारी की गई हों, इन उपविधियों के प्रारंभ से निरस्त हो जायेंगी।

परन्तु इस प्रकार निरस्त नियमों, आदेशों या उपविधियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही जवतक ऐसी की गई बात या की गई कार्यवाही इन उपविधियों के उपवंधों से असंगत न हो, इन

उपविधियों के तत्थानी उपवंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

३. परिभाषाएँ.—इन उपविधियों में जवतक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (२३, सन् १९५६),
- (ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है किसी समिति का अध्यक्ष,
- (ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है निगम का आयुक्त,
- (घ) "निगम" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम, इंदौर,
- (ङ) "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन उपविधियों से संलग्न प्रारूप,
- (च) "महापौर या उप-महापौर" से अभिप्रेत है निगम का महापौर या उप-महापौर,
- (छ) "पीठासीन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सम्मिलन की अध्यक्षता करनेवाला व्यक्ति,

(ज) "नगरपालिक सचिव" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम का अधिकारी जो अधिनियम की धारा ५८ के अधीन नगरपालिक निगम के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया हो।

४. कार्यसूची.—सूचना में सम्मिलित की जानेवाली कार्यसूची साधारणतः निम्नानुसार होगी:—

- (क) ठीक पूर्ववर्ती सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि करना यदि वह उस सम्मिलन में न हुई हो,
- (ख) सदस्यों द्वारा प्रश्न तथा उनके उत्तर,
- (ग) महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार के संबंध में जानकारी,
- (घ) ठीक पूर्ववर्ती सम्मिलन की कार्यसूची के ग्रेड कामकाज तथा स्थगित कामकाज,
- (ङ) समितियों या आयुक्त की ओर से प्राप्त सुझाव, गामन तथा प्रस्ताव,
- (च) अधिनियम की धारा ६० की उप-धारा (७) के अधीन ऐसी आपत्ति जिनका विनिश्चय करने का प्राधिकार निगम को दिया गया है,
- (छ) पार्षदों से प्राप्त सुझाव तथा प्रस्ताव,
- (ज) ऐसे अन्य विषय जिनको कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने के लिये महापौर द्वारा या उसकी अनुस्थिति में उप-महापौर द्वारा आदेश दिया गया हो,

५. कार्यसूची की मदों का क्रम—पीठासीन अधिकारी को वह क्रम निश्चित करने की शक्ति होगी जिसमें कि कार्यसूची में के विषय सम्मिलन के समय रखे जायेंगे।

६. कार्यसूची में सम्मिलित विषयों से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने का पार्षदों का अधिकार—कार्यसूची में कामकाज संबंधी समस्त कागज-पत्र सम्मिलन होने के पूर्व सात दिन पूर्व बार विशेष सम्मिलन के पूरे तीन दिन पूर्व पटल पर रखे जावेंगे जिससे कि पार्षद उन कागज-पत्रों से स्वयं को अवगत होने में समर्थ बना सके।

Revision No. 140 of 1977.

Radhavallabh S/o Radhakishan, Bus Operator,
Vidisha Applicant.

Versus

1. The Secretary, Regional Transport Authority, Bhopal Region, Bhopal.
2. The Regional Transport Authority, Bhopal Region, Bhopal.
3. M/s. Gurukripa Travels, Bus Operator, Bairagarh (Bhopal), . . . Non-applicants.

WHEREAS the aforesaid revision against the order of the R. T. A., Bhopal, dated 1st April 1977 granting the timings on Route Gadhi-Shamshabad via Vidisha has been filed before this Tribunal :

The above parties are hereby given notice that the revision would be laid for hearing before the State Transport Appellate Tribunal, Moti Mahal, Gwalior at 10-30 a.m. on 20th December 1977.

If no appearance either personally or through a duly authorised representative is put in on the said date, the case shall be heard and decided *ex parte*.
(405-B.)

Appeal No. 154 of 1977.

Ashok Kumar Mod S/o Shri Ramkishan Mod, permanent address Lakherapura, Bhopal, R/o Hospital Road, Vidisha Appellant.

Versus

1. The Regional Transport Authority, Bhopal Region, Bhopal.
2. M/s. Gurukripa Travels, Bairagarh (Bhopal). Respondents.

WHEREAS the aforesaid appeal against the order of the R. T. A., Bhopal, dated 24th March 1977 refusing to grant a regular stage carriage permit of the route Gadhi-Shamshabad via Ahmedpur, Jetpura, Vidisha has been filed before this Tribunal :

The above parties are hereby given notice that the appeal would be laid for hearing before the State Transport Appellate Tribunal, Moti Mahal, Gwalior at 10-30 a.m. on 20th December 1977.

If no appearance either personally or through a duly authorised representative is put in on the said date, the case shall be heard and decided *ex parte*.
(406-B.)

Revision No. 53/77.

Shri Kewal Prasad Pandey, Bus Stand Khudasi, Post Office Janki Kunj, Chitrakoot, Distt. Satna.

Versus

1. R. T. A., Rewa.
2. M/s. Tota Ram Tillomal, Bus Operator, Satna.
3. M/s. Krishana Tr. Co., Rewa.
4. Hanspal Bus Service, Rewa.

WHEREAS the aforesaid revision against the order of the R. T. A., Rewa, dated 25th January 1977 rejecting the grant of extension of Chitrakoot-Satna Service upto Maiher has been filed before this Tribunal :

The above parties are hereby given notice that the Revision would be laid for hearing before the State Transport Appellate Tribunal, Moti Mahal, Gwalior at 10-30 a.m. on 9th December 1977.

If no appearance either personally or through a duly authorised representative is put in on the said date, the case shall be heard and decided *ex parte*.

CHANDRA PAL SINGH,
State Transport Appellate Tribunal.
(407-B.)

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय नीमच सुधार न्यास, नीमच

[मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, सन् 1960
धारा 50 (3) के अंतर्गत]

नीमच, दिनांक 15 सितम्बर 1977

योजना सूचना क्र. 8177-78.—सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि नीमच सुधार न्यास, नीमच की योजना क्रमांक 20, शापिंग सेंटर-सविलक गार्डन-कम-ऑफिस न्यास द्वारा स्वीकृत की जाकर मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, सन् 1960 की धारा 50 (1) के अंतर्गत शासन स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

1-2
(402-B.)

विषय शुल्क, अध्यक्ष.

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

दिनांक 14 अक्टूबर 1977

क्र. 35.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में ग्राम तेजपुर गड़वड़ी, पीपल्याराव एवं कस्बा इन्दौर के लिये यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम क्रमांक 59 की सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि सदर स्कीम में निम्न मुजब नंबरों की भूमि समाविष्ट है—

ग्राम तेजपुर गड़वड़ी, खसरा नंबर—114, 115, 116, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 पार्ट, 142 पार्ट, 234, 235, 236, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259 पार्ट, 260 पार्ट, 248 पार्ट, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 115। 357, 114। 358.

ग्राम पीपल्याराव, खसरा नंबर—8 पार्ट, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

कस्बा इन्दौर, खसरा, नम्बर—1503, 1512.

उक्त स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कारबिलियतीन

हिसीं भी पार्षद् को विहित कालावधि के दौरान ऐसे कागज-पत्रों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पटल पर रखे गये साधारण कागज-पत्रों से कोई भी पार्षद् केवल छोटीं टिप्पणियां ले सकेगा, जिससे कि उस विषय पर वाद-विवाद के समय उसे सुविधा हो सके।

7. सम्मिलन का प्रारंभ.—जबकि गणपूर्ति अपेक्षित न हो, तो सम्मिलन के लिये नियत समय पर कार्यवाही प्रारंभ की जायगी। जब गणपूर्ति अपेक्षित हो, तब गणपूर्ति होनेपर ही कार्यवाही प्रारंभ की जायगी।

8. पार्षदों की उपस्थिति का रजिस्टर.—एक उपस्थिति रजिस्टर रखा जायगा जिसमें सम्मिलन में उपस्थित होनेवाले समस्त पार्षदों के नाम प्रविष्ट किये जायेंगे। यह रजिस्टर सम्मिलन होनेवाले सभागृह में एक मैज पर सम्मिलन के प्रारंभ होने से पूर्व रखा जायेगा और प्रत्येक पार्षद् उसमें हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन प्राधिकारी उपस्थिति पार्षदों की संख्या को जोड़ेगा और सम्मिलन को समाप्ति के पश्चात् उसपर अपने हस्ताक्षर तत्वाल करेगा। यदि सम्मिलन में, जो कि गणपूर्ति के अमावस्या में स्थगित हो गया हो, महापौर तथा उच्च-महापौर दोनों उपस्थित न हों, तो सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्मिलन को कार्यवाही का संचालन करे और प्रत्येक पार्षद् रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।

9. सम्मिलन का कार्यवृत्त.—प्रत्येक सम्मिलन का कार्यवृत्त तथा कार्यवाही सम्मिलन के समय पीठासीन प्राधिकारी के निदेश के अधीन देवनानीरी लिपि में हिन्दी में अलग-अलग पुस्तिकाओं में लिखे जायेंगे।

10. कार्यवृत्त की पुष्टि.—यदि कार्यवृत्त की पुष्टि उर्त्ति सम्मिलन में न हो सकी तो उसको (कार्यवृत्त को) ऐसे सम्मिलन में लैजा कि महापौर आदेश दे, पुष्टि के लिये प्रत्युत्त किया जायगा।

11. कार्यवृत्त का निरीक्षण.—कार्यवृत्त, कार्यालय समय में किसी भी पार्षद् द्वारा निरीक्षण करने के लिये उपलब्ध रहेगा। यदि किसी पार्षद् को उसमें किसी भाग पर आपत्ति हो, तो वह सम्मिलन में पीठासीन प्राधिकारी द्वारा अपना स्थान ग्रहण करने के पश्चात् प्रस्तुत की जायगी अन्यथा यह समझा जायगा कि उनको पढ़ लिया गया है और पुष्टिकरण के प्रवाग के रूप में पीठासीन प्राधिकारी उपर हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन प्राधिकारी को अधिकार होगा कि हस्ताक्षर करने के पूर्व लिपिकीय भूलों को सुधार दे।

12. कार्यवृत्त का शुद्ध किया जाना.—यदि कोई पार्षद् कार्यवृत्तों के संबंध में इस आधार पर आपत्ति करे कि वह अशुद्ध या अपूर्ण है, तो पीठासीन प्राधिकारी सदन की राय लेने के पश्चात् इस मामले को लेगा और उसमें उचित संशोधन करेगा। संशोधित वर्गवृत्तों के पुष्टिकरण के पश्चात् वह हस्ताक्षर करेगा।

13. कार्यवृत्त पुस्तिका का प्रारूप.—कार्यवृत्त पुस्तिका इन उपविधियों में संलग्न प्रारूप में होगी।

14. कार्यवृत्त पुस्तिका.—(अ) कार्यवृत्त पुस्तिका में लिखी गयी संक्षिप्ति कार्यवृत्त कहलायेगी।

(ब) कार्यवाही रजिस्टर वह रजिस्टर होगा जिसमें सम्मिलन के वाद-विवाद का विस्तृत तथा सही वृत्तांत निगम के अन्तरिक्ष प्रशासन

के लिये रखा जाता है। साधारणतः उसकी प्रतिलिपि किसी को नहीं दी जायेगी। वार्यवाहियों की प्रतिलिपियां विसी पार्षद् को नहीं भेजी जायगी न उसकी पुष्टि निगम द्वारा की जायेगी। कार्यवाहियों का, उनके तैयार होने के पश्चात् विसी भी पार्षद् द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा और यदि वह उसमें कुछ परिवर्तन चाहता हो, तो ऐसे परिवर्तन महापौर का आदेश अभिप्राप्त बनाने (अनुज्ञा लेने) के पश्चात् रुचिव द्वारा किया जा सकेगा। ऐसी शुद्धियां महापौर द्वारा जायेंगी।

(ग) पीठासीन प्राधिकारी को अधिकार है, प्रस्ताव या विषय को कार्यवाहियों से निवाल दें अथवा, शब्दास्पद या आपत्तिजनक हों, और उसका को दे। ऐसी परिस्थितियों में वह विषय द्वारा कार्यवाही नहीं किया जायेगा।

15. पार्षद् द्वारा प्रस्ताव.—यदि कोई पार्षद् करने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे, तो उसे होगा कि वह ऐसे कारने की विभिन्न सूचना के साथ सहित प्रस्ताव नामांकित सचिव को भेजे। ऐसी की तारीख से दस दिन बाद होनेवाले प्रथम सम्मिलन की कार्यसूची में ऐसा प्रस्ताव अवश्यमेव समिलित किया जायेगा।

प्रत्युत्त ऐसा प्रस्ताव महापौर या उसकी अनुपरिधिति में उप-महापौर की राय में अधिनियम की किसी धारा के उपदंगों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का या उपविधियों के विपरीत हो या निगम की अनुमति नीति के विरुद्ध हो या वह निगम के हितों के विरुद्ध हो या उससे निगम के संबंध में भान्तिकरित होने की संभावना हो या साम्राज्यिकता के सिद्धांत पर आधारित हों, तो महापौर या उसकी अनुपरिधिति में उप-महापौर को यह शक्ति होगी कि वह निर्देश दे कि कार्यसूची में उस समिलित न किया जाय।

16. सम्मिलन में कामकाज़.—किसी प्रस्ताव, किसी सचिव की किसी प्रश्न का प्रस्ताव द्वारा समय या उपरान्त चर्चा करने समय प्रत्येक पार्षद् अपने स्थान से बोलेगा, बोलते समय खड़ा रहेगा और पीठासीन प्राधिकारी को संबोधित करेगा। वह अपना भाषण सम्मिलन के तत्काल सम्मुख विचारार्थ प्रश्न तक सीमित रहेगा और वह ऐसी आलोचना नहीं करेगा जोकि पीठासीन प्राधिकारी द्वारा उन्हें ठहरायी जाय। आलोचना बन्द करने के लिये पीठासीन प्राधिकारी की ओर से कहे जानेपर, ऐसा करना उसका (पार्षद् का) कर्तव्य होगा।

17. कामकाज की भाषा.—सम्मिलन में उपयोग में लाई जानेवाली भाषा हिन्दी होगी, विन्तु पीठासीन प्राधिकारी को अधिकार होगा कि किसी संघर्ष को उस भाषा में भाषण करने की अनुमति दे जिसमें वह अपने को ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकता हो, यदि वह (संघर्ष) इस प्रकार हिन्दी में व्यक्त न कर सके।

18. पीठासीन प्राधिकारी खड़ा नहीं होगा—पीठासीन प्राधिकारी सम्मिलन को संबोधित करते समय खड़ा नहीं होगा।

19. इन उपविधियों के अन्तर्गत न आनेवाले मुद्दों पर विभिन्न विधय—ऐसे समस्त मुद्दों का, जिसके लिये इन उपविधियों में या

इस योजना में समाचिष्ट भूमि की नीचागां में है जिनकी चतुर्सीमा पर निम्नानुसार है—

74-ए Scheme No. 4P.U.2 K. Suklia (Residential)

सुकल्या गांव:

उत्तर को . . . प्रस्तावित एम. आर. ९ तथा हिस्सा सुकल्या ख. नं. ५४८, ५४७, ६०१, ५९७, ६०५, ५०६, ५९८.

दक्षिण को . . . प्रस्तावित रास्ता तथा हिस्सा सुकल्या ख. नं. ५१८ व नाला, सुकल्या.

पूर्व को . . . प्रस्तावित रास्ता तथा हिस्सा सुकल्या ख. नं. ६०५, ६०७, ६०९, ६११ तथा ख. नं. ५२०, ५१९.

पश्चिम को . . . प्रस्तावित रास्ता तथा हिस्सा सुकल्या ख. नं. ५४८, ५४६, ५४१, ५१४, ५१५ व नाला.

74-बी Scheme No. 2 Suklia P.H.3) (Residential)

सुकल्या गांव, कबीर खेड़ी:

उत्तर को . . . प्रस्तावित एम. आर. १० तथा हिस्सा सुकल्या ख. नं. ४२५, ४२६, बाद में कबीर खेड़ी हिस्सा ख. नं. ३१, ३४, ३५, ३७, ४६, १३९, १४०.

दक्षिण को . . . प्रत्यावित एम. आर. ९ तथा हिस्सा सुकल्या ख. नं. ४९८, ५५५, ५६०, ५५८, ५५७, ५४८, ५४७, ५४६, ६०१, ५९८, ५९९, ५९७, ६८२, ६०५, ६०६, तथा कांकड़ भगोरी हिस्सा ख. नं. ४१, ४२, ४३, ४७, ४६.

पूर्व को . . . कांकड़ भगोरी हिस्सा.

पश्चिम को . . . प्रस्तावित रास्ता हिस्सा सुकल्या ख. नं. ४२७, ४२४, ४२३, ४३१, ५६४, ५६५, ५६६, ४९८, ४७३.

74-सी Scheme No. 3/ P.U.3/F. (Residential)

कबीरखेड़ी—निरंजनपुर:

उत्तर को . . . प्रस्तावित रास्ता तथा हिस्सा कबीर खेड़ी ख. नं. १६८, १७७, १७८, १८०, १९०, १९१, १९२, १८८, १८७, बाद में निरंजनपुर हिस्सा ख. नं. ३५४, ३५५, ४०१, ४००, ३९९, ३९८, ३९६, ३९५, ३९३, ३९२.

दक्षिण को . . . भगोरी कांकड़ बाद में (न्यास की स्कीम क्रमांक ५४).

मूर्ख को . . . बाम्बे-आगरा रोड निरंजनपुर के क्षेत्र में.

पश्चिम को . . . प्रस्तावित रास्ता तथा हिस्सा कबीर खेड़ी ख. नं. १६८, १६९, १७७, १७१, १५२, १४४, १६२ (नाला).

(२७-वी.)

6/5/77. १२२, २२२
दिनांक २६ फरवरी १९७७

[मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास विधान, सन् १९६० की धारा ६८(१) के अन्तर्गत विज्ञप्ति]

क. ४.—मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास विधान, सन् १९६० की धारा ६८(१) के अन्तर्गत सर्व-संवंधित भूमियों एवं सदर भूमियों में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि इन्दौर सुधार न्यास की योजना क्र. ५९, आम तेजपुर गडबडी, कस्बा इंदौर एवं पीपलयाराव की भूमि के विकास बाबत "भू-अर्जन एवं विकास तथा गृह आवास एवं वाणिज्यिक योजना" को शासन ने मध्यप्रदेश आवास एवं पर्यावरण विभाग, भौतिक की अधिसूचना क्र. ४३९२/५१६२/वत्तीस/दिनांक ४ दिसंबर १९७६ द्वारा मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास विधान, सन् १९६० की धारा ५१ के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की है। अतः सदर स्कीम के वास्ते निम्न मुजब चतुर्सीमा को ७१३-६८ एकड़ भूमि संपादन करने का न्यास का विचार है।

१. उत्तर को . . . दशहरा मैदान तथा लोकमान्य नगर की भूमि व नदी।

२. दक्षिण को . . . मोजा विजलपुर ख. नं. ६२, ६५, ३१५, ३१६, ३१७, ३१९, ३२७, ३३० की भूमि।

३. पश्चिम को . . . श्य. नगर सीमा व मोजा सिरखुर व तेजपुर गडबडी की भूमि।

४. पूर्व को . . . माणिक बाग रोड व बम्बे-आगरा रोड।

सदर स्कीम बाबत विवरण याने संपादित को जाने वाली भूमि का नक्शा व दीगर वृत्तांत १५-१६, जचाहरमार्ग पर स्थित इन्दौर सुधार न्यास कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिन देखने को उपलब्ध हो सकेगा।

वास्ते समस्त संवंधित भूमिस्वामियों को तथा भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सदर भूमि के संपादन बाबत अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो ऐसी आपत्तियां इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से ३० (तीस) दिन के अन्दर इस कार्यालय में न्यास के विचार हेतु लेखी में प्रस्तुत करें ताकि न्यास द्वारा ऐसे आपत्ति-पत्रों पर सदर विधान की धारा ६८(३) मुजब विचार किया जा सके। सदर मुद्रा बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं हो सकेगा।

आर. पी. गुप्ता,

न्यास वंती।

(२६-वी.)

ह. र. फण्डे,

अध्यक्ष।

अध्य सूचनाएँ

LOST

The Government Promissory Note No. NG 006957 for Rs. 1000 of the 5^{1/2} per cent Madhya Pradesh State Dev. Loan, 1980 standing in the name of State Bank of India and last endorsed to Vasantrao Keshorao Kekre the proprietor by whom it was never endorsed to any other person, having been lost, notice is hereby given that payment of the above note and the interest thereupon have been stopped at the Public Debt Office,

(अ) फैन्चारों के लिये तेरने का किसी सजानट वांस्किक प्रयोजन के लिये।

(ब) सड़कों के निर्माण या बुलाई के प्रयोजनों के लिये।

(च) भवन निर्माण या मरम्मत प्रयोजनों के लिये।

6. देश प्रभार की प्रगणना में कोई भाग जो 1.00 रुपये से कम हो सकता जो 0.5 पैसों का अधार्व मूल्य न हो, 0.5 पैसों के अगले अधार्व मूल्य तक कर दिया जावेगा।

(29-B.)

Dated 15th October 1976

No. 522.—Notice is hereby given to the inhabitants of the Municipality of Khandwa in East Nimar District, that the Municipal Council, desires to impose the Water-tax in the whole of the said Municipality under clause (XIII) of sub-section (1) of section 127 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the class of persons or description of properties proposed to be taxed and amount or rate of the tax to be imposed have been defined in the proposals annexed hereto.

Any inhabitant of the Municipality objecting to the proposed tax, may, within thirty days from the date of publication of this notice in the *Madhya Pradesh Patrika* submit his objection in writing to the Chief Municipal Officer, Khandwa which will be considered by the Municipal Council, Khandwa.

संकल्प

क्रमांक 75

दिनांक 22 फरवरी 1975

यह परिषद् संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) के अंडे (तेरह) के अधीन घल कर का आरोपण करने के लिये संकल्प पारित करती है, साथ ही प्रस्तावित कर की दर का भी अनुमोदन करती है।

Proposal

There shall be imposed and paid to the Municipality, Khandwa, by the owner or occupier of a building or land a water tax according to the following scale of water supplied by the Municipal Council, Khandwa.

1. Where there is no private supply of water from the Municipal service pipes and the building or land is situated within a radius of 250 meters from a public stand pipe

(i) If the annual letting value of the land or building is not more than Rs. 24/- Exempted.

(ii) If the annual letting value of the land or building is above Rs. 24. Rs. 3.00 per cent per annum subject to maximum of Rs. 30.

Provided that if the building or land is occupied by more than one house-hold, the head of each household or owner shall pay the water rate calculated on the annual letting value of the portion of the building or land occupied by him.

2. Where there is a private supply of water. —

(a) If a meter is installed :—

(i) For domestic purpose 50 paise per 1000 litres subject to a minimum of Rs. 5 per month.

(ii) For non-domestic purpose including trade 75 paise per 1000 litres subject to a minimum of Rs. 20 per month.

(b) If no meter is installed :—

(1) For domestic purposes :—

(i) For $\frac{1}{2}$ " pipe connection Rs. 6 per month.

(ii) For additional tap $\frac{1}{2}$ " connection Rs. 1.50 per month.

(iii) For $\frac{3}{4}$ " pipe connection Rs. 9 per month.

(iv) For additional tap $\frac{3}{4}$ " connection Rs. 2 per month.

(2) For nondomestic purpose water rate will be recovered at double rate of the above rates.

3. The bulk supply of water to Railways, Industrial Establishments or any Institution shall be made on such terms and conditions and at such rates as may be agreed upon between the Khandwa Municipality and the other party concerned.

4. In calculating the charges due fraction less than a rupee which is not exact multiple of 5 paise shall be rounded off to the next higher multiple of a 5 paise.

5. If any person is found using water for purposes other than that it is sanctioned or wasting water unnecessarily by opening the tap of his private connection or supply water to other persons by providing a tap outside his house, his water connection will be liable to be cut off by the Council.

6. The supply of water for domestic purposes shall not be deemed to include any supply :—

(a) For animals or for washing vehicles where such animals or vehicles are kept for sale.

(b) For any trade, hotel, manufacture or business.

(c) For gardens or for purposes of irrigation.

(d) For fountains, swimming pools or any ornamental mechanised purpose.

(e) For construction or washing roads.

(f) For construction or repairs of building.

G. L. KUMAWAT,
Chief Municipal Officer,

(29-B.)

कार्यालय इन्दौर सुधार न्यास, इन्दौर

दिनांक 11 अप्रैल 1977

[स्कीम क्र. 74-ए., 74-बी एवं 74-सी के बाबत विज्ञप्ति धारा 50

(3) मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास विधान, 1960 के अन्तर्गत]

क्र. 7.—सर्व-संबंधित लोगों के सुचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इन्दौर सुधार न्यास ने ग्राम कर्वी और ग्राम सुकल्पा एवं निरञ्जनपुर में की आवश्यक भूमि के विकास बाबत मास्टर प्लान के प्रवधानों के अनुसार जो योजना क्रमांक 74-ए., 74-बी तथा 74-सी, धारा 46 के अनुसार प्रकाशित की थी उसमें प्राप्त अपति-स्त्रों पर सुनवाई करके तथा मौका देखकर स्कीम को न्यास ने धारा 51 के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति प्राप्त करने का निश्चय किया है और तदनुसार स्कीम स्वीकृति हेतु शासन के तरफ भेजी गई है।

कानपुर-हन्दौर विकास प्राधिकारी, हन्दौर
दिनांक १६ नवम्बर १९७७

क्र० ४०— पश्चिम प्रदेश नगर वया ग्राम निवेश आधिकारी, १९७३ (क्र० २३ अक्टूबर १९७३) की वारा ५० की उपवारा (४) के अंतीम हन्दौर निवेश दोत्र ई के द्वारा विरपुर के लिए यथा अनुमतिदित नगर विकास स्थीर अनांक ७१, तो सर्व-साधारण प्राप्ति किया जाता है कि उसके स्थीर में निम्न उचित ग्राम विरपुर के खाली नगरों की घृणा दर्शायी है :—

ग्राम विरपुर, खाली नवर ४६६, — ४७७ वार्ड, ४७१-पार्ट, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२-पार्ट,

एतद व्यारा यह भी योग्यता किया जाता है कि इन्हीं लै-बाउट के अन्तर्गत विकास कार्य सम्पन्न करते वक्त जो पक्के स्ट्रैक्चर वक्ता पक्का पक्का प्राधिकारी की वाक्ता से कायम रहे जावेंगे उन्हें स्थीर के लिए सम्पादित नहीं किया जावेगा, परन्तु उनके उल्लेखन के अनुसार लै-बाउट ट्रैक्चर लागू होगा।

उक्त स्थीर की प्रतियां निम्नानुसार वायलिंग में कार्यालयीन रूप से दोहरान निरिक्षा के लिए उपलब्ध है :—

- (१) बंगुरा, सराली, नगर एवं ग्रामीण नियांकन विभाग पश्चिम प्रदेश हन्दौर,
- (२) हन्दौर विकास प्राधिकारी, इमली बाजार, गोपाठ में की इमली हन्दौर,
- (३) कायलिंग बायुका, नगर पालिका निगम, हन्दौर
- (४) कायलिंग उप-गृह निधिया बायुका, हन्दौर तूंग, अमरोहराम नगर, हन्दौर से प्रतिस्तित होनी।

बारंडी० चूध,

मुख्य बम्पिंता,

(४४८-हो)

की ०५० नाईज़,
बद यदा,

दिनांक 5 जनवरी 1978

क्र. 59.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि इन्दौर प्राधिकारी निम्न चतुर्सीमा के अन्दर की भूमि के संबंध में भाट्टर प्लान के प्रावधानों के अन्तर्गत एक नगर विकास स्कीम पर्याप्त करते का वाचाय स्वतंत्र है। इस प्रौजना को स्कीम अनांक 83 सम्बोधित किया जावेगा:—

चतुर्सीमा

उत्तर को.—घटरा नं. 235 पार्ट, 247, 252, 264, 265 व 207 चिरावद.

दक्षिण को.—इन्दौर-कल्नी रोड (ब. नं. 206) चिरावद.
पूर्व को.—यान नदी।

पश्चिम को.—ब. नं. 207 चिरावद (साजन नगर) तथा ब. नं. 265 चिरावद।

(549-वी.)

दिनांक 6 जनवरी 1978

विज्ञाप्ति अनांक 60.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, चन् 1973) की धारा 0 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में ग्राम जनराना के लिये व्यावज्योदित नगर विकास योजना क्रमांक 7-ए की सर्व-साधारण की जानकारी के लिये उपत्ति विधान की धारा 50 (7) के अन्तर्गत एतद्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। सदर योजना में निम्न मूजब घटरा नम्बरों की भूमि समाप्त है।

ग्राम जनराना के घटरा नम्बर 761, 762।

उन्नत योजना की प्रतियां विनियोजित कार्यालयों में कार्यालयीन रूप के दोरान निरोक्त के लिये उपलब्ध हैं:—

- संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, भ.प्र., इन्दौर, इमली बाजार, गोपाल भैया की हवेली, इन्दौर।
- इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16 जवाहर भाग, जिल्हापांज, इन्दौर।
- कार्यालय आयुक्त, इन्दौर नगरपालिका निगम, इन्दौर।
- कार्यालय, उपगृह निर्माण आयुक्त, इन्दौर वृत्त, जगजीवनराम नगर, इन्दौर।

उन्नत नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाश होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(548-वी.)

क्र. 57.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा 4 के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में के ग्राम कबीरखेड़ी एवं निरञ्जनपुर के लिये यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम क्रमांक 74-सी. को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये उक्त विधान की धारा 50 (7) के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि नगर योजना में निम्न मूजब भूमि समाप्त है:—

ग्राम कबीरखेड़ी.—घटरा नम्बर 165 पार्ट, 168 पार्ट, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 पार्ट, 179, 180, 181 पार्ट, 191 पार्ट, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202।

ग्राम निरञ्जनपुर.—घटरा नम्बर 392 पार्ट, 393 पार्ट, 395 पार्ट, 396 पार्ट, 398 पार्ट, 399 पार्ट, 400, 401 पार्ट, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410।

उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन रूपय के दोरान निरोक्त के लिये उपलब्ध हैं:—

- (1) संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, इमली बाजार, गोपाल भैया की हवेली, इन्दौर।
- (2) इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16 जवाहर भाग, जिल्हापांज, इन्दौर।
- (3) कार्यालय आयुक्त, नगरपालिका निगम, इन्दौर।
- (4) कार्यालय, उपगृह निर्माण आयुक्त, इन्दौर वृत्त, जगजीवनराम नगर, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

भार. सी. घुघ,

मुख्य अधिकारी।

(545-वी.)

श्री. लो. नाईक,
गवर्नर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, पिपरिया, जिला होशंगाबाद
पिपरिया, दिनांक 4 जनवरी 1978।

क्र. 7280.—होशंगाबाद जिले के पिपरिया नगरपालिका निवासियों को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नगरपालिका निवासियों को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नगरपालिका निवासियों को एतद्वारा प्रदर्शन-कर की दरों में निम्नानुसार बढ़ि-करा स्वीकार किया है एवं बदनुसार इसकी स्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130 की उपधारा (1) के अन्तर्गत संचालक, स्थानीय संस्थान, मध्यप्रदेश, भोपाल ने अपने आदेश क्रमांक 81617612123930, भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 1977 से प्रदान कर दी है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 130 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इस

If no appearance either personally or through duly authorised counsel is put in on the said date, the case shall be heard and decided *ex parte*.

(535-B.)

Revision No. 192 of 1976.

M. P. State Road Transport Corpn. through *Applicant*,
the General Manager, C/o. Divisional
Office, M. P. S. R. T. C., S. A. F. Ground,
Lashkar, Gwalior.

Versus

1. The Regional Transport Authority, Indore, M. P.
2. Raj. Kumar Bhatia, Proprietor Raj Transport Service, 137, Jaora Compound, Indore, M. P.
3. Shri Rajmal Mishrilal Jain, Village Bori, Distt. Jhabua.
4. Shri Noor Mohd. Mohammad Hussain, Jawahar Chowk, Dewas.
5. M/s. Thakur Naval Singh, Bus Service, 314, Mominpura, Burhanpur (Madhya Pradesh).

Raspon-
dents.

WHEREAS the aforesaid revision against the order of the R.T.A., Indore, dated 23rd June 1971 granting a Contract Carriage permit, has been filed before this Tribunal.

The above parties are hereby given notice that the revision would be laid for hearing before the State Transport Appellate Tribunal, Moti Mahal, Gwalior at 10.30 a.m. on 8th February, 1978.

If no appearance either personally or through a duly authorised counsel is put in on the said date, the case shall be heard and decided *ex parte*.

CHANDRA PAL SINGH,
State Transport Appellate Tribunal.

(536-B.)

OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSIONS
JUDGE RAIPUR

In exercise of the powers conferred upon me as the competent Authority under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, I hereby notify for the information of all concerned that Sarva Shri (i) P. L. Sharma, (ii) D. R. Mokasdar, (iii) A. P. Gupta, all Advocates of Raipur, have made Memorials to me under sub-rule (2) of rule 4 of the Notaries Rules, 1956, and I hereby invite within 14 days of the publication of this notice objection, if any, to the appointment of two of the Memorialists mentioned above as a Notary.

Given under my hand and the Seal of the Court this 12th day of December 1977.

R. C. SHRIVASTAVA,
District and Sessions Judge.

(544-B.)

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं
कार्यालय नीमच सुधार न्यास, नीमच
नीमच, दिनांक: 11 दिसंबर 1977

[मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, सन् 1960 की
की वारा 46 (1) के अन्तर्गत सूचना]

योजना सूचना क्र. 12177-78.—सर्व-साधारण के सूचना प्रकाशित किया जाता है कि नीमच, सुधार न्यास, नीमच ने वह हेतु भू-खण्ड उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रमांक 28 तैयार किया जाना चाहिए वाटिका निम्न प्रकार है:—

1. उत्तर: सी. आर. पी. रोड (टैगोर मार्ग).
2. पूर्व: विजय टॉकीज.
3. दक्षिण: नगरपालिका योजना क्रमांक 1 का भाग.
4. पश्चिम: शडक एवं नगरपालिका योजना क्रमांक 1 भाग एवं गांधी वाटिका.

उपरोक्त योजना में शामिल क्षेत्र का नवशा व भूमि का विवर नीमच सुधार न्यास, नीमच के तरणपुष्कर स्थित कार्यालय में देखा जासकता है.

उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने में किसी को कोई वापर हो, तो ऐसी आपत्तियां इस सूचना-पत्र के प्रकाशित होने के 1 दिन में न्यास कार्यालय में प्राप्त होनेपर न्यास उन पर विचार करेगा.

3-3.

(525-B.)

नीमच, दिनांक: 11 दिसंबर 1977

[मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, सन् 1960 की धारा 46 (1) के अन्तर्गत सूचना]

योजना सूचना क्र. 13177-78.—सर्व-साधारण के सूचना प्रकाशित किया जाता है कि नीमच सुधार न्यास, नीमच ने हरिजन गृह-निर्माण सहकारी समिति, नीमच के सदस्यों को अवलम्बन हेतु भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये योजना क्रमांक 29 तैयार की है जिसकी चतुर्सीमा निम्न प्रकार है:—

1. उत्तर: शास्त्रीनगर.
2. पूर्व: ओल्ड गार्डन नम्बर 6.
3. दक्षिण: नीमच सिटी रोड एवं गोल्ड गार्डन नम्बर 1.
4. पश्चिम: नगरपालिका, नीमच की हरिजन कॉलोनी.

उपरोक्त योजना में शामिल क्षेत्र का नवशा व भूमि का विवर नीमच सुधार न्यास, नीमच के तरणपुष्कर स्थित कार्यालय में देखा जासकता है.

उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने में किसी को कोई आपत्ति हो, तो ऐसी आपत्तियां इस सूचना-पत्र के प्रकाशित होने के गहरे दिन में न्यास कार्यालय में प्राप्त होनेपर न्यास उन पर विचार करेगा.

3-3.

(526-B.)

विजय शुक्ल, अध्यक्ष.

की पूर्व-थायगी के बिना
जो जाने के लिये अनुमत,
मध्यप्रदेश सम्भाग
प्रा.—19



पंजी क्रमांक डिवीजन म्हालियर
एम.पी.—19

योजना क्र. 91 के अनुच्छेद 19
का नियमि कार्यकारी
पृष्ठ का 963 पर.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रांक .41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 1982—आष्विन 16, शके 1904

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर

दिनांक 28 मई 1982

क्र. 179.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन कास्ता इन्दौर के रेवेन्यू खासरा नंबर 180 एवं 181 वी भूमि के विकास बाबत इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित नगर विकास योजना क्रमांक 91 की उवत विधान की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि उवत योजना में निम्न भूमि समाविष्ट है :—

कास्ता इन्दौर के—खसरा नंबर 180 एवं 181 उक्त योजना की प्रतिवां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरिक्षण के लिये उपलब्ध है :—

1. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, मध्यप्रदेश, शांपिंग काम्पलेक्स, बाँस्वे आगरा रोड, इन्दौर,

2. इन्दौर विकास प्राधिकरण, 15-16 जवाहर मार्ग, इन्दौर.

3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिकानिगम, इन्दौर.

4. कार्यालय उपगृह निर्माण आयुक्त, इन्दौर वृत्त, जगजीवनराम नगर, इन्दौर.

उवत नगर विकास योजना इन्त विज्ञित के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(166-बी.)

दिनांक 11 जून 1982

क्र. 180.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 की धारा 50 की उप-धारा 2 के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है कि इन्दौर विकास प्राधिकारी निम्न क्षेत्र से संबंधित भूमि के बाबत एक नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है इस योजना को योजना क्रमांक 104 दिया गया है :—

योजना क्रमांक 104 के क्षेत्र का विवरण

पूर्व में—आगरा वैम्बे रोड.

पश्चिम में—डी आय. जी. बंगले के पीछे का रास्ता, खसरा नंबर 133 पलासिया हाना.

दक्षिण में—डी. आय. जी. बंगले को फेन्सिंग.

उत्तर में—खसरा नंबर 131, 132 पलासिया हाना.

(167-बी.)

गुद्धि-पत्र

योजना क्रमांक 78, ग्राम लसुडिया मौरी, निरंजनपुर एवं कीर्ति खेडी के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 की धारा 50 (7) के अन्तर्गत प्राधिकारी को विज्ञित क्रमांक 64, दिनांक 20 जनवरी 1978, राजपत्र के अंक 3 (1)

के दिनांक 10 फरवरी 1978 के अंक में पृष्ठ क्र. 320 पर लगाया

- 342 2. ईरुल फिल्मरिटिक 1 अनुसारी को राजपत्र संसद के कानून द्वारा शोधकार्यालय द्वारा की गई घोषित गई किया गया है।

3. शोधकार्यालय अकाल में तोमसार दिवस 10 जून 1984 के बनिवार दिनीक 10 जून 1984 तक और्यालय का कार्यालय पर्सिस्प्राइट प्रदर्शन किये जाने का आवश्यक साध हेतु प्राप्त 7-30 ने 11 बजे तक जला रखेगा।

4. शोधकार्यालय अवधारण में दिनांक 26 दिसंबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक शोधकार्यालय का कार्यालय सामान्य कार्य के खटों में रापान्तर रखा रहेगा।

5. राजपत्र भासन द्वारा वर्षे 1984 के लिए घोषित सामान्य (जनरल) छुट्टियों के अविरिक्त वर्षों के पछ्य में यदि भव्य कोई सामान्य (जनरल) छुट्टी घोषित हो जावेगी तो वह अब शोधकार्यालय का स्थानान्तरण एवं कार्यालय को भी लाभ होगी।

6. समस्त स्थानीय छुट्टियों में आधे विवर की छुट्टियों जो आमतः अवधारणावालियों द्वारा घोषित हो जावेगी वे अम न्याय-परिकार के स्थानान्तरण सभ्य कार्यालयों का संबंधित स्थानों पर लाग रहेंगी।

7. उपरोक्त छुट्टियों को नवी शोधकार्यालय न्याय शोधकार्यालय को छोड़कर समस्त अम न्यायालयों को भी यथावत लाग रहेंगी।

માર્ગદર, પોશોળિક રૂપાભાવના મહાત્માને એ સાલે-સાલે

४१. उपाध्याय,
पंजीयन.

स्थानीय संस्थाओं को मुख्यालय

भारतीय इन्डोर दिलास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्डोर

दिनांक: १३ फरवरी १९८०

四

क्र. 370.—इन्दौर विधानसभा विधायकों द्वारा गोजना क्रमांक 444-वी, कठुआ इन्दौर गढ़ ग्राम पिपलदहा गढ़ में संबंध में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निकेश अधिनियम, 1973 की भाग 50 (7) के अन्तर्गत राजपत्र दिनोंके 30 अक्टूबर 1977 को पृष्ठ नम्बर 2486 भाग 3 (1) पर प्रसारित विलाप्ति के संबंध में एन्ड्रिया रा यह घोषित किया जाता है कि उक्त घोजना में ग्राम पिपलदहा गढ़ की ग्र. नं. 9612 की भूमि भी अपरिवर्त्तित है।

(326-३१.)

દિનાંક ૧૩ જાન્યુઆરી ૧૯૮૫

क्र. 363.—मध्यप्रदेश नगर तथा प्रांग निवेद आवृत्तिग्रन्थ
मा. 1973 (फर्म क्र. 23, मत् 1973) को धारा ५० की अधारा (4)
के अनुसार इलाई निवेद क्षय गेजे पर्याप्त संपर्क संभव न होने के पास
प्रांग भूमि के लिये इन्हीं विद्यालय प्राधिकारी द्वारा दस्तखताप्राप्त
दराए विद्यालय की तरह एकल ५५ की तात्त्विकता की धारा ५० (5)
के अनुसार दराए दराए तात्त्विकता की तात्त्विकता की तात्त्विकता की तात्त्विकता की
दराए दराए

एवं अस्ति देवता के अधिकार नव्वर २२२ पृष्ठ २७३ पृष्ठ उपर्याप्त
करने के लियाह।

प्रा क्षमांक ७४ की चल सीमा

उत्तर.—जैल का वगीचा

दिल्ली-प्रकाश नगर

पूर्व.—साजन नगर का कल्पना पहुँच मात्र।

परिचय.—वस्त्रई-आगारा राजपार्ग स्थित सिटी लाईट होटल
चौराहा।

1. एक विद्युत वितरण का नियन्त्रण उपकरण कहा जाता है।

१. दृष्टिकोण विभागीय, १५-१६ बवाहर मार्ग, इन्दौर।
 २. संघर्षक धनात्मक, नगर एवं सारमोज नियोजन विभाग, गोपिंदा कुमार द्वारा देशभर में लानी।

3. आर्याविक विषय वर्णन

जरूर नगर विकास योजना विज्ञप्ति के रास्तें में प्रकाशित होती हैं जो दिनांक से प्रभावित होती हैं।

(625-वी)

वर्षांग वास,

अन्य सूचनायें

भारतीय भाषीदारी इविविद्यम्, 1932 की धारा 72 के अनुरूप

भूमित किया जाता है कि फर्म मीडी स्ट्रोन, एरकोटा वाई, माइक्रो
से (1) श्री मणीलाल एवं (2) श्री मुगुलाल रेड्डीजी से उनके
31-32-33 में विवाह हो चक्र रेड्डी ने उनकी गाँव में दृष्टि देखा।
पै (1) श्री रघुवर्णन एवं (2) श्री बृही एवं एक अन्य दो विवाहाई के बाकी सामाजिक घटनाओं करता है।

(332-47.)

३०५

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर
दिनांक 1 मई 1984

क्र. 381.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में के आगरा-बांधे रोड पर मेडिकल कॉलेज के सामने की भूमि का विकास करने के हेतु जो प्राप्त योजना राजपत्र दिनांक 12 फरवरी 1982, भाग 3(1) पृष्ठ क्रमांक 329 पर नियमानुसार प्रकाशित की थी उसे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 6 फरवरी 1984 में उल्लेखित संशोधनों के साथ अनुमति प्रदान की है अतः उक्त योजना क्रमांक 92 को उक्त विधान की धारा 50 (3) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा नियमानुसार प्रकाशित की जाता है एवं यह सूचित किया जाता है कि निम्न चतुर्भुज में वित्तीय भूमि योजना में समाविष्ट है:—

उत्तर में—आगरा-बांधे मार्ग, तथा भनोसलामंज, स्ट्रीट नंबर 5 का अवयात.

पूर्व में—पुरानी तिहोर रोड.

पश्चिम में—एन्डल पी. डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस के सामने के मार्ग से लेकर भनोसलामंज स्ट्रीट नंबर 5 जो आगरा-बांधे मार्ग को घिलता है।

परिचय—आगरा-बांधे मार्ग।

टीप—प्राधिकारी द्वारा इस योजना क्रमांक 92 के सम्बन्ध में पूर्व में प्रवर्णित प्राप्त योजना को इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया है जि. सेल्लल पी. डब्ल्यू. डी. के अधीनपत्र की भूमि एवं अधिकारी नंबर 84, ग्रेडलॉज इण्डिया का भवन एवं उसके प्राप्तीकरण भूमियों नगर निवेश सिद्धान्तों के अनुसार गोवर्णक है उस समादित नहीं किया जावेगा एवं शेष भूमि राप्तादित की जावेगी।

उक्त योजना एवं आदेश दिनांक 6 फरवरी 1984 की प्रतियां कार्यालयों में कार्यालयों समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:—

1. इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर।
 2. उक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शांकपुर कोटी, बांधे-आगरा रोड इन्दौर।
 3. नगरसालिक निगम, इन्दौर।
- उक्त नगर विकास योजना इस विवरण के राजपत्र में प्रकाशित होते के दिनांक से प्रवतित होगी।

(55-वी).

दिनांक 1 मई 1984

क्र. 382.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में के ग्राम विजलपुर, तेजपुर, गडवडी, पिपल्याराव

एवं हुकमाखेड़ी के लिये इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित नगर विकास योजना क्रमांक 97 को उक्त विधान की धारा 50 (1) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है एवं सूचित किया जाता है कि उक्त योजना क्रमांक 97 में निम्न मुजब खसरा नंबरों की भूमि समाविष्ट है:—

पार्ट 1, ग्राम विजलपुर, खसरा नंबर—60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,

पार्ट 2, ग्राम तेजपुर गडवडी, खसरा नंबर—297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,

पार्ट 2, ग्राम पिपल्याराव, खसरा नंबर—192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 242 पार्ट, 244, 245 पार्ट, 247 पार्ट, 248 पार्ट, 250 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 255 पार्ट, 256, 257,

पार्ट 3, ग्राम तेजपुर गडवडी, खसरा नंबर—80, 81, 82,

पार्ट 4, ग्राम तेजपुर गडवडी, खसरा नंबर—8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पार्ट, 101, 102, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 376, 377, 378 पार्ट, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 392, 393, 394, 395,

पार्ट 4, ग्राम हुकमाखेड़ी, खसरा नंबर—612, 7, 1412, 15, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 210, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79 पार्ट, 84 पार्ट, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। 1, 95। 2, 100 पार्ट, 10। 12, 10। 13, 102, 103, 104। 1, 104। 2, 104। 3, 104। 4, 105। 1, 109 पार्ट, 110, 111, 112। 1, 112। 2, 112। 3, 112। 4, 112। 5, 113 पार्ट 114, पार्ट, 116, 117:

ट्रोप- योजना में समाविष्ट उपरोक्त भूमि पैकि एसी भूमि जो योजना घोषित होने के पूर्व रजिस्टर्ड को-प्रॉपरेटिव सोसायटी द्वारा प्राप्त कर ली है उसका निजि विकास 2 वर्ष की अवधि में नगर तथा शासी नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार करने को स्वीकृति दी जावेगी।

उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं—

1. इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर।

2. संयुक्त संचालक, नगर एवं प्रामाणी नियोजन विभाग शासी प्रभागलेखक, बाम्बे-अगरा रोड, इन्दौर।

3. उपरिक्त निगम, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञिति के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

अशोक दास,

मुख्य कार्यपालिका अधिकारी।

कार्यालय आयुक्त; नगर पालिका निगम, ग्वालियर।

दिनांक 1 भार्च 1984

1. नगरपालिका निगम परिषद, ग्वालियर के ठहराव क्रमांक 1। 2, दिनांक 3 जूनवरी 1984 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 427 (15) के अधीन "वाहन यात्रों के सार्वजनिक स्थल पर खड़ा करने सम्बन्धी अनुमति उपविधियों 1984 नगरपालिका निगम, ग्वालियर" का प्रारूप तैयार किया बाकर स्वीकार किया जा चुका है, इन उपविधियों का प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 429 के अधीन सार्वजनिक जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

2. उक्त तथा आपत्तियां राजपत्र में सूचना के प्रकाशन के दिनांक से पूर्व इन्हीं द्वारा कार्यालय संस्थ में कार्यालय आयुक्त, नगरपालिका निगम ग्वालियर में दी जा सकती है। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उपविधियों की प्रतिलिपियां कार्यालय समय में निगम कार्यालय में प्रकाशित के दिनांक से एक मास तक सार्वजनिक निरीक्षण के लिये निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

3. प्रारूप उपविधियों पर अन्तिम रूप से विचार सूचना के प्रकाशन के दिनांक से कम से-कम ३० दिनों तक जावेगा।

उपविधियां प्रारूप

1. यह उपविधियां वाहन यात्रों के सार्वजनिक स्थल पर खड़ा करने सम्बन्धी नियमत उपविधियों 1983 नगरपालिका निगम, ग्वालियर कहलाएँगी।

2. (1) ये उपविधियां मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी। (2) इन उपविधियों के ठीक पूर्व प्रकृत उपविधियां, नियम, आदेश इन उपविधियों के नियमों से सम्बन्धित, बनाये गये, जारी किये गए निरस्त समझे जावेगे, किन्तु कोई भी उनके अधीन किया गया कार्य जब तक कि इनसे असंगत न हो, वैध रहेगा।

3. इन उपविधियों के आशय के लिए—

(अ) अधिनियम से तात्पर्य नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 से है।

(ब) वाहन से मोटर कार, मोटर ट्रक, ट्रैक्सी, वैर्सिकिल तांगा, साइकिल, रिक्षा एवं अन्य वाहनों की मोटर साइकिल, ट्राई सिकिल सम्मिलित होने जाएंगे।

4. (1) नगर निगम द्वारा स्वीकृत स्थानों पर ही वाहनों को खड़ा किया या रोका जाएगा या पार्किंग किया पार्किंग के लिए अनुमति स्थानों पर निगम द्वारा पटियाला जावेगी।

(2) उपविधि क्र. 4 (1) में स्वीकृत स्थानों तथा लिये अनुमति स्थानों पर वाहन खड़ा करने या पार्किंग करने किन्हीं स्थानों के लिये शुल्क निर्धारित किया जाता है तो उक्तान वाहन खड़ा करने वाले या पार्किंग करने वाले अनिवार्य होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक स्थान पर या वाहनों या अपने अधिष्ठित में किए हुए या चलाये जाने वाहन नहीं करेगा न रोकेगा और त पार्किंग चलेगा या करने कि इस आशय के लिये नगर निगम, ग्वालियर के आयुक्त ने सार्वजनिक सड़क को पार्किंग के लिए स्टिक्का द्वारा न किया हो। (4) यदि कोई व्यक्ति उपविधि

4 (1) (2) (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उक्त निगम ग्वालियर आयुक्त को अधिकार होगा कि तुटियां दें। कोई व्यक्ति दिये दिये अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वाहन या वाहनों को देंसे सार्वजनिक स्थानों से हटवा दे। (5) ऐसे वाहन या वाहनों को नगर निगम ग्वालियर द्वारा अभियोजन के लिए अथवा निगम के आयुक्त के विवेकानुसार उचित समझौता शुल्क देने पर समझौता किये जाने के लिये अपने कब्जे में लिया जा सकेगा।

5. कोई व्यक्ति जो उपविधि क्र. 4 का उल्लंघन करता है वह रुपये 500 तक अर्थ दण्ड से दण्डनोम होगा। यदि इसके पश्चात् भी वह उल्लंघन जारी रखता है तो अतिरिक्त अर्थदण्ड जो रुपये 50 प्रतिदिन के दृष्टिकोण से उल्लंघन जारी रहने के दिनों तक आयद किया जा सकता है। उल्लंघन जारी रहने के दिनांक से कियां जा सकेगा।

(54-वी.)

1	2	3	4	1	2	3	4
	रूपये				रूपये		
षष्ठम पुर- स्कार.	1	प्रथम पुरस्कार के अंतिम एक अंक पर सभी सीरीज में.	7		आई.आर.	4497	
सप्तम पुर- स्कार.	0.50	प्रथम पुरस्कार के अंतिम अंक का अगला अंक सभी सीरीज में.	8		आई.एस.	5095	
विक्रेता पुर- स्कार (काउ- न्टरफाइल).	15				आई.टी.	9276	
		आई.एन.	2813		आई.यू.	6099	
		आई.ओ.	1844		आई.ब्ही.	1277	
		आई.पी.	2578		आई.डब्ल्यू.	2321	
		आई.क्यू.	1311		आई.एक्स.	6881	
				(1862)		आई.वाय.	—
						आई.जे.ड.	—
							एन. ए. हरद्वले, उप-सचालक.

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

वार्षिक इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर

दिनांक 22 जून 1983

इन्दौर विकास स्कीम क्रमांक 97 के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 294—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश प्रभाग, विज्ञप्ति, दिनांक 10 जुलाई 1981 के पृष्ठ क्रमांक 1225 पर प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 126, दिनांक 21 मई 1981 के संदर्भ में एतद्वारा वह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा 3 के अधीन निम्न चतु: सीमा के ग्रन्दर की भूमि के संबंध में नगर विकास योजना क्रमांक 97 भाग-1, 2, 3 एवं 4 का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 97 (भाग-1) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर.—कांकड़ तेजपुर गड़बड़ी

दक्षिण एवं पूर्व.—आगरा-बम्बई मार्ग एवं अन्तपूर्णा रोड का मिलन बिन्दु एवं आगरा-बम्बई मार्ग।

पश्चिम.—ग्रन्तपूर्णा रोड (राजेन्द्र नगर ताके से तेजपुर गड़बड़ी कांकड़ तक) उक्त क्षेत्र में तेजपुर गड़बड़ी कांकड़ की भूमि सम्मिलित है।

योजना क्रमांक 97 (भाग-2) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर-पश्चिम.—आगरा-बम्बई मार्ग का भाग (तेजपुर गड़बड़ी, कांकड़ से माणिकबाग रोड मिलन बिन्दु तक)।

दक्षिण.—कांकड़ विजलपुर तथा कांकड़ के बाद पिपल्याराव के खसरा नंबर 211, 216, 225, 243।

पूर्व.—पिपल्याराव ग्राम के खसरा नंबर 191, 190, 189, 258 257, 255, 254, 253, 250, 24811, 24812, 24813, 247, 242 (सभी के हिस्से)।

योजना क्रमांक 97 (भाग-3) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर.—तेजपुर गड़बड़ी के खसरा नंबर 79 की सीमा।

दक्षिण.—विजलपुर कांकड़

पूर्व.—रेलवे लाइन

पश्चिम.—अन्तपूर्णा रोड।

योजना क्रमांक 97 (भाग-4) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर.—इन्दौर से आनेवाला रास्ता जो सिरपुर कांकड़

हुवा आगे अहीरखेड़ी को जाता है।

दक्षिण.—कांकड़ ग्राम राऊ।

पश्चिम.—कांकड़ अहीरखेड़ी तथा विजलपुर खसरा नंबर 61,

5, 13, 16, 21।

पूर्व.—ग्रन्तपूर्णा रोड व आगरा-बम्बई मार्ग विन्दु से उत्तर दक्षि-
उसी रोड से विजलपुर कांकड़ तथा तेजपुर गड़बड़ी क्षेत्र के
खसरा नंबर 31 तक तथा आगे खसरा नंबर 44 तेजपुर
गड़बड़ी का रास्ता जो आगे उत्तर में सिरपुर को जाता है तथा
हुवाखेड़ी खसरा नंबर 78, 79, 84, 181, 182, 97,
9511 (हिस्सा) 10113 (हिस्सा), 10115 (हिस्सा),
10512, 106, 108, 115, 117 हिस्सा तथा विजलपुर
खसरा नंबर 105, 103, 276, 277, 285, 294, 350,
343, 378, 388, 389 ताले तक।

उक्त नगर विकास स्कीम के प्रारूप की एक प्रति-निम्न कार्यालयों
में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

- इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16 जवाहर मार्ग, इन्दौर।
- संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग,
शापिंग काम्पलेक्स, बाम्बे-आगरा रोड, इन्दौर।

टेपडर नोटिसेज

शुद्धि-पत्र

क्र. 18183-84.—शासकीय महाविद्यालय, गंज बासोदा के निर्माण कार्य की निविदा सूचना क्रमांक 18183-84 जो इस कार्यालय के पृष्ठान्त क्रमांक 4853, दिनांक 24 मई 1983 द्वारा जारी की गई थी, में निविदा देन की संविदाकारों की श्रणि का “अ-एक” से “अचार” पहा जावे।

निविदा की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगी।

आर. लाहोटी

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग सम्प्रभाग विदिषा

(1940)

लोकल कास्ट्रीटिटिव विडियो

सन् 1983-84—आमंत्रण—लिम्नोलिक्षित कार्यों के निर्माण हेतु आइटम रेट्स पर मुहरखात्र निविदायें मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से आमंत्रित की जाती हैं—

कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि	बयाने की राशि	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
2	3	4	5	6
बुड़ाला बांध के दाहिने तट पर वेस्ट-विपर का निर्माण।	(लाख रुपये)	रुपये		
	7.02	5,265	9 माह वर्षाकाल सहित	म-2 से श्र-4.

विशेष ध्यानाकरण हेतु—मध्यप्रदेश शासन, सिचाई विभाग में उपरोक्त विवरण के अनुसार पंजीकृत थेणी के टेकेदार कार्य के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं ये निविदाएँ अपंजीकृत ठे केदार तथा प्रतिष्ठित फर्मों जिन्होंने समान प्रकार व परिमाण के कार्ड सफलतापूर्वक किये हैं, से भी प्राप्त की जावेंगी। ऐसे ठेकेदारों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निविदा स्वीकृत होने के पूर्व या निविदा प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर जी भी अवधि में हो उसमें उचित थेणी में अपना पंजीकरण करा लें। ऐसा न करने पर बयाने की राशि जप्त कर निविदा निरस्त मानी जावेंगी।

निविदा प्रपत का कथा—निविदा प्रपत कार्यपालन यंत्री, सिचाई विभाग, मुलताई, जिला बैतूल, म. प्र. के कार्यसिलिय से दिनांक 24 जून 1983 18 जुलाई 1983 तक रुपये 40 प्रति सेट (दो प्रपत) जा निविदा देने हेतु आवश्यक है विक्रम के लिये उपलब्ध रहेंगे जिसके लिये नगद या एड ड्राइ स्टेट बैंक प्राप्त अंडिया, मुलताई या मनी-आर्हर जो कि कार्यपालन यंत्री, सिचाई विभाग, मुलताई, जिला बैतूल को देय होगी कार्यसिलिय करना होगा यदि निविदा प्रपत लाक ड्वारा चाहिये तो डाक खाच का रजिस्टरी हेतु रुपये 15.00 (पत्रह रुपये) अतिरिक्त देय होगा अतिरिक्त निविदा प्रपत अधिकतम दस प्रतियों तक प्रति प्रपत रु. 40 (चासीस रुपये) की दर से प्राप्त किये जा सकेंगे, निविदा प्रपतों का मूल्य किसी प्रतिरिस्त्यातियों में वापिस नहीं किया जायेगा।

निविदा पूर्व बैठक.—निविदा देने हेतु अधीक्षण यंत्री, सिचाई मंडल, संघवा (म.प्र.) के कार्यालय में दिनांक 21 जूलाई 1983 को अपराह्न 3 बजे निविदा पूर्व बैठक आयोजित की जावेगी। इच्छुक निविदाकारों निविदा शर्तों तथा कार्ड के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा का प्रस्तुतीकरण.—निविदा अधीक्षण यंत्री, सिचाई मंडल, संघवा, भव्यप्रदेश के कार्यालय में दिनांक 29 जूलाई 1983 को दोपहर 3 बजे तक प्राप्ति की जावेगी। अगर निविदा किसी भी कारणवश देरी से प्राप्त होती है तो उसे बिना खोले हए निविदाकार को लीटा दी जावेगी।

तार हारा तिविदा ध्रुमान्य कर दी जावेगी।

निविदायें प्राप्त होने के दिन ही अप्राह्ण 3-15 बजे इकलौतुनि निविदायाएं निवारण कर दी जाती हैं।

किस से संपर्क करें—इच्छुक निवादकारों आवश्यक एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यपालन यंत्री, सिचाई विभाग, मुलताई एवं ग्रीष्मकारी गृहाला धांध अनुबिभाग, धांध स्थल बुन्डाला से सम्पर्क कर सकते हैं।

एम. एल. रघुवंशी,
कार्यपालन घंटी, सिच्छाई विभाग, मूलताई.

यात्रिय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर

दिनांक 21 मई 1981

क्र. 126.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा 2 के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वाया यह प्रकाशित एवं प्रोत्तिष्ठित किया जाता है कि इन्दौर विकास प्राधिकारी निम्न क्षेत्र से सम्बन्धित भूमि के बावजूद निम्नानुसार नगर विकास योजना बनाने का आशय खट्टा है:—

योजना क्रमांक 97 (भाग 1) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर.—कांकड़ तेजपुर गड़बड़ी.

पश्चिम तथा पूर्व.—प्राप्ता-बम्बई मार्ग एवं अन्नपूर्णा रोड का मिलत बिन्दू एवं आग्रा-बम्बई मार्ग.

पश्चिम.—अन्नपूर्णा रोड (राजेन्द्र नगर नाम से तेजपुर, गड़बड़ी तक).

उक्त क्षेत्र में तेजपुर गड़बड़ी कांकड़ की भूमि सम्मिलित है.

योजना क्रमांक 97 (भाग 2) के क्षेत्र का विवरण

पूर्व-पश्चिम.—प्राप्ता-बम्बई मार्ग का भाग (तेजपुर गड़बड़ी कांकड़ से उत्तराधिक बाग रोड भिलन विन्दु तक).

दक्षिण.—कांकड़-विजलपुर तथा कांकड़ के बाद पिपल्याराव के घट्टुमुखी भर 211, 216, 225, 243.

पूर्व.—पिपल्याराव ग्राम के खसरा नंबर 191, 192, 189, 258, 257, 255, 254, 253, 250, 247, 242 (सभी के हिस्से).

योजना क्रमांक 97 (भाग 3) के

उत्तर.—तेजपुर गड़बड़ी से ख. नं. 79

—विजलपुर कांकड़.

पूर्व.—रेलवे लाइन,

पश्चिम.—अन्नपूर्णा रोड.

योजना क्रमांक 97 (भाग 4) का क्षेत्र का विवरण

उत्तर.—इन्दौर से आने वाला रास्ता जो सिरपुर कांकड़ से होता हुआ आगे अहिरखेड़ी को जाता है.

दक्षिण.—कांकड़ ग्राम राऊ.

पूर्व.—कांकड़ अहिरखेड़ी तथा विजलपुर, ख. नं. 61112, 5, 3, 16, 21.

पूर्व.—अन्नपूर्णा रोड व आग्रा-बम्बई मार्ग विन्दू से उत्तर की ओर उसी रोड से विजलपुर कांकड़ तथा तेजपुर, गड़बड़ी, क्षेत्र के ख. नं. 31 तक तथा आगे ख. नं. 44 तेजपुर, गड़बड़ी का रास्ता जो आगे उत्तर में सिरपुर को जाता है तथा हुक्साखेड़ी ख. नं. 78, 79, 84, 181, 182, 97, 95। (हिस्सा), 10113 हिस्सा, 10115 (हिस्सा), 105। 2, 106, 108, 115, 117 हिस्सा तथा विजलपुर ख. नं. 105, 103, 276, 277, 285, 294, 350, 343, 378, 388, 389 तक.

बार. सी. चूध,

(११-वी.)

मुख्य कार्यपालिक अधिक, सह मुख्य अधिकारी।

कार्यालय, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, खजुराहो

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारण, खजुराहो, जिला छतरपुर के निवासियों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र में विक्री के लिये बाजार में माल प्रदान करने वाले व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 69 के खण्ड (ग) के अधीन बाजार फीस अधिरोपित करना चाहता है जो कि, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (एक) के खण्ड (सात) में यथा विनिर्दिष्ट है। उक्त व्यक्तियों का वर्ग, जिन पर कर संगत जाना प्रस्तावित है, अधिरोपित किये जाने वाले कर कीदर एवं निवारण तथा संग्रहण के लिये अपनाई जाने वाली पद्धति में इसमें संलग्न प्रस्ताव में निर्धारित की गई है। प्रस्तावित करके सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, खजुराहो का कोई भी निवासी इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होते के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति मुख्य कार्यपालन प्राधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, खजुराहो को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा, जिस पर उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा:—

संकल्प

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, खजुराहो एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 69 के खण्ड (ग) के अधीन विशेष क्षेत्र के उन व्यक्तियों पर बाजार फीस जो राज्य शासन या विशेष के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार में या किसी स्थान में विक्री के लिये माल प्रदान करते ही जीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित दर से आरोपित की जावेगी और जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, खजुराहो को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को चुकाई जावेगी:—

अनुसूची

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित कर की दर	रुपये
1.	गल्ला ट्रूक	• •	20.00
2.	गल्ला ट्रैक्टर ट्रॉली	• •	10.00
3.	गल्ला गाड़ी	• •	2.00
4.	जूते की भरमत	• •	0.50
5.	सिक्कीगिर	• •	0.50
6.	विसातखाना	• •	1.00
7.	किराना	• •	2.00
8.	तम्बाकू फृटकर	• •	3.00

1	2	3	4	1	2	3	4
	स्थपते				स्थपते	आई.आर.	4497
षष्ठम पुर- स्कार.	1 प्रथम पुरस्कार के अन्तिम एक अंक पर सभी सीरीज में.	7			आई.एस.	5095	
सप्तम पुर- स्कार.	0.50 प्रथम पुरस्कार के अंतिम अंक का अगला अंक सभी सीरीज में.	8			आई.टी.	9276	
विक्रेता पुर- स्कार (काउ- न्टरफाइल).	15	आई.एन. आई.ओ. आई.पी. आई.क्यू.	2813 1844 2578 1311		आई.यू. आई.च्छी. आई.डब्ल्यू. आई.एक्स. आई.वाय. आई.जेड.	6099 1277 2321 6881 15	
				(1862)		एन. ए. हरदले, उप-सचिवालक.	

स्थानीय संस्थाओं की सूचनायें

प्राधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर

दिनांक 22 जून 1983

विकास स्कीम क्रमांक 97 के प्रकाशन की सूचना

क्र. 294.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जूलाई 1981 के पृष्ठ क्रमांक 1225 पर प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 126, दिनांक 21 मई 1981 के संदर्भ में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा 3 के अधीन निम्न चतु: सीमा के अन्दर की भूमि के संबंध में नगर विकास योजना क्रमांक 97 भाग-1, 2, 3 एवं 4 का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 97 (भाग-1) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर.—कांकड़ तेजपुर गड़वड़ी

प्रक्षिण एवं पूर्व.—आगरा-बम्बई मार्ग एवं अन्तपूर्णा रोड का मिलन बिन्दु एवं आगरा-बम्बई मार्ग।

पश्चिम.—अन्तपूर्णा रोड (राजेन्द्र नगर नाम से तेजपुर गड़वड़ी कांकड़ तक) उक्त क्षेत्र में तेजपुर गड़वड़ी कांकड़ की भूमि सम्मिलित है।

योजना क्रमांक 97 (भाग-2) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर-पश्चिम.—आगरा-बम्बई मार्ग का भाग (तेजपुर गड़वड़ी कांकड़ से माणिकबाग रोड मिलन बिन्दु तक)।

दक्षिण.—कांकड़ विजलपुर तथा कांकड़ के बाद पिपल्याराव के खसरा नंबर 211, 216, 225, 243.

पूर्व.—पिपल्याराव ग्राम के खसरा नंबर 191, 190, 189, 258 257, 255, 254, 253, 250, 24811, 24812, 24813, 247, 242 (सभी के हिस्से)।

योजना क्रमांक 97 (भाग-3) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर.—तेजपुर गड़वड़ी के खसरा नंबर 79 की सीमा।

दक्षिण.—विजलपुर कांकड़

पूर्व.—रेत्वे लाइन

पश्चिम.—अन्तपूर्णा रोड।

योजना क्रमांक 97 (भाग-4) के क्षेत्र का विवरण

उत्तर.—इन्दौर से आनेवाला रास्ता जो सिरपुर कांकड़

हुवा आगे अहीरखेड़ी को जाता है।

दक्षिण.—कांकड़ ग्राम राज.

पश्चिम.—कांकड़ अहीरखेड़ी तथा विजलपुर खसरा नंबर 61, 5, 13, 16, 21.

पूर्व.—अन्तपूर्णा रोड व आगरा-बम्बई मार्ग बिन्दु से उत्तर इही ओर उसी रोड से विजलपुर कांकड़ तथा तेजपुर गड़वड़ी क्षेत्र के खसरा नंबर 31 तक तथा आगे खसरा नंबर 44 तेजपुर गड़वड़ी का रास्ता जो आगे उत्तर में सिरपुर को जाता है तथा हुकमाखेड़ी खसरा नंबर 78, 79, 84, 181, 182, 97, 9511 (हिस्सा) 10113 (हिस्सा), 10115 (हिस्सा), 10512, 106, 108, 115, 117 हिस्सा तथा विजलपुर खसरा नंबर 105, 103, 276, 277, 285, 294, 350, 343, 378, 388, 389 तक।

उक्त नगर विकास स्कीम के प्रारूप की एक प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16 जवाहर मार्ग, इन्दौर।

2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शार्पिंग काम्पलेक्स, बम्बई-आगरा रोड, इन्दौर।

३. नगर पालिक नियम, इन्दौर

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो इस योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ३० दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो (यदि वह ऐसी बांधा करें) तो उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा.

अशोक दास,

मूल्य कार्यपालिक अधिकारी.

(1872)

टेप्हर नोटिसेज

शुद्धि-पत्र

क्र. 18183-84.—शासकीय महाविद्यालय, गंज बासोदा के निर्माण कार्य की निविदा सूचना क्रमांक 18183-84 जो इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 4853, दिनांक 24 मई 1983 द्वारा जारी की गई थी, में निविदा देने की संविदाकारों की श्रेणी का "अ-एक" से "अचार" पढ़ा जावे.

निविदा की अन्य शर्तें एवं नियम मध्यवत रहेगी।

आर. लाहोटी,
कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग सम्भाग, विदिशा।

(1940)

लोकल काम्पीटिटिव बिडिंग

हिन्दी, सन् १९८३-८४—आमंत्रण—लिस्टलिखित कार्यों के निर्माण हेतु आइटम रेट्स पर मुहरवन्द निविदायें मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से आमंत्रित की जाती हैं—

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि	बयाने की राशि	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
2	(लाख रुपये)	3	4	5	6
बुन्डाला बांध के दाहिने तट पर बेस्ट-चियर का निर्माण।	7.02	5,265	9 माह वर्षाकाल सहित	अ-२ से अ-५	

विशेष ध्यानानुरूप हेतु—मध्यप्रदेश शासन, सिचाई विभाग में उपरोक्त विवरण के अनुसार पंजीकृत श्रेणी के ठेकेदार कार्य के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं ये निविदायें अपांजीकृत ठेकेदार तथा प्रतिशिल्ड फर्मों जिन्होंने समान प्रकार व प्रसिद्धान के कार्य सफलतापूर्वक किये हों, से भी प्राप्त जिन्हें हो उसमें उचित श्रेणी में अपना पंजीकरण कराते हैं। ऐसा न करने पर वयने की राशि जप्त कर निविदा निरस्त मार्गी जावेगी।

निविदा प्रपत्र का कथ—निविदा प्रपत्र कार्यपालन यंत्री, सिचाई विभाग, मुलताई, जिला बैंगुल, म. प्र. के कार्यालय से दिनांक 24 जून 1983 तक रुपये 40 प्रति सेट (दो प्रपत्र) जो निविदा देने हेतु आवश्यक है विक्रप के लिये उपलब्ध रहेंगे जिसके लिये सगद या छड़ ड्राइ स्टेट बैंक आफ इंडिया, मुलताई या भर्नी-ग्राहार जो कि कार्यपालन यंत्री, सिचाई विभाग, मुलताई, जिला बैंगुल को देय होगी कार्यालय तो करना होगा यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा चाहिए तो डाक संचयन-रजिस्टरी हेतु रुपये 15.00 (पद्धत रुपये) अतिरिक्त देय होगा अतिरिक्त रुपये 1.00, तक प्रपत्र अधिकतम दस प्रतिवर्षों तक प्रति प्रपत्र रु. 40 (चालीस रुपये) की दर से प्राप्त किये जा सकेंगे, निविदा प्रपत्रों का मूल्य किसी

निविदा पूर्व बैठक—निविदा देने हेतु अधीक्षण यंत्री, सिचाई मंडल, खण्डवा (म. प्र.) के कार्यालय में दिनांक 21 जूलाई 1983 को अपराह्न ३ बजे निविदा पूर्व बैठक आयोजित की जावेगी इच्छुक निविदाकारों निविदा शर्तों तथा कार्य के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। निविदा का प्रस्तुतीकरण—निविदा अधीक्षण यंत्री, सिचाई मंडल, खण्डवा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में दिनांक 29 जूलाई 1983 को दोपहर ३ बजे तक प्राप्त की जावेगी। अगर निविदा किसी भी कारणशादेरी से प्राप्त होती है तो उसे बिना खोले हुए निविदाकार को लौटा

तार द्वारा निविदा अमात्य कर दी जावेगी।

निविदायें प्राप्त होने के दिन ही अपराह्न ३-१५, बजे इच्छुक निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

किस से संपर्क करें—इच्छुक निविदाकारों आवश्यक एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यपालन यंत्री, सिचाई विभाग, मुलताई एवं अनुविभागीय अधिकारी गुन्डाला बांध अनुविभाग, बांध स्थल बुन्डाला से सम्पर्क कर सकते हैं।

(1913)

इम. एल. रघुवंशी,
कार्यपालन यंत्री, सिचाई विभाग, मुलताई।

पार्ट 1]

नव्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 वर्षाय 1980

संख्या ११९६

1924

क. ४३३५-प्रजन-ए—गे कि एकम अलग कार्ड पर यह जाति का समाधान हो गया है कि नंबर १०१ गई सबसे ऊपरी नंबर ११) में वर्णित भौतिकी अनुभूति के लिए (२) में उल्लेखित आवश्यकता के बराबर भौतिक विवरण हैं। यहाँ भौतिक विवरण, १४९४ (अधारक एक रात् १६७१) की घटिक में अन्यथा इनमें कामना गई घोषित किया जाता है कि वर्तमान भौतिकी विवरण के लिए आवश्यकता है—

अनुभूति

(१) भौतिक वर्णन—

(क) विस्तृत—इन्द्रीर

(ख) विस्तृत—इन्द्रीर

(द) विस्तृत—चित्तावद

(५) तमसग धेनपत्र—३२, १०४ हैंडर

विस्तृत भौतिक

रक्तवा
(हेड्सेग)

(१)

(२)

८१ पाठे	३, ५००
८२ पाठे	०, ६५०
८३ पाठे	०, ००१
८४ पाठे	३, १८०
८५१ गटे	
८५१२	
९५१३	
९५१४	
९५१५	
९५१६	१, ७८०
९५१७	
९५१८	
९५१९	
९६१२१	
९६१२३	०, ०९७
९६१२४	०, ०९७
९७१०२	०, ००७
९७१२०२	०, ००
९७१२१०२	०, ०६५
९७१११०२	१, ३४९
९७१२	०, १७३
९७१३	१, ०६६
९७१४	१, ३३५
९७१५	१, ०८४
९७१२	०, २६३
९७१३	०, ०६१
९७१४	०, ०५१
९७१५	०, ०३३
९७१६	०, ०५७
९८१०२	०, ३२४
९८११०२	१, ०५२
९८१२०२	१, ००४
९८१२१०२	०, ०४१
९८१२२०२	०, १७८
९८१३०२	०, १४४
९८१४०२	०, १७८
९८१५०२	०, १४४
९८१६०२	०, १४३
९८१७०२	०, १७८
९८१८०२	०, १४३
९८१९०२	०, १०४
९८१२०२	१, २३६
९८१३०२	०, ५५०
९८१४०२	०, ४४०
९८१५०२	०, ५७५
९८१६०२	०, ९९५
९८१७०२	०, ५०९
९८१८०२	०, ५३०
९८१९०२	०, १०४
९८१२०२	३२, १०४

(१)

(२)

११५१२०	०, १२९
११५१३	०, ०५७
११५१४०२	०, ६४४
११५१५०२	०, २५४
११५१६०२	०, २९१
११५१७०२	०, ०२४
११५१८०२	१, ०४४
१३२	०, २७१
१३३	०, ००५
१३४	०, १५६
१३५०२	०, ०१२
१३६	०, ०२४
१३७	०, ०२०
१३८०२	०, ३०४
१४०१११२०२	०, ०१६
३२८१२०२	०, ०४४
३२८१३	०, २२०
३२८१४	०, १२१
३३००७०२	०, ०१२
३३११	०, ०६५
३३११२	०, ३५०
३३२११०२	०, ०२८
३३२१२	०, २६३
३३३	०, ५६२
३३४०१०२	०, ०२३
३४१११०२	०, १७४
३४११२	०, ६२४
३४२१२०२	०, १७४
३४५११०२	०, ३४४
३४५१२	०, ८३३
३४६०१०२	१, २३६
३४७	०, ५५०
३४८१११०२	०, ४४०
३४९०१०२	०, ५७५
३५०	०, ९९५
३५१११०२	०, ५०९
३५११२०२	०, ३३०
३८१११०२	०, १०४

(२) आवश्यक विवरण का वर्णन निम्नों लिखे आवश्यकता है—इन्द्रीर विस्तृत प्राथमिकता, जी गोप्ता या इन दोनों विवरणों के आवश्यक हैं।

(३) भौतिक विवरण (कार्ड) को विवरण का आवश्यकता है।

मन्त्रालय के दायरावाले के चाहे भौतिक आदेशानुसार,
गोप्ता विवरण, जी गोप्ता या इन दोनों विवरणों का आवश्यक है।

भाग (1)-

मध्यप्रदेश यात्रावर, विदेशी ५ वर्षात् १९८०

1929

(1)	(2)	(1)	(2)
6671	0.437	859	0.097
6672	0.453	870	0.142
688	0.429	871	0.067
6891	0.213	872 परं	0.089
6892	0.135	8731 परं	0.219
690	0.316	8732 परं	0.040
691	0.165	8921	1.428
692	0.159	8922	0.105
6931	0.131	898	0.178
6932	0.092	125911	0.251
6933	0.091	125912 परं	0.069
694	0.154	1260 परं	0.397
695	0.219	1261 परं	0.166
696 परं	0.323	1262 परं	0.206
697 परं	0.074	1263	0.202
698 परं	0.041	126411 परं	0.199
719111 परं	0.243	126412 परं	0.174
720111	0.093	1265 परं	0.243
7291112 परं	0.081	1266	0.749
78811 परं	0.142	1267	0.081
78813 परं	0.143	126811	0.364
789	0.314	126812	0.231
790	2.275	126911508 परं	0.020
79011445	0.081	126911521	0.081
79011453	0.061	1269	0.458
791 परं	11.392	1270	0.019
813 परं	0.438	1271	0.664
814	0.049	1272	0.170
815	0.233	127211484 परं	0.121
816 परं	4.512	1273	0.243
817 परं	0.034	1274 परं	0.405
834 परं	0.162	127411522	0.101
836 परं	0.312	1275	0.304
837	0.308	1276 परं	0.517
838	0.190	1277	0.171
839	0.348	1278	0.121
840	0.441	1279	1.015
841	0.251	1280	0.798
84111455	0.072	1280/2453	0.534
842	0.036	1281 परं	0.368
843	0.109	1282 परं	0.316
844	0.210	1283	0.526
845	0.243	1284 परं	0.373
846	0.105	128512 परं	0.211
847	0.450	128513 परं	0.296
848 परं	0.373	128514 परं	0.174
851 परं	0.238	1291 परं	0.041
852 परं	0.012	1298 परं	0.053
853 परं	0.283	135512 परं	0.275
854	0.401	135611	0.583
855 परं	0.222	135612	0.583
85611 परं	0.235	1357	0.376
85612	0.142	135811	0.190
866	0.283	135812	0.340
867	0.299	1359 परं	0.073
868	0.255		

स्वामीय संसदायों की सूचनाये

कार्यालय इन्डोर विकास प्राधिकारी, 15-16, चवाहर मार्ग, इन्डोर
दिनांक 1 मई 1984

क्र. 381.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन इन्डोर निवेश दोहरे में के अगता-जाम्बे रोड पर मेडिकल कॉलेज के घासने की भूमि जा निकाप करने के हेतु जो प्राप्त योजना राजपत्र दिनांक 12 फरवरी 1982, भाग 3(1) मृष्टक्रमांक 329 पर नियमानुसार प्रकाशित ही थी उसे इन्डोर विकास प्राधिकारी द्वारा अद्यता दिनांक 6 फरवरी 1984 में उल्लेखित संशोधनों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी उस योजना क्रमांक 92 को उक्त विधान की द्वारा 50 के अगता-जाम्बे जाम्बारण की जानकारी के लिए एवं इन्डोर इन्डिया जारी है एवं यह सूचित किया जाता है कि नियन्त्रित भूमि योजना में समाविष्ट है:—

उल्लेख 1.—अगता-जाम्बे भार्ग-तथा भगोरमार्ग, स्ट्रीट नंबर 5 का योजना।

उल्लेख 2.—उत्तरोत्तरी इन्डोर रोड।

उल्लेख 3.—उल्लेख 2 के उपर्युक्त भूमि के भाग भगोरमार्ग इन्डिया नंबर 5 और अगता-जाम्बे भार्ग को

परिचय—आगरा-जाम्बे भार्ग।

टॉप.—प्राधिकारी द्वारा इस योजना क्रमांक 92 के उल्लेख में दूबे में प्रकाशित भूमि योजना को इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया है जिसके पीछे डॉ. बब्लू. डी. के अधीपत्र की भूमि एवं नंबर 84, ग्रेडलोज इण्डिया का भवन एवं उसके अपरायल-भूमि जो नगर निवेश नियमानुसार अवृक्ष है उस समादित नहीं किया जावेगा एवं ये भूमि अपारित रूप से रही।

उल्लेख 4.—योजना एवं आदय दिनांक 6 फरवरी 1984 को प्रतियां दिलाई जानी वाली हैं कार्यालयों समय के दौरान निरीकण के लिए उपलब्ध है:—

1. इन्डोर विकास प्राधिकारी, 15-16, चवाहर मार्ग, इन्डोर।

2. संयुक्त भूमिक कंगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग, शोपण नियमानुसार वाम्बे-आगरा रोड इन्डोर।

3. नगरपालिक नियम, इन्डोर।

उक्त नगर विकास योजना इस नियमिति के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(55-वी),

दिनांक 1 मई 1984

क्र. 382.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन इन्डोर निवेश क्षेत्र में के ग्राम विजलपुर, तेजपुर, गडबडी, पिपलदाराव

एवं हुक्मावेड़ी के लिये इन्डोर विकास प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमति नियमिति योजना क्रमांक 97 को उक्त विवाह वी धारा 50 (1) के अन्तर्गत सर्व-जाम्बारण की जानकारी के लिए एवं इन्डोर योजना क्रमांक 97 में नियन्त्रित मुजब खत्तरों नवरों की सूमि समाविष्ट है:—

पार्ट 1, ग्राम विजलपुर, खसरा नंबर—60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,

पार्ट 2, ग्राम तेजपुर गडबडी, खसरा नंबर—297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,

पार्ट 2, ग्राम पिपलदाराव, खसरा नंबर—192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 242 पार्ट, 244, 245 पार्ट, 247 पार्ट, 248 पार्ट, 250 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 255 पार्ट, 256, 257,

पार्ट 3, ग्राम तेजपुर गडबडी, खसरा नंबर—80, 81, 82,

पार्ट 4, ग्राम तेजपुर गडबडी, खसरा नंबर—8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पार्ट, 101, 102, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 पार्ट, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

पार्ट 4, ग्राम हुक्मावेड़ी, खसरा नंबर—612, 7, 14, 215, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 210, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७९ पार्ट, ८४ पार्ट, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५। १, ९५। २, १०० पार्ट, १०। १२, १०। १३, १०२, १०३, १०। ४। १, १०। ४। २, १०। ४। ३, १०। ४। ४, १०। ५। ६, १०। ७। ८, १०। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७।

उल्लेख- योजना में सार्वजनिक उपयोग के लिए एसी भूमि जो योजना वित्त होने के पूर्व राज्यसभा को-पॉपरेटिव सोसायटी द्वारा प्राप्त कर ली है उक्त निजि विकास २ वर्ष की अवधि में नगर द्वारा श्रमीन नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकार के अनुसार करने से इच्छित ही जावेगी।

उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:-

१. इन्दौर विकास प्राधिकारी, १५-१६, जवाहर मार्ग, इन्दौर।
२. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग शास्त्रीय कार्यालय, वाम्ब-अगरा रोड, इन्दौर।

नगरपालिका निगम, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विभाग के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवक्षित होगी।

(५६-वी.)

अधिकारी,
मुख्य कार्यालयिक अधिकारी।

कार्यालय द्वारा प्राप्त, नगर पालिका निगम, नवालियर

दिनांक १ मार्च १९८४

१. नगरपालिका निगम परिषद, नवालियर के ठहराव कार्यालय के दिनांक १/२, दिनांक ३ जनवरी १९८४ द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (कर्ता क २३, दत् १९५६) की धारा ४२७ (१५) के अधीन "वाहन यात्रों के सार्वजनिक स्थल पर खड़ा करने सम्बन्धी विधि विधियां १९८४ नगरपालिका निगम, नवालियर" का आच्युत अधिनियम की धारा ४२९ के अधीन सार्वजनिक जारी कर लिये प्रकाशित किया जाता है।

२. सुशील तथा आपत्तियां राजपत्र में सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह की भीतर कार्यालय समय में कार्यालय आशुकृत, नगरपालिका निगम, नवालियर में दी जा सकती है। उपरोक्त अवधि के पार्श्व प्राप्त सुशीलों एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उपविधियों की अतिरिक्तियां कार्यालय समय में निमग्न कार्यालय में प्रकाशन के दिनांक से एक माह तक सार्वजनिक निरीक्षण के लिये निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी।

३. प्राप्त उपविधियों पर अन्तिम रूप से विचार सूचना के प्रकाशन के दिनांक से कम से कम ४ दिनों की अवधि वाले किया जावेगा।

उपविधियां प्राप्त

१. यह उपविधियां वाहन यात्रों के सार्वजनिक स्थल पर खड़ा करने सम्बन्धी नियमन उपविधियां १९८३ नगरपालिका निगम, नवालियर कहलाएंगी।

२. (१) ये उपविधियां मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशाल होगी। (२) इन उपविधियों के ठीक पूर्व-क्रृत उपविधियां, नियम, अदेश इन उपविधियों के नियमों से सम्बन्धित, बनाये गये, जारी किये जए नियत समझे जावेगे, किन्तु कोई भी उक्त के प्रधीन किया गया कार्य जद तक कि इनसे असंगत न हो, दैव रहेगा।

३. इन उपविधियों के आशय के लिए—

(अ) अधिनियम से ताल्य नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ से है।

(ब) वाहन में मीटर लार, भोटर टूक, टैक्सी, बाईसिकिल तांगा, साइकिल, डिल्शा एवं प्रकार की भोटर साइकिल, ट्राई सिकिल सम्बलित होने पर जो कहे जाएँगे।

४. (१) नगर निगम द्वारा स्वीकृत स्थानों पर ही वाहनों को खड़ा किया या रोका जाएगा या पार्किंग किया जाएगा के लिये अनुमति स्थानों पर निगम द्वारा पर्टिकल यात्री के लिये वाहन खड़ा करने वाले दा पार्किंग करने वाले व्यक्ति अतिरिक्त रुपये।

(२) उपविधि क्र. ४ (१) में स्वीकृत स्थानों वाले यात्री अनुमति स्थानों पर वाहन खड़ा करने दा पार्किंग किया जाता है तो किन्हीं स्थानों के लिये यात्री अनुमति स्थानों पर निगम द्वारा पर्टिकल यात्री के लिये वाहन खड़ा करने वाले दा पार्किंग करने वाले व्यक्ति अतिरिक्त रुपये।

(३) कोई भी व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक स्थान पर या वाहनों या यात्रों अधिकारी में किए हुए या चलाये जाए वाहन यात्री करने के लिये नगर निगम, नवालियर के आयूल और सार्वजनिक रुपये को पार्किंग के लिये पर्टिकल द्वारा न किया हो। (४) यदि कोई व्यक्ति उपविधि क्र. (१) (२) (३) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उन्हें निगम नवालियर आशुकृत को अधिकारी होगा कि नुटिकर्ता एवं यथा विधि विधित उल्लंघन के अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रधीन वाहन यात्रा वाहनों को ऐसे सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए। (५) ऐसे वाहन या वाहनों को नगर निगम नवालियर द्वारा अतिरिक्त विधि विधियां कार्यालय समय में निमग्न कार्यालय में प्रकाशन के दिनांक से एक माह तक सार्वजनिक निरीक्षण के लिये निःशुल्क दिल्ली देने पर समझौता किये जाने के लिये अपने काजे में लिया जा सकेगा।

५. कोई व्यक्ति जो उपविधि क्र. ५ का उल्लंघन करता है वह रुपये ५०० तक अर्ध दण्ड से दण्डनोय होगा। यदि इसके पश्चात् वह उल्लंघन जारी रखता है तो अतिरिक्त अर्धदण्ड जो रुपये ५० प्रतिदिन के हिसाब से उल्लंघन जारी रखते हैं तो उपविधि के दिनों तक अपारद किया जा सकता है। उल्लंघन जारी रखते हैं दिनांक से किया जा सकेगा।

(५५-वी.)

मध्यप्रदेश की पुर्व-प्रदायनी के बिना
हाथ द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमति,
अनुमति-वत्, वारियर सम्मान,
एम. पी.—19.

५५६७०१

४०

एम. एसौक व्याख्यात दिव्योक्त

एम. पी.—19



पेज नंबर १६७

योजना नं. १०१

द्वारा ५० (७)

प्रकाशित

२०
१०
१०

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 1986—आषाढ़ 6, शके 1908

भाग ३ (१)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, विलासपुर

नोटरीज नियम, 1956 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित अभिभाषक ने पंडित राहसील के लिये नोटरी पद पर नियुक्त होते हैं मेरो-रियल इस कार्यालय में प्रत्युत किया है।

१. श्री अग्निल कुमार धोवास्तव, अधिकारी, मुमेली।

उक्त अधिकारी को नोटरी नियुक्त किये जाने के संबंध में यदि किसी को व्यापत्ति हो, तो इस विज्ञापन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 14 दिन के भीतर कारणों सहित व्यापत्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

(५१-वी.)

प्रकाश मेहता,

जिला एवं सत्र न्यायालय,

प्राधिकार इन्डौर जिला प्राधिकारी, १५-१६, जवाहर भार्ग, इन्डौर
दिनांक 10 जनवरी 1986

क. ५५२.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवास अधिनियम सन्-
73 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (४) द्वारा इन्डौर निवास शेत्र में इन्डौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनु-
कृष्ण कस्बा इन्डौर की निम्नांकित भूमि से संबंधित नगर विकास
क्रमांक 101 को उक्त विधान की धारा 50 (७) के अन्तर्गत
शरण की जानकारी के लिये इन्डौर प्रकाशित एवं घोषित
होता है।

योजना में कस्बा इन्डौर के खसरा नम्बर 1379, 1380,
1382 एवं 1383 को भूमि सम्बिल की गई है।

योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:—

- कार्यालय इन्डौर विकास प्राधिकारी, १५-१६, जवाहर भार्ग, इन्डौर।
- संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शार्पिंग कॉम्प्लेक्स बाम्बे-आगरा रोड, इन्डौर।
- आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्डौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञापन के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(३९४-वी.)

सार. सी. चूध,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, न्यूटन चिक्की कला, जिला इन्डौर।
इन्डौर जिले की न्यूटन चिक्की कला, नगरपालिका के निवासियों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नगरपालिका प्रशासन, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 को उप-धारा (१) के खद्द (वारह) के अधीन उक्त नगरपालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र में सकाई कर (स्केवेंजिंग टैक्स) आरोपित करना चाहता है, उन व्यक्तियों का वर्ग या सम्बिलों का विवरण जिन पर कर लगाया जाना प्रस्तावित है और आरोपित किये जाने वाले कर को दरबा रकम इसमें निम्न प्रस्तावों में निर्धारित को गई है।

प्रस्तावित कर के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला नगरपालिका का कोई भी निवासी इस सूचना के 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनों आपत्ति लिखित रूप में मुख्य

नगरपालिका अधिकारी, न्यूटन चिखली कलां को प्रस्तुत कर सकेगा, जिन पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा विचार किया जावेगा।

संकल्प

क्र. १

नगरपालिका प्रशासन, न्यूटन चिखली कलां सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (1) के खण्ड (वारह) के अधीन सफाई कर पूर्व में आरोपित दरों को निरस्त करते हुए आरोपण के लिये यह संकल्प पारित करता है, साथ ही कर की प्रस्तावित दर का भी अनुमोदन करता है।

प्रस्ताव

न्यूटन चिखलीकलां, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर मकानों, भवनों तथा भूमियों के स्वामियों या दखलदारों द्वारा देष सफाई कर (स्क्रेविंग टैक्स) नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित दरों से प्रधिरोपित किया जायेगा तथा नगरपालिका प्रशासन, न्यूटन चिखलीकलां को चुकाया जावेगा।—

अनुसूची

क्र.	विवरण	प्रस्तावित कर की दरें प्रतिवर्ष
१	२	३
	रुपये	
१.	ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 120 से अधिक न हो।	कर मुक्त
२.	ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रु. 120 से अधिक, किन्तु रुपये 600 से अधिक न हो।	५
३.	ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रु. 600 से अधिक, किन्तु रुपये 1200 से अधिक न हो।	१०
४.	ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रु. 1200 से अधिक हो।	१५

२. निम्नलिखित के संबंध में कोई कर उद्घाटित नहीं होगा :—
(अ) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 की उप-धारा (3) में उल्लेखित स्थान, भवन, मैदान, भूमि तथा सम्पत्ति।

३. जब किन्हीं उक्त उपबंधों के अधीन सम्भावित सफाई कर ५ पैसे का यार्थगुणित न होतो उसे ५ पैसे के निकटतम गुणित तक पूर्णक दिया जा सकेगा परन्तु ढाई पैसे का कोई भी अन्तर ५ पैसे का समावा जावेगा।
(44-बी.)

Notice is hereby given to the inhabitants of the Municipalities of Newton Chhikli Kalan in Chhindwara District that the Municipal Council desires to impose the Scavenging Tax in the whole of the said Municipality under clause (XII) of Sub-section (1) of

Section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961). The Class of persons or description of properties proposed to be taxed and the amount or rate of the tax to be imposed have been defined in the proposals annexed hereto.

Any inhabitant of the Municipality objecting to the proposed tax, may, within thirty days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Rajpatra" submit his objection in writing to the Chief Municipal Officer, Newton Chhikli Kalan, which will be considered by the Municipal Council, Newton Chhikli Kalan.

संकल्प

क्र. १

दिनांक ४ फरवरी १९८६

नगरपालिका प्रशासन, न्यूटन चिखलीकलां सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (1) के खण्ड (वारह) के अधीन सफाई कर पूर्व में आरोपित दरों को निरस्त करते हुए आरोपण के लिये यह संकल्प पारित करता है। साथ ही कर की प्रस्तावित दर का भी अनुमोदन करता है।

PROPOSAL

There shall be imposed and paid to the Municipal Council, Newton Chhikli kalan a Scavenging Tax payable by the owners or occupiers of the house, building and lands situated within the limits of the Municipality at the rates specified in the schedule below :—

No	Description	Proposed Rate per year
१	२	३
१.	Where the gross annual letting value of the building does not exceed Rs 120.	From tax
२.	Where the gross annual letting value of the building exceeds Rs. 120 but does not exceed Rs. 600.	५
३.	Where the gross annual letting value of the building exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 1200.	१०
४.	Where the gross annual letting value of the building exceeds Rs. 1200.	१५

2. No tax shall be leviable in respect of the following, namely :—

- Places, buildings, grounds, lands and properties specified in sub-section (3) of section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.
- Where the Scavenging tax calculated under the said provisions is not an exact Multiple of 5 paise, the same may be rounded off to the nearest multiple of 5 paise, provided that any difference of 2.5 paise shall be construed as 5 paise.

(44-B.)

P.R. DEWAR,
Chief Municipal Officer.

11

डीक-व्या को पूर्व-प्रदापगी के बिना
हाक द्वारा मेजे बले के लिये ग्रनुमत,
ग्रनुमति-व्या, व्याधि-व्या सम्भाल,
एम. पी.—19.

5Ch-102

124



मोटा

भोजपुर 5, अप्रैल 114, 102 बी.
103 के संख्या 5 के प्रैस्ट्रिक्टर
जी. कमाइ-व्या डिविडेंड
हृष्णा त्रिपुरा ग्राम 102 उपर
नं 102 शा फैफ

A.D.
13-3

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

मोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 1986—वैशाख 5, शके 1908

109/८

चौथा अंक 102
धारा 5-C(7).
जा. नं. 587-588

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर भार्ग, इन्दौर
दिनांक 17 जनवरी 1986

नगर विकास योजना क्रमांक 114, पार्ट-2 के प्रारूप के
प्रकाशन की सूचना

क्र. 557.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्य-
प्रदे राजपत्र, भाग 3 (1) में दिनांक 5 अक्टूबर 1984 को पृष्ठ
क्रम. क्र 1765 पर प्रकाशित घिन्सि के सम्बन्ध में एतद्वारा यह सूचना
दी जाती है कि म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की
नं. 50 की उप-धारा 3 के अधीन निम्न चतु: सीमा में दर्शित भूमि के
संबंध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 14, पार्ट-2 की चतु:सीमा;

उत्तर में विकास योजना में प्रस्तावित एम. आर. 11 (ज्वत रोड
की भूमि योजना में सम्मिलित करते हुए).

दक्षिण में योजना क्रमांक 54 की भूमि,

पूर्व में आर. ई.-I योजना क्रमांक 94.

पश्चिम में ए. बी. रोड.

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप को एक प्राति निभत्वित
कार्यालयों में कार्यालयीन समय के द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध
है।

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर
भार्ग, इन्दौर.

2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, वार्तापंग
कार्मिलेक्षण, ए. बी. रोड, इन्दौर.

3. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर
किसी भी ऐसी घायति या सुचाव पर, जो इस योजना से अनुकूल
किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने व
तारीख से 30 दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो (यदि वह दोनों जाडा
करे), तो उस व्यक्ति को सूचनाई का अवसर देने के पश्चात् इन्दौर
विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा।

(395-वी.)

प्र

चौथा अंक
3-102

दिनांक 10 जनवरी 1986

क्र. 553.—मध्यप्रदेश नगर उच्च ग्राम निवेश अधिनियम,
सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 को ३-काउ
(4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा
अनुमोदित कस्बा इन्दौर की निम्नांकित भूमि से संबंधित नं. ८८५
योजना क्रमांक 102 को उक्त विधान की धारा 50 (7) के अन्तर्गत
सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित एक नियम
किया जाता है।

उक्त योजना में कस्बा इन्दौर के खसरा नम्बर 1543, 1542,
1545/3, 1546/2, 1546/3 की भूमि, कुल २०३ एकड़ि
हेक्टर समाविष्ट है।

टीप.—कस्बा इन्दौर के खसरा नम्बर 1543 की ०.६०७ एकड़ि
भूमि आदिश दिनांक 19 फरवरी 1985 में दर्भात नामक सं
योजना में सम्मिलित तो रही है; किन्तु इसे योजना के अन्तर्गत
अन्तिम नहीं किया जावेगा।



उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में, कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दौर.

2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामों नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे-आगरा रोड, इन्दौर.

3. आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(396-बी.)

दिनांक 25 जनवरी 1986

क्र. 561.—सर्व-सावारण का सूचित किया जाता है कि इन्दौर विकास प्राधिकारी को योजना क्रमांक 109 जिसके आशय का प्रकाशन धारा 50 (2) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिनांक 13 जनवरी 1984 को मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 3 (1) में किया गया था, उसे अब त्याग दिया गया है।

(397-बी.)

आर. सी. चूध,
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी।

कार्यालय नगरपालिका पारिषद्, तलेन, जिला राजगढ़

दिनांक 25 अक्टूबर 1985

क्र. 558.—राजगढ़ जिला तलेन नगरपालिका के निवासियों का इन्दौरा सूचना दी जाता है कि नगरपालिका परिषद्, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) को धारा 127 को उप-धारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन उक्त नगरपालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र में पशु पंजीयन शुल्क आरोपित करना चाहता है, उन व्यक्तियों का जो जन सम्पत्तियों का प्रकार जिन पर कर लगाया जाता है, जिन व्यक्तियों ने जन सम्पत्ति को अपनाई जाने वाली पद्धति इससे संलग्न प्रस्तावों में नियमित की गई है।

प्रस्तावित कर के अन्तर्गत न श्रेष्ठता करनेवाला नगरपालिका का कोई भी निवासी इस पृष्ठना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपना आपत्ति लिखित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तलेन का प्रस्तुत कर सकेगा, जिन पर नगर पालिका परिषद् तलेन द्वारा विवार किया जावेगा।

संकल्प

क्रमांक 47

दिनांक 22 अक्टूबर 1985

क्र. 558.—राजगढ़ तलेन सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में कार्यपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) के उप-धारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन पशु पंजीयन व्यक्ति वह संकल्प पारित करता है, उसके जो दर का भी अनुमोदन करता है।

प्रस्ताव

जो लोगों जैसे भीतर विक्रय किये गये उस व्यक्ति द्वारा जो पशु का क्रय या विक्रय

करता है, विक्रय के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् ही ऐसे पशु पंजीयन पर निम्नलिखित दरों से पशु पंजीयन फीस नगरपालिका परिषद्, तलेन को चुकाई जावेगी:—

क्रमांक	नाम पशु	प्रति पशु प्रस्तावित दर	
		1	2
1	2	3	4
1. हाथी (नर या मादा)	15
2. ऊंट (नर या मादा)	10
3. भैंस, भैंसा	6
4. बैल, गाय, बछड़ा, पड़वा, पड़िया	6
5. घोड़ा, घोड़ी, खच्चर	6
6. बकरा या बकरी	6
7. भेड़ (नर या मादा)	2
8. गधा, सुधर (नर या मादा)	2

नोट.—मां के दूध पर छ: माह तक निर्भर रहने वाले बच्चे ऐसी फीस से मुक्त रहेंगे।

(413-1-बी.)

Dated 25th October 1985

No. 558.—Notice is hereby given to the inhabitants of the Municipality of Talen in Rajgarh District that the Municipal Council desires to impose the FEES ON THE REGISTRATION OF CATTLES sold within the limits of the said Municipality under clause (viii) of sub-section (1) of Section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961). The class of persons or description of properties proposed to be taxed, the amount or rate of the tax to be imposed and system of assessment and collection to be adopted have been defined in the proposal annexed hereto.

Any inhabitant of the Municipality Objecting to the proposed tax may within thirty days from the date of publication of this notice in the *Madhya Pradesh Patrika* submit his objection in writing to the Chief Municipal Officer, Talen which will be considered by the Municipal Council, Talen.

संकल्प

क्रमांक 47

दिनांक 22 अक्टूबर 1985

नगरपालिका परिषद्, तलेन सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन पशु पंजीयन शुल्क आरोपित करने के लिये संकल्प पारित करता है, जो उसके दर का भी अनुमोदन करती है।

PROPOSAL

There shall be imposed and paid by the person who buys or sells such cattle immediately at the conclusion


S Ch-102

कार्यालय की पूर्णग्रामीयों के बिना
इकाई भेज जाने के लिये अनुमति,
मनुष्योदय, उत्तराखण्ड, सम्भाग,
एम. ए. 19.

पंजी. कर्मांक व्यावसायिक विवेजन

पृष्ठ. पी. 19

(153)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

कार्यालय 3]

भोपाल, युक्तवारु, दिनांक 16 जलवरी 1987—पैम 25, शके 1908

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएँ

कार्यालय, जिला एवं सब न्यायाधीश, सिवनी
(नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 6 के अनुसार)
सिवनी, दिनांक 12 नवम्बर 1986

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रकाशलंद
बगवाल, अधिवक्ता, लखनाहौर, मेरे नियम 4 द्वारा नोटरीज रूल्स, 1956 के अनुसार न्यायिक जिला सिवनी के लिए नोटरीज की नियुक्ति अनुसार प्रस्तुत किये हैं, जिनके बीच का स्थान लखनाहौर रहेगा। उनको नियुक्ति बाबत यदि किसी घटना को कोई असरपत्ति हो, तो आपत्ति, राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 14 दिन अघि मेरे नियम 6 (2) (ए) नोटरीज रूल्स, 1956 के अनुसार भवितव्य में प्रस्तुत करें, अन्यथा उचित आदेश पारित किया

ए. सी. दालानी,
जिला एवं सब न्यायाधीश.

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

कार्यालय, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, विकास प्राधिकारी, 15-16,

जबलपुर मार्ग, इन्दौर

दिनांक 18 नवम्बर 1986

कार्यालय 680—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश
अधिनियम, सन् 1973 (कार्यालय 23, सन् 1973) की धारा 50
को उप-धारा (4) के अधीन, इन्दौर निवेश दीक्षा में इन्दौर विकास
प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम तेजपुर, गडवडी की निम्नांकित
भूमि से संबंधित नगर विकास योजना कार्यालय 103 को उक्त अधि-
नियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को जानकारी
के लिए एतेवारी प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम तेजपुर, गडवडी के निम्नलिखित खंड
नंबरों की भूमि समाविष्ट हैं:—

ग्राम तेजपुर, गडवडी के खंड नंबर—84, 85, 86, 87,
88, 89, 1-71, 13712, पार्ट, 138, 139, 1401, 1402, 1411, 1412, 1413, 1414,
1415, 1420, 143, 144 पार्ट, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 146, 147, 148, 149,
150, 153, 154, 155, 157 पार्ट, 158, 159, 160, 161,
1641, 1642, 165, 166 पार्ट, 167 पार्ट, 168 पार्ट, 172,
173 पार्ट, 174 पार्ट, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 1921356, 193, 194, 195, 196, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 199, 200, 2011,
2012, 202, 203, 204, 205, 206, 2071, 2072,
208, 209, 210, 2111, 2112, 212, 214, 215, 216,
21712, 21713, 2181, 21812, 2191, 2192, 220,
2211, 2212, 222, 223, 224, 2251, 2252, 226
227, 228, 229, 2291355, 2301, 2302, 231, 2321,
2322, 2323, 233, एवं 234।

उक्त योजना की प्रतिधान निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन
समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:—

- (1) कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जबलपुर
मार्ग, इन्दौर।
- (2) संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामोन निवेजन, विभाग,
शांपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. ची. रोड, इन्दौर।
- (3) ग्रामुक्त, नगरपालिकनियम, इन्दौर।

148/C

→

P.T.O.

इन्हें नगर विकास योजना इस विवरण के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(252-बी.)

दिनांक 20 नवंबर 1986

क्र. 684.—सर्व-सांघारण को ज्ञाता है कि इन्दौर विकास प्राधिकारी की कानूनोद मार्ग पर जगत नगर, इन्दौर के दास की भूमि से संबंधित योजना क्रमांक 82, जिसके अंशय का प्रकाशन धारा 50(2) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम विवेश विधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिनांक 4 नवंबर 1977 को मध्यप्रदेश, राजपत्र, भाग 3(1) में किया गया था, उसे अब त्याग दिया गया है।

(253-बी.)

दिनांक 20 नवंबर 1986

क्र. 683.—सर्व-सांघारण को सूचित किया जाता है कि इन्दौर विकास प्राधिकारी की मुद्राराती लो-कालिज, इन्दौर के सामने की शासकीय भूमि से संबंधित पार्किंग की योजना क्रमांक 82, जिसके अंशय का प्रकाशन धारा 50(2) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम विवेश विधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिनांक 4 नवंबर 1977 को मध्यप्रदेश, राजपत्र, भाग 3(1) में किया गया था, उसे अब त्याग दिया गया है।

आर. सो. चौध

मुख्यकार्यपालिक ब्रिडग

(254-बी.)

कार्यालय, आपुल्सा, इन्दौर नगरपालिक ब्रिडग, इन्दौर

इन्दौर नगरपालिक निगम द्वारा प्रचलित उप-विधियां जो इन्दौर नगर पालिक निगम प्रस्ताव क्रमांक 140, दिनांक 9 मई 1985 द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (1956) की धारा 132, खण्ड (1) का उप-दण्ड (व) के साथ प्रस्ताव धारा 427, धारा 162 (2-भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करना प्रस्तावित करता है, निम्नलिखित प्रत्येक उप-दण्ड की धारा 429 के खण्ड (व) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों को जिसमें प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, निम्न प्रारूप प्रस्तावना मुद्रित प्रत्येक उप-दण्ड पालिक निगम, इन्दौर के कार्यालय में, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के लिये कार्यालय समय के दौरान उसकी देखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्तिप्रति द्वारा निःशुल्क सांबंजनिक निरीक्षण के लिये रखने दी गई है, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से छः सप्ताह को कालावधि के पश्चात् विचार किया जावेगा।

किसी भी ऐसी ग्रामीण या सुचना पर जो कि निम्न प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्तिप्रति द्वारा लिखित में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक माह की कालावधि को भीतर किया जावेगा, उस पर नगर पालिक निगम द्वारा विचार किया जावेगा।

प्रस्तावित संशोधन

प्रयोगिता

प्रस्तावित

12. कोई भी व्यक्ति प्रति इन उप-विधियों में किसी भी उप-विधि, ग्राम अधिकारी का उल्लंघन करे अथवा अवैधत होना करेगा तो दीशी सिद्ध होने पर ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के उपलब्ध में ऐसा अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रु. 100 तक हो तथा वैसा उल्लंघन बार-बार जारी रहने पर प्रतिदिन के लिये रुपये 10 तक अर्थदण्ड दिया जा सकेगा।

12. कोई भी व्यक्ति जो इन उप-विधियों में किसी भी उप-विधि, ग्राम अधिकारी का उल्लंघन करे अथवा अवैधत होना करेगा तो ज्ञाती सिद्ध होने पर ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के उपलब्ध में ऐसा दिया जा सकेगा जो रुपये 500 तक हो तथा वैसा उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन के लिये रुपये 10 तक अर्थदण्ड दिया जा सकेगा।

परिक्षिण्ट

(उप-विधि 6 देखें)

प्रति शे

रुपये

1. सिनेमा—

(अ) पिछले वर्ष भुगतान की की गई मनोरंजन कर की राशि 10.00 रुपये 6 लाख से अधिक।

(ब) पिछले वर्ष भुगतान की की गई मनोरंजन कर की राशि रुपये 7.00 4 लाख से 6 लाख तक।

(स) पिछले वर्ष भुगतान की की गई मनोरंजन कर की राशि रुपये 5.00 4 लाख से कम।

2. नाटक, सर्कस, जादू के खेल (रेन्यूलर) 10.00 प्रतिदिन अधिक।

3. उद्घाटनी में लगने वाले प्रत्येक मनोरंजन या चिनोद पर 5.00 प्रति शे।

(अ) पिछले वर्ष भुगतान की की गई मनोरंजन कर की राशि 10.00 रुपये 6 लाख से 8 लाख तक।

(ब) पिछले वर्ष भुगतान की की गई मनोरंजन कर की राशि 15.00 रुपये 4 लाख से 6 लाख तक।

(स) पिछले वर्ष भुगतान की की गई मनोरंजन कर की राशि रुपये 10.00 4 लाख से कम।

2. नाटक, सर्कस, जादू के खेल (रेन्यूलर) 20.00

प्रदर्शन।

3. प्रदर्शनी में लगने वाले प्रत्येक मनोरंजन या चिनोद पर 10.00

इन्दीर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दीर
दिनांक 3 दिसंबर 1982।

तथा इन्दीर विकास प्राधिकारी की 101 के प्राप्ति के लिए योजना दी गयी।—इन्दीर विकास प्राधिकारी हारा इसके पूर्व सम्बन्धित
दिनांक दीया 3 (1) दिनांक 8 अक्टूबर 1982 के पूछ तक 1738 पर उक्त विभिन्न के संदर्भ में एतद्वारा यह योजना दी
गयी है कि नगरपालिका नगर शहर याम नियम अधिनियम, 1973
के द्वारा 50 की उद्दारा (3) के अधीन नियम चतुर्सीमा के अन्दर
की भूमि का सम्बन्ध में एक नगर विकास योजना आलपीयारकिया
गया है।

योजना क्रमांक 101 के थेंड का विवरण

पूर्व में—साधिक वायर रोड,

उत्तर में—खड़ार तथा 1376, 1385, 1393, 1396,
कला इन्दीर।

दक्षिण में—लगरामपार कोकोनी की जानेवाला रास्ता।

उत्तर में—खड़ार इन्दीर, खड़ार नम्बर 1369, 1377।

उत्तर सेवर विकास भूमि की ओर की एक प्रति नियम कारबोलियों
की विभिन्न गम्भीर के द्वारा नियमित की गयी उपलब्ध है:—

1. इन्दीर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दीर,
2. संयुक्त सचिवालय, नगर एवं यामीन नियोजन विभाग
कानूनीता, याम-खड़ार रोड, इन्दीर।
3. नगरपालिका नियम, इन्दीर।

किसी भी ऐसी आपूर्ति या सुलाद पर जो इस योजना से प्रभावित
हिस्से भी अस्ति से इस सूचना के सम्बन्धित नामपक्ष में प्रकाशित होने
की तारीख से 30 दिन के भीतर नियमित में प्राप्त हो (यदि वह ऐसी
एक्स्ट्राक्ट) तो उक्त विभिन्न को अस्तित्व सुनाई का अवसरदेने के पश्चात्
इन्दीर विकास प्राधिकारी हारा विकास किया जावेगा।
(522-वी)

दिनांक 14 दिसंबर 1983

क्र. 3470—गठनप्रब्रय नम्बर तथा प्रामनियोग प्राधिनियम, दीया
1973 (क्रमांक 23, दीया 1973) की धारा 50 की उप-धारा (4) के
अधीन हारा (नियम संघर्ष से के प्राप्त खड़ारी के लिये इन्दीर विकास
प्राधिकारी हारा द्वारा द्वारा अनुमोदित नगर विकास योजना क्रमांक 107-5
तथा 108-की को उक्त विधान की धारा 50 (7) के अन्तर्गत
सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता
है कि सदर योजना में नियम हुजव भूमि समाविष्ट है:—

योजना क्रमांक 107-ए की चतुर्सीमा

(खड़ार नम्बर 378, याम खड़ारी)

दक्षिण को—इन्दीर विकास प्राधिकारण की योजना क्रमांक 54
की भूमि (खड़ार नम्बर 377, याम खड़ारी)।

उत्तर को—इन्दीर विकास प्राधिकारण की योजना क्रमांक 54
की भूमि (खड़ार नम्बर 371, याम खड़ारी)।

पूर्व को—इन्दीर विकास प्राधिकारण की योजना क्रमांक 54
की भूमि (खड़ार नम्बर 373, 374, याम खड़ारी)।

पाइलम दो—इन्दीर विकास प्राधिकारण की योजना क्रमांक 54
की भूमि (खड़ार नम्बर 379, याम खड़ारी)

योजना क्रमांक 107-की की चतुर्सीमा

(खड़ार नम्बर 383-418, याम खड़ारी)

दक्षिण को—इन्दीर विकास प्राधिकारण की योजना क्रमांक 54
की भूमि।

उत्तर को—ग्राम खड़ारी के खसरा नम्बर 382 की भूमि।

पूर्व को—इन्दीर विकास प्राधिकारण की योजना क्रमांक 54 की
भूमि।

पहिला को—खसरे-खायरा राजमार्ग

उक्त योजना की प्रतियोगिता नियन्त्रित कार्यालयों से कार्यालयीन
समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. इन्दीर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्दीर।

2. संयुक्त सचिवालय, नगर एवं यामीन नियोजन विभाग
कानूनीता, याम-खड़ार रोड, इन्दीर।

3. कार्यालय, याम-खड़ार नगरपालिका नियम, इन्दीर।

उक्त नगर विकास योजना एवं इस विभिन्न के राजपत्र में योजना
होने के दिनांक से प्रवर्तित होती है।

नशोक दास,

(530-वी.)

मुख्य कार्यपालिका विभाग

कार्यालय नगर तथा खायरा विकास प्राधिकारी, जवलपुर

सम्बन्धित नगर तथा याम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा
50 की उप-धारा (2) के अवैत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये
एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि तथा प्रकाशित किया जाता है
कि नगर तथा याम विकास प्राधिकारी, खड़ार नगर नियम द्वारा (खड़ार)
के संबंध में नगर विकास योजना सेवार वरमे का आजम रखता है,
जो कि नगर विकास योजना अन्वया 48 "व्युत्पन्न सेप्टर" के नाम से
जानी जावेगी।

इस योजना की चतुर्सीमा नियम हुसार है:—

उत्तर में—साम-महानदी के ख. अ. 1611, 1612 व गोरखपुर
ख. अ. 614, 617, 618, 619, 627। एवं 628 की भूमि।

दक्षिण में—साम याम द्वारा के ख. अ. 80 एवं याम हायीताप
उत्तरी सीमा।

पूर्व में—ग्राम गोरखपुर के ख. अ. 647। 1, 654 एवं 655
परिवर्मी सीमा।

पश्चिम में—साम महानदी के ख. अ. 18, 48। 1, 60, 65,
66, 87, 89, 90 एवं 82 की पूर्वी सीमा।

(526-वी.)

Musical concert, wrestling match or any other performance of amusement at the rates specified below :—

	Rs. per show
1. Cinema 5
2. Circus, Carnival or a Fete 5
3. Drama 5
4. Tamasha or musical concert 5
5. Music Party 5
6. Any other performance of amusement ..	5
7. Mallha Yuadday 5

2. The show-tax shall be payable by the Proprietor Secretary or Manager of the amusement.

3. The show-tax shall not be leviable in respect of :—

- (A) Any amusement for admission to which no charges is made or only nominal charges is made;
- (B) Any amusement which is not open to the general public on payment;
- (C) Any amusement the net proceeds of which are devoted to a Public or charitable purpose.

(176-B.)

भिण्ड जिले की लहार नगरपालिका के निवासियों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नगरपालिका परिषद् मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) के खण्ड (वारह) के अधीन उक्त नगरपालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र में सफाई कर (स्केवेजिंग टेबल) आरोपित करना चाहती है, उन व्यक्तियों का वर्ग या सम्पत्तियों का विवरण जिन पर कर लगाया जाना प्रस्तावित है और आरोपित किये जाने वाले कर की दर या रकम इसमें निम्न प्रस्तावों में निर्धारित की गई है।

प्रस्तावित कर के सम्बन्ध में आपत्ति करनेवाला नगरपालिका का कोई भी निवासी इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के द्वारा से तीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, लहार को प्रस्तुत कर सकेगा जिन पर नगरपालिका परिषद् द्वारा विचार किया जावेगा।

संकल्प

नगरपालिका परिषद्, लहार सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) के खण्ड (वारह) के अधीन सफाई कर (स्केवेजिंग टैक्स) आरोपित करने के लिये यह संकल्प पारित करती है। साथ ही प्रस्तावित कर की दर का भी अनुमोदन करती है।

प्रस्ताव

लहार नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित मकानों, भवनों तथा भूमियों के स्वामियों या दब्ल्डारों द्वारा सफाई कर (स्केवेजिंग

टैक्स) नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित दरों से किया जाना तथा नगरपालिका परिषद्, लहार को चुकाया जावेगा।

अनुसूची	क्र.	विवरण	प्रस्तावित कर की दरें
			रुपये
1. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य कर से मुक्त रुपये 24 से अधिक न हो।			5
2. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 24 से अधिक परन्तु रुपये 144 से अधिक न हो।			5
3. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रु. 144 से अधिक परन्तु रु. 480 से अधिक न हो।			6
4. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रु. 480 से अधिक हो।			7
2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई कर उद्घाटित नहीं होगा :—			
(1) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 की उपधारा (3) में उल्लेखित स्थान, भवन, मैदान, भूमि तथा सम्पत्ति।			
3. जब किन्हीं उक्त सम्बन्धों के अधीन सम्भावित सफाई कर 5 पैसे का यथार्थ गुणित न हो तो उसे 5 पैसे के निकटतम गुणित तक पूर्णक दिया जा सकेगा। परन्तु टाई पैसे का कोई भी अन्तर 5 पैसा समझा जावेगा।			
(177-ब.)			

Revenue Notice is hereby given to the inhabitants of the Municipality of Lahar in Bhind District that the Municipal Council desires to impose a Scavenging Tax in the whole of the said Municipality under clause (XII) of sub-section (1) of section 127 of the said Municipality under clause (XII) of Sub-section (1) of section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961). The class of persons or description of properties proposed to be taxed and the rate of amount of tax to be imposed have been defined in the proposals annexed hereto.

2. Any inhabitant of the Municipality objecting to the proposed tax may within thirty days from the date of publication of this notice in the *Madhya Pradesh Rajpatra* submit his objection in writing to the Chief Municipal Officer, Lahar which will be considered by the Municipal Council, Lahar.

	१९८१.७.	रकमा.
बोवडिया रत्ना	378	9.21
"	379	1.07
"	380	42
"	381	1.18
"	382	14.07
"	383	1.01
"	384	1.20
"	38511	2.45
"	38512	50
"	387	93

देवी शरण,
मुख्य कार्यपालिका प्राधिकारी,
(कामांक ३)

कार्यपाल, इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16

जबलपुर मार्ग, इन्दौर

दिनांक ५ फरवरी १९८७

वित्तीय कामांक ७२१.—मध्यप्रदेश सप्तर तथा ग्राम निर्वेश अधिनियम, सन् १९७३ (कामांक २३, सन् १९७३) की घारा ५० को उपस्थारा (४) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम निर्जनपुर एवं निपत्याकुमार की नियन्त्रित भूमि द्वे संचयित जगह विकास योजना कामांक ११४ द्वितीय चरण को उक्त अधिनियम की घारा ५० (७) के अल्पगत सावंतांदारण को जानकारी के लिये जल्दी रकमांशित एवं मोर्चित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम निर्जनपुर एवं निपत्याकुमार की नियन्त्रित घटारा गंवरों की भूमि दरमांशित है।

ग्राम निर्जनपुर के बास्तव नम्बर—

413, 419, 41511, 41512, 41611, 41612, 41613 का 11,
41613 का 2, 41613 का 3, 41614, 41615, 41616, 41711,
41713, 418 पाठ, 41911, 41912, 420111, 420112,
4201212, 42111, 4211211, 4211212, 4211213,
42211, 42212, 42311, 42312, 424, 42511, 42512, 42611,
42612, 427, 428, 429 पाठ, 431111, 4311112, 4311113,
4311114, 4311115, 4311116, 4311117, 4311118,
4311119, 43111110 एवं 433 पाठ।

ग्राम निपत्याकुमार के बास्तव नम्बर—

201 पाठ, 2012, 21, 2211 का, 2213, 2311 पाठ, 2312 पाठ, 136 पाठ, 13711 पाठ, 139 पाठ, 140, 14111 पाठ, 14811 पाठ, 14812 पाठ, 14912 पाठ एवं 15011 पाठ।

उक्त योजना की प्रति नियन्त्रित कार्यालयों में कार्यान्वयन समव के दौरान नियोग के लिये उपलब्ध है।

११ कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-1

मार्ग, इन्दौर।
(२) चमुका संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन
सम्पर्क काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर।

(३) आपूर्ति, इन्दौर नगरपालिका निगम, इन्दौर।
उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति को म. प्र. ३
प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी।
(351-वी.)

दिनांक ५ फरवरी १९८७।

विज्ञप्ति क्र. ७२०.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अ.
सन् १९७३ (कामांक २३, सन् १९७३) की घारा ५० को
(४) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिका
री द्वारा अनुमोदित ग्राम निर्जनपुर की नियन्त्रित भूमि से संबंधित
विकास योजना कामांक ११४ ग्राम चरण को उक्त अधिकारी
घारा ५० (७) के अल्पगत सावंतांदारण को जानकारी के लिये
प्रकाशित एवं मोर्चित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम निर्जनपुर की नियन्त्रित घटारा
की भूमि दरमांशित है।

ग्राम निर्जनपुर के बास्तव नम्बर—

7812 पाठ, 7813 पाठ, 86 पाठ, 87, 88, 89, 90
91 पाठ, 94 पाठ, 95 पाठ, 199 पाठ, 240 पाठ, 241
242 पाठ, 245 पाठ, 248 पाठ, 249, 250 पाठ, 251
253 पाठ, 257 पाठ, 258, 259, 260, 26111, 261
2611212, 26211, 26212, 26213, 26214, 263,
26511, 26512, 266, 267, 268, 269, 270, 27
27112, 27113, 272, 27311, 27312, 27411, 27
275, 276, 277, 278, 279, 280, 28111, 281
282111, 282112, 28212, 28213, 28311, 28312, 2
28411, 28412, 285, 286, 287, 288, 289, 290
29012, 29013, 29014, 291, 292, 29311, 2931
29312 पाठ, 29313, 29314, 294, 295, 296, 297, 2
299, 30011, 30012, 30013, 30014, 301, 302, 30311
303112, 303113, 30315, 304, 305, 30611, 306
307, 308, 30911, 30912, 310, 31111, 31112, 31
3121434, 313, 314, 315, 316, 317, 31811, 31812
31813 पाठ, 31816, 31817 पाठ, 31818 पाठ, 31911 पाठ
32012 पाठ, 32014 पाठ, 321, 322, 323, 324, 325, 32
327 पाठ, 32811 पाठ, 3291111, 3291112, 3291113, 3291
330 पाठ, 33111, 33112, 332, 333 पाठ एवं 334 पाठ।

उक्त योजना की प्रति नियन्त्रित कार्यालयों में कार्यान्वयन
समव के दौरान नियोग के लिये उपलब्ध है।—

(१) कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जप्त
मार्ग, इन्दौर।

(2) संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेशन विभाग
शांपिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर।

(3) आमुखत, इन्दौर नगरपालिका निगम, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञापन के म. प्र. राजपत्र में
प्रकाशित होते के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(352-बी.)

आर. सी. चूधा,
मध्य काम्पालिका अधिकारी।

काम्पालिका नगर तथा ग्रामीण निवेश अधिकारी, उर्जन

दिनांक 27 जनवरी 1987।

प्राप्ति-सिरह

No. 3/87.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,
1973 को धारा 50 की उपधारा (2) के अंतर्गत संबंधित रियल एस्टेट की
निवासियों के लिए एतदेश यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित
किया जाता है कि उम्हीन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एक
विविध विधेयों के संबंध में नगर विकास समिति द्वारा करने का
प्रयत्न रखता है। जिसकी स्वतुल्यता निम्नानुसार है—

उत्तर में—जिवाजी पांक कॉलोनी,

दक्षिण ओं—मेचमुरा एवं कृष्णनगर कॉलोनी,

पूर्व में—आजाद नगर कॉलोनी,

पश्चिम में—कृष्णनगर से सांवेर रोड को जानेवाला रस्ता
म. गहरानगर कॉलोनी।

(304-बी.)

FORM-28III

Dt. 27 January 1987.

No. 3/87.—It is hereby declared and published for
the information of the General Public under Subsec-
tion (2) of section 50 of the Madhya Pradesh Nagar
Taluka Gram Nivasi Adhiniyam, 1973 that UJJAIN
Town and Country Development Authority intends to
prepare a "own development scheme for a residential
with the following boundaries—

North—Shivajee Park colony.

South—Panchnmpura and Rishinagar colony.

East—Azad Nagar colony.

West—Road joining Kishinagar and Sanwer road
and Mahakal Sindhri colony.

J. C. TALWAR,
Chief Executive Officer.

काम्पालिका नगरपालिका प्रिव्वद, आंतरी जिले, ग्रामीण
संविधान जिले की आंतरी नगरपालिका के "निवासियों" को
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नगरपालिका इवत्त सम्पूर्ण नगरपालिका
क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रांति 32,
सं. 1961) को धारा 127 की उपधारा (1) के छप्प (चौदह)
अंकधीन प्रकाशकर आंतरी वित्त करना चाहती है उन व्यक्तियों का वर्ग

उन सम्पत्तियों का विवरण, जिन दफ्तर के
प्रारोपित किये जाने वाले कर की दर या
में निर्धारित की गई है।

प्रस्तावित कर के सम्बन्ध में आप
का कोई निवासी इस सूची के सम्पूर्ण दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी
अधिकारी, आंतरी, फोलिक्वित में प्रस्तुत
पालिका परिषद आंतरी द्वारा विचार कि
संकलन।

नगरपालिका प्रिव्वद आंतरी सम्पूर्ण
मेला नगरपालिका अधिनियम 1961 के
को उपधारा (1) छप्प (चौदह) के उपर्योग के लिये यह संकल्प पारित करती
की दर का अनुमोदन करती है।

प्रत्यावर

नगरपालिका आंतरी की चीमाओं के
तथा भूमियों के स्वामियों या दबलकारी द्वारा
वासिक भाड़ा सूल्य के आधार पर निम्न
किया जाविंग तथा नगरपालिका आंतरी

अनुमोदन।

कृपाक

विवरण

(1)

(2)

1. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वापिक रूपये 100 से अधिक न हो।

2. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वापिक रूपये 60 से अधिक परन्तु रूपये 200 से न हो।

3. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वापिक भाड़ा रूपये 200 से अधिक परन्तु रूपये 300 से न हो।


4. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वापिक भाड़ा रूपये 300 से अधिक परन्तु रूपये 400 से न हो।

5. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वापिक भाड़ा रूपये 400 से अधिक परन्तु रूपये 500 से न हो।

6. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वापिक भाड़ा रूपये 500 से अधिक परन्तु रूपये 600 से न हो।

7. ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वापिक भाड़ा रूपये 600 से अधिक परन्तु रूपये 700 से अधिक न हो।

दाक-व्यवस्था की पूर्व-प्रदायनी के बिना
दाक द्वारा मेजे जाने के लिये प्रनुभत,
प्रनुभति-श्व, भारतीय सम्प्राय,
एम. पी.—19.



क्रमांक वालिशर डिवीजन-

एम. पी. 1

—योजना नं 114 Part II

(1) व्यारा 50(3)

विवरण

पृष्ठा No. 587

29/c

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

मोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 1986—वैशाख 5, शके 1908

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जबाहर भवन, इन्दौर

दिनांक 17 जनवरी 1986

नगर विकास योजना क्रमांक 114, पार्ट-2 के प्रारूप के
प्रकाशन की सूचना

क्र. 557.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्य-
प्रदेश राजपत्र, भाग 3 (1) में दिनांक 5 अक्टूबर 1984 को पृष्ठ
क्र. 1765 पर प्रकाशित विज्ञप्ति के सन्दर्भ में एतद्वारा यह सूचना
जाती है कि म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की
धारा 50 की उप-धारा 3 के अधीन निम्न चतु: सीमा में दर्शित भूमि के
संबंध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 114, पार्ट-2 की चतु:सीमा:

उत्तर में .. विकास योजना में प्रस्तावित एम.आर. 11 (उक्त रोड
की भूमि योजना में सम्मिलित करते हुए).

दक्षिण में .. योजना क्रमांक 54 की भूमि.

पूर्व में .. आर.ई.-1 योजना क्रमांक 94.

पश्चिम में .. ए.बी.रोड.

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप की एक प्रति निम्नलिखित
कार्यालयों में कार्यालयीन सभ्य के दौरान निरेक्षण के लिये उपलब्ध
है।

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जबाहर
भवन, इन्दौर.

2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शांतिपुर
कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.

3. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो इस योजना से प्रभावित
किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने
तारीख से 30 दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो (यदि वह ऐसी बात
करें), तो उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इन्दौर
विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा।

(395-बी.)

दिनांक 10 जनवरी 1986

क्र. 553.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,
सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा
(4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा
अनुमोदित कस्बा इन्दौर की निम्नांकित भूमि से संबंधित नगर विका-
योजना क्रमांक 102 को उक्त विधान की धारा 50 (7) के अन्तर्गत
सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित
किया जाता है।

उक्त योजना में कस्बा इन्दौर के खस्ता नम्बर 1543, 154512,
154513, 154612, 154613 की भूमि, कुल एकड़ा 2.629
हेक्टर तमाविष्ट है।

टोप.—कस्बा इन्दौर के खस्ता नम्बर 1543 की 0.307 हेक्टर
भूमि अद्यता दिनांक 19 फरवरी 1985 में दर्शित कारणों से
योजना में सम्मिलित तो रहेगी; किन्तु इसे योजना के हेतु
अर्जित नहीं किया जावेगा।

उक्त योजना की प्रतियाँ निम्नलिखित कार्यालयों में, कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:—

1. कार्यालय इन्डौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर मार्ग, इन्डौर.

2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शाँपिंग कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे-आगरा रोड, इन्डौर.

3. आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्डौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विस्थिति के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्चित होगी।

(396-बी.)

दिनांक 25 जनवरी 1986

क्र. 561.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इन्डौर विकास प्राधिकारी की योजना क्रमांक 109 जिसके आशय का प्रकाशन धारा 50 (2) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिनांक 13 जनवरी 1984 को मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 3 (1) में किया गया था, उसे अब त्याग दिया गया है।

(397-बी.)

आर. सी. चूध,
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, तलेन, जिला राजगढ़।

दिनांक 25 अक्टूबर 1985

क्र. 558.—राजगढ़ जिले को तलेन नगरपालिका के निवासियों ने एम्बद्दारा सूचना दी जाती है कि नगरपालिका परिषद्, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) द्वारा 127 की उप-धारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन उक्त नगरपालिका के सभूष्ण जल मन्त्र ने पर्याप्त शुल्क आरोपित करना पहुंचा है, उन व्यक्तियों का बग या उन सम्पत्तियों का प्रकार जिन पर राजगढ़ नगरपालिका अधिकारी, तलेन का प्रस्तुत कर सकेगा, जिन पर नगरपालिका परिषद्, तलेन द्वारा विचार किया जावेगा।

प्रस्तावित कर के सम्बन्ध में प्राप्ति करनेवाला नगरपालिका कोई भी निवासी इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भावाने अपनी प्राप्ति लिखित में सुख्य अपार्टमेंट, तलेन का प्रस्तुत कर सकेगा, जिन पर नगरपालिका परिषद्, तलेन द्वारा विचार किया जावेगा।

संकल्प

पांक 47

दिनांक 22 अक्टूबर 1985

नगरपालिका परिषद्, तलेन सभूष्ण नगरपालिका क्षेत्र में विदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) द्वारा 127 की उप-धारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन पर्याप्त शुल्क आरोपित करने के लिये यह संकल्प पारित करता है, दो प्रस्तावित पंजीयन शुल्क की दर का भी अनुमोदन करता है।

प्रस्ताव

तलेन नगरपालिका को सोनाओं के भीतर विक्रय किये जाने के पंजीयन के लिये उस व्यक्ति द्वारा जो पशु का क्रय या विक्रय

करता हो, विक्रय के समाप्त होने के तुरंत पश्चात् ही ऐसे पशु पंजीयन पर निम्नलिखित दरों से पर्याप्त फीस नगरपालिका परिषद्, तलेन को चुकाई जावेगी:—

क्रमांक	नाम पशु	प्रति पशु प्रस्तावित दर
1	2	3
1. हाथी (नर या मादा)	..	15
2. ऊंट (नर या मादा)	..	10
3. भैंस, भैंसा	..	6
4. बैल, गाय, बछड़ा, पड़वा, पड़िया	..	6
5. घोड़ा, घोड़ी, खच्चर	..	2
6. बकरा या बकरी	..	2
7. भेड़ (नर या मादा)	..	2
8. गधा, सुम्रर (नर या मादा)	..	2

नोट.—मां के दूध पर छः माह तक निर्भर रहने वाले बच्चे ऐसी प्रकाशित होंगे।

(413-1-बी.)

Dated 25th October 1985

No. 558.—Notice is hereby given to the inhabitants of the Municipality of Talen in Rajgarh District that the Municipal Council desires to impose the FEES ON THE REGISTRATION OF CATTLES sold within the limits of the said Municipality under clause (viii) of sub-section (1) of Section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961). The class of persons or description of properties proposed to be taxed, the amount or rate of the tax to be imposed and system of assessment and collection to be adopted have been defined in the proposal annexed hereto.

Any inhabitant of the Municipality Objecting to the proposed tax may within thirty days from the date of publication of this notice in the *Madhya Pradesh Rajpatra* submit his objection in writing to the Chief Municipal Officer, Talen which will be considered by the Municipal Council, Talen.

संकल्प

क्रमांक 47

दिनांक 22 अक्टूबर 1985

नगरपालिका परिषद्, तलेन सभूष्ण नगरपालिका क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन पर्याप्त शुल्क आरोपित करने के लिये संकल्प पारित करता है, साथ ही प्रस्तावित पंजीयन शुल्क की दर का भी अनुमोदन करता है।

PROPOSAL

There shall be imposed and paid by the person who buys or sells such cattle immediately at the conclusion

ग्राम का नाम	खस्ता नं.	रकम
बाबड़ियां कलां	378	9.21
"	379	1.07
"	380	42
"	381	1.18
"	382	14.07
"	383	1.01
"	384	1.20
"	385।।	2.45
"	385।2	50
"	387	93

देवी शरण

र्यपालिक अधिकारी

(363-बी.)

कार्यलय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16

जवाहर मार्ग, इन्दौर

दिनांक 5 फरवरी 1987

विज्ञापन क्रमांक 721.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश थोत में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम निरंजनपुर एवं चिपत्याकुमार की निम्नलिखित भूमि से संबंधित नगर विकास योजना क्रमांक 114 द्वितीय चरण को उक्त अधिनियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी देये तद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम निरंजनपुर एवं पिपल्याकुमार की निम्नलिखित
नंबरों की भमि समाविष्ट है।

ग्राम निरंजनपुर के खुसरा नम्बर:-

413, 414, 415। 1, 415। 2, 416। 1, 416। 2, 416। 3। क। 1,
 16। 3। क। 2, 416। 3। क। 3, 416। 4, 416। 5, 416। 6, 417। 1,
 11। 7। 2, 417। 3, 418 पार्ट, 419। 1, 419। 2, 420। 1। 1, 420। 1। 2,
 420। 2। 2, 421। 1, 421। 2। 1, 421। 2। 2, 421। 2। 3,
 422। 1, 422। 2, 423। 1, 423। 2, 424, 425। 1, 425। 2, 426। 1,
 426। 2, 427, 428, 429 पार्ट, 431। 1। 1, 431। 1। 2, 431। 1। 3,
 431। 1। 4, 431। 1। 5, 431। 1। 6, 431। 1। 7, 431। 1। 8,
 431। 1। 9, 431। 1। 10 एवं 433 पार्ट।

ग्राम पिपल्याकूमार के खसरा नम्बर :-

2011 पार्ट, 2012, 21, 22।1 पार्ट, 22।3, 23।1 पार्ट, 23।2 पार्ट, 136 पार्ट, 137।1 पार्ट, 139 पार्ट, 140, 141।1 पार्ट, 148।1 पार्ट, 148।2 पार्ट, 149।2 पार्ट एवं 150।1 पार्ट.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान नियोग के लिये उपलब्ध है।

- (1) कार्यालय इन्दौर, विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर
मार्ग, इन्दौर.

- (2) संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग,
शैरौपिंग कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर.

- (3) आयुक्त, इन्दौर नगरपालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के म. प्र. राजपत्र में
प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(351-बी.)

दिनांक 5 फरवरी 1987

विज्ञप्ति क्र. 720.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,
सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की व्यापक-

(4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर-विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राम निरंजनपुर की निम्नांकित भूमि से संबंधित नगर विकास योजना क्रमांक 114 प्रथम चरण को उक्त अधिनियम की धारा 50(7) के अंतर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्-द्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम निरंजनपुर की निम्नलिखित स्वसंरचना नंबरों
की भूमि समाविष्ट है।

ग्राम निरंजनपुर के खसरा नंबर :—

7812 पार्ट, 7813 पार्ट, 86 पार्ट, 87, 88, 89, 90 पार्ट,
91 पार्ट, 94 पार्ट, 95 पार्ट, 199 पार्ट, 240 पार्ट, 241 पार्ट,
242 पार्ट, 245 पार्ट, 248 पार्ट, 249, 250 पार्ट, 251 पार्ट,
253 पार्ट, 257 पार्ट, 258, 259, 260, 261।।, 261॥२॥, 261॥२॥२,
262।।, 262।।, 262।।, 262।।, 262।।, 262।।, 262।।, 263, 264,
265।।, 265।।, 266, 267, 268, 269, 270, 271।।,
271।।, 271।।, 272, 273।।, 273।।, 274।।, 274।।,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281।।, 281।।,
282।।।।, 282।।।।, 282।।, 282।।, 283।।, 283।।, 283।।
284।।, 284।।, 285, 286, 287, 288, 289, 290।।,
290।।, 290।।, 290।।, 291, 292, 293।।।क, 293।।।ख,
293।।।पार्ट, 293।।, 293।।, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300।।।, 300।।, 300।।, 300।।, 301, 302, 303।।।।,
303।।।।, 303।।।।, 303।।।।, 304, 305, 306।।, 306।।,
307, 308, 309।।, 309।।, 310, 311।।, 311।।, 312,
312।।।।, 313, 314, 315, 316, 317, 318।।, 318।।।, 318।।।,
318।।।पार्ट, 318।।, 318।।।पार्ट, 318।।।पार्ट, 319।।।पार्ट,
320।।।पार्ट, 320।।।पार्ट, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327पार्ट, 328।।।पार्ट, 329।।।।, 329।।।।, 329।।।।, 329।।।।
330 पार्ट, 331।।।, 331।।।, 332, 333 पार्ट प्रवे, 334 पार्ट

उद्यत योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरोक्षण के लिये उपलब्ध है:

- (1) कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, 15-16, जवाहर
पार्क, इन्दौर

(2) संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग
शास्त्रीय काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.

(3) आपूर्ति, इन्दौर नगरपालिका निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विधिय के म. प्र. राजपत्र में
प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

आर. सी. चूध,
मूल्य कार्यपालिका अधिकारी.
(352-बी.)

कार्यालय नगर तथा ग्रामीण निवेश प्राधिकारी, उज्जैन

दिनांक 27 जनवरी 1987

प्रारूप—तेरह

ऋ. 3187—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,
1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्व-साधारण की
जानकारी के लिये एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित
किया जाता है कि उज्जैन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एक
आवासीय योजना के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का
प्राप्ति, रखता है, जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—शिवाजी पार्क कॉलोनी,
दक्षिण में—पंचमपुरा एवं ऋषिनगर कॉलोनी,
पूर्व में—आजाद नगर कॉलोनी,
पश्चिम में—ऋषिनगर से सांचेर रोड को जनेवाला रास्ता
व महाकाल सिंधी कॉलोनी.

(364-बी.)

FORM—XIII

Dt. 27 January 1987.

No. 3/87.—It is hereby declared and published for the information of the General Public under Sub-section (2) of section 50 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that UJJAIN Town and County Development Authority intends to prepare a town development scheme for a residential with the following boundaries:—

North.—Shivajee Park colony.

South.—Panchampura and Rishinagar colony.

East.—Azad Nagar colony.

West.—Road joining Rishinagar and Sanwer road and Mahakaal Sindhi colony.

J. C. TALWAR,
Chief Executive Officer.
(364-B.)

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, आंतरी जिला गवालियर
गवालियर जिले की आंतरी नगरपालिका के निवासियों को
एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि नगरपालिका उक्त सम्पूर्ण नगरपालिका
क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37,
सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) के खण्ड (चौदह)
के अधीन प्रकाशित करना चाहती है उन व्यक्तियों का वर्ग

उन सम्पत्तियों का विवरण, जिन पर कर लगाया जाना प्रस्तावित है
आरोपित किये जाने वाले कर की दर या रकम इसमें उपाबद्ध प्रस्तावों
में निर्धारित की गई है।

प्रस्तावित कर के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला नगरपालिका
का कोई निवासी इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के
दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति मूल्य नगरपालिका,
अधिकारी, आंतरी, को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा, जिन पर नगर
पालिका परिषद् आंतरी द्वारा विचार किया जावेगा।

संकल्प.

नगरपालिका परिषद् आंतरी सम्पूर्ण नगरपालिका
प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37) की
की उपधारा (1) खण्ड (चौदह) के अधीन प्रकाशकर
करने के लिये यह संकल्प पारित करती है। साथ ही प्रस्ताव
की दर का अनुमोदन करती है।

प्रस्ताव.

नगरपालिका आंतरी की सीमाओं के भीतर स्थित मकानों, भवनों
तथा भूमियों के स्वामियों या दखलकारों द्वारा देय "प्रकाशकर" उनके
वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर निम्नलिखित दरों के अरोपित
किया जावेगा तथा नगरपालिका आंतरी को चुकाया जावेगा।

अनुसूची

क्रमांक	विवरण	कर की वार्षिक
(1)	(2)	(3)

रुपये.

- ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 60 से अधिक न हो।
- ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 60 से अधिक परन्तु रुपये 200 से अधिक न हो।
- ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 200 से अधिक परन्तु रुपये 300 से अधिक न हो।
- ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 300 से अधिक परन्तु रुपये 400 से अधिक न हो।
- ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 400 से अधिक परन्तु रुपये 500 से अधिक न हो।
- ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 500 से अधिक परन्तु रुपये 600 से अधिक न हो।
- ऐसी प्रत्येक इमारत जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 600 से अधिक परन्तु रुपये 700 से अधिक न हो।

Sch 3, 134

19

इस व्यय को पूर्व-अदायगी के बिना
द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
नियमित-पत्र, गवालियर सम्पादन
की जाएगी। - 19.

पंजी. फ्र. न्यासिलियर डिवीजन
एम.पी. - 19.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2001-अग्रहायण 9, शके 1923

भाग 3. (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं वा सूचनाएं

कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकारण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
दिनांक 7 नवम्बर, 2001

क्र. 1/01.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम परिवाश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, भन् 1973) की आदा 50 को उप-भारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम खजराना योग्य नियमित घूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक 134, को उक्त अधिनियम की आदा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानवारों के लिये एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम खजराना के नियमित खालील नम्बरों की घूमि समीक्षित है :—

खालील नम्बर :— 154 पार्ट, 176 पार्ट, 177 पार्ट, 179 पार्ट, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 पार्ट, 187, 188, 189 पार्ट, 190 पार्ट, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 पार्ट, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214, 215, 216 पार्ट, 217 पार्ट, 223 पार्ट, 224 पार्ट, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 पार्ट, 238 पार्ट, 240 पार्ट, 255 पार्ट, 258 पार्ट, 259 पार्ट, 260, 261, 262, 263 पार्ट, 264 पार्ट, 277 पार्ट, एवं 185/1512.

उक्त योजना की प्रति नियमित खालीलों में कार्यालयीन संग्रह के द्वारा निरोक्षण के लिये उपलब्ध है :—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकारण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियंत्रण विभाग, शासिंग काम्पलेक्चर, ए. बी. रोड, इन्दौर
3. आयुक्त, नगरपालिका निगम, इन्दौर

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञाप्ति के ग्रामप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से ग्रहीत होगी।

के. सी. जैन,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

(75-बी.)

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

मैं, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि धर्मगान में भेरा नाम भगवानदास औंहरवाल है। आगे भविष्य में गुस्ते भगवानदास औंधरी के नाम से जाना जाते। मेरी सभी ईक्षणिक प्रपाण-पत्रों (हायर सेकंडरी, बी. एस. सी., एम. एस. सी.) एवं शासकीय सेवा के अधिलेखों में मेरा उपनाम 'अहरवाल' दर्ज है, जो कि अब औंधरी हो गया है। अतः मुझे अब और आगे भी मेरे नाम के आगे उपनाम अध्या सरनेम औंधरी जाना-घोषित होना जावे, इसलिए यह जाहिर सूचना है।

पुराना नाम
भगवानदास अहरवाल

(76-बी.)

संत्य-श्राविलिपि
[Signature]
Land Equisition Officer,
Indore Development Authority
INDORE

नया नाम
भगवानदास औंधरी,
प्रयोगशाला तकनीशियन
शासकीय प्राविटेशिक, दमोह।



डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, गवालियर संभाग,
एम. पी.-19-गवालियर-2008-10

पंजी. क्र. गवालियर डिवीजन
एम.पी.-19-गवालियर-2008-10



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2008-बैंड 22, शके 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 8 अप्रैल, 2008

प्रस्तुत घन्हन

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र. 60.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) को धारा-50 को उपधारा (4) के अधीन
इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा उन्नीस प्राथमिक निवेश अधिनियम को निम्नलिखित खसगा नम्बरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास
योजना क्रमांक 134-ए को उक्त आधिनियम को धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण वीज जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया
जाता है।

योजना क्रमांक 134-ए ग्राम खजूधन में निम्नलिखित खसगा नम्बरों की भूमि सम्मिलित है:—

175 पार्ट, 176/5 पार्ट, 186 पार्ट, 211 पार्ट, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 216 पार्ट, 217 पार्ट, 218 पार्ट, 223 पार्ट, 224 पार्ट,
223 पार्ट, 264 पार्ट, 265, 266, 267 पार्ट, 268 पार्ट, 274 पार्ट, 275 पार्ट, 276 पार्ट एवं 277 पार्ट।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संदातक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शांतिपाल कॉम्प्लेक्स, ए. वी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, इन्दौर नगरपालिका निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञान के मध्यप्रदेश राजपत्र ने प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

प्रमोद गुप्ता,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी,

डाक व्यय को पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,
अनुमति-पत्र, गवालियर सम्भाग,
एम. पी.-19-गवालियर- 2008-10

पंजी. क्र. गवालियर डिवीजन
एम.पी.-19- गवालियर-2008-10



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2008-श्रावण 17, शके 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 5 अगस्त, 2008

प्रारूप पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र. 146.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम-खजराना की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बद्धित नगर विकास योजना क्रमांक 134-बी को उक्त अधिनियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

योजना क्रमांक 134-बी ग्राम-खजराना में निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित है:—

ग्राम का नाम

खसरा नम्बर

खजराना— 218 पार्ट, 223 पार्ट, 267 पार्ट, 268 पार्ट, 269 पार्ट, 270, 271, 272, 273, 274 पार्ट, 275 पार्ट, 276 पार्ट,
292 पार्ट, 293 पार्ट, 294 पार्ट, 325 पार्ट.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, इन्दौर नगरपालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञापन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(59-बी.)

प्रमोद गुप्ता,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

डाक व्यव की ~~मुद्रा~~ अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, मध्यप्रदेश सम्भाग,
एम. पी. - 19.

पंजी. क्र. म्वालियर डिवीजन
एम.पी. - 19.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकास से प्रकाशित

क्रमांक 24]

धौपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2001-चैष्ट 25, शके 1923

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन 7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 24 मई 2001

क्र 39.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम उन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन, इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम-तेजपुर गढ़बड़ी की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से संबंधित नगर विकास योजना क्रमांक 135 को उक्त अधिनियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया

उक्त योजना में ग्राम-तेजपुर गढ़बड़ी के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित हैं :—

खसरा नम्बर :— 11, 12, 13, 14, 16/3, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28/1, 28/3 एवं 29.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयोंन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं :—

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन 7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर
02. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शापिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर
03. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञापन के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

के. सी. जैन,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

सत्य-प्रतिलिपि

Land Equisition Officer,
Indore Development Authority
INDORE

पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.-१९- ग्वालियर-०६-०७

१६४८४२ १५५८९

12 APR 2007

१५५८९

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग
एम. पी. - १९- ग्वालियर- ०६-०७



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक ६ अप्रैल २००७-वैच १६, शके

भाग ३ (१)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर, विकास प्राधिकारी, इन्दौर

७, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 22 मार्च, 2007

क्र. 65.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् १९७३ की धारा ५० को उपधारा (२) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि, इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा ग्राम-निरंजनपुर के निम्नलिखित खसरा नम्बर की भूमि के सम्बन्ध में इन्दौर विकास योजना के प्रावधानों के अनुरूप एक नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है। इस योजना को योजना क्रमांक 136-एक्सटेंशन दिया गया है।

योजना क्रमांक 136-एक्सटेंशन में समाविष्ट भूमि का विवरण:-

ग्राम-निरंजनपुर के खसरा नम्बर--२२५ रकवा १.२१४ हेक्टर।

(99-बी.)

इन्दौर, दिनांक 22 मार्च, 2007

क्र. 66.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् १९७३ की धारा ५० को उपधारा (२) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा ग्राम-खजराना के निम्नलिखित खसरा नम्बर की भूमि के सम्बन्ध में इन्दौर विकास योजना के प्रावधानों के अनुरूप एक नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है। इस योजना को योजना क्रमांक 134-बी दिया गया है।

योजना क्रमांक 134-बी में समाविष्ट भूमि का विवरण:-

ग्राम-खजराना के खसरा नम्बर-- २१८ पार्ट, २२३ पार्ट, २६७ पार्ट, २६८ पार्ट, २६९ पार्ट, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४ पार्ट, २७५ पार्ट,
२७६ पार्ट, २९२ पार्ट, २९३ पार्ट, २९४ पार्ट, ३२५ पार्ट-

(100-बी.)

सी. बी. सिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

द्वाक व्यवहार को पूर्व-अद्यायों के बिना
द्वाक द्वाया भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर संभाग,
एम. पी. 119.



एम.पी.-19

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2002/फालानुन 24, शक 1923।

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनायें

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला

क्र.क्र./एक-23-4/89.—द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नोटरी नियम 1956 के नियम 4 के अंतर्गत श्री रमामलाल अग्रवाल, अधिकारी, मण्डला, तहसील विधिया, जिला मण्डला के लिए नोटरी पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु मेमोरियल प्रस्तुत किया है।

इनकी नियुक्ति के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह राजपत्र में बड़े सूचना प्रकाशन होने की तिथि से 14 दिवस के अंदर नोटरीज नियम 1956 के नियम-6, के अनुसार कार्यालय समय में आपत्ति पेश कर सकते हैं, अन्यथा उक्त समय के पश्चात् नोटरी की नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 25 फालवरी, 2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से प्रचलित किया गया।

(95-चौ.)

क्र.क्र./एक-23-4/89.—द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नोटरी नियम 1956 के नियम 4 के अंतर्गत श्री रमामिलन दुवे, अधिकारी, मण्डला, तहसील विधिया, जिला मण्डला के लिए नोटरी पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु मेमोरियल प्रस्तुत किया है।

इनकी नियुक्ति के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह राजपत्र में यह सूचना प्रकाशन होने की तिथि से 14 दिवस के अंदर नोटरीज नियम 1956 के नियम-6, के अनुसार कार्यालय समय में आपत्ति पेश कर सकते हैं, अन्यथा उक्त समय वे पश्चात् नोटरी की नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 25 फालवरी, 2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से प्रचलित किया गया।

(95-ए)

ए.च. एल. यादव,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन 7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 1 मार्च, 2002

2.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निकेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की पारा 50 की उप धारा (4) के अधीन इन्दौर नियम द्वारा विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम भीरासला, कुमैडी, नरवा, सुखलिया एवं कबीर खेड़ी को नियमित खसरा नामर्थे

सत्य-प्रतिलिपि

Land Equisition Officer,
Indore Development Authority
INDORE

भूमि से संबंधित प्राप्तिकास माजना क्रमांक 139 को उक्त अधिनियम की धारा 50 (7) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एवं दस्तावेज़ प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त माजना ने निम्नलिखित ग्रामों की खसरे नम्बरों को भूमि सम्पालित है :-

01. ग्राम भीरामला खसरा नम्बर : - 149 पार्ट, 150 पार्ट, 151 पार्ट, 54 पार्ट, 176 पार्ट, 177 पार्ट, 178 पार्ट, 179, 180 पार्ट, 181, 182, 183 पार्ट, 191 पार्ट, 192 पार्ट, 193, 194, 195 पार्ट, 196 पार्ट, 97 पार्ट, 198, 199 पार्ट, 200 पार्ट, 203 पार्ट, 204 पार्ट, 205 पार्ट, 211 पार्ट, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट एवं 215 पार्ट।

02. ग्राम कुमैडी खसरा नम्बर : - 21 पार्ट, 22 पार्ट, 23 पार्ट, 25 पार्ट, 26 पार्ट, 27 पार्ट, 28 पार्ट, 30 पार्ट, 31 पार्ट, 32 पार्ट, 34 पार्ट, 36 पार्ट, 37 पार्ट, 38 पार्ट, 41 पार्ट, 42 पार्ट, 43, 44 पार्ट, 45 पार्ट, 48 पार्ट एवं 58 पार्ट।

03. ग्राम नाडूर खसरा नम्बर : - 76 पार्ट एवं 77 पार्ट।
04. ग्राम कथीर खसरा नम्बर : - 30 पार्ट, 31 पार्ट एवं 33 पार्ट।
उक्त माजना को प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयों ने समय के दौरान निरोक्षण के लिए उपलब्ध है :-

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राप्तिकारी, प्राप्तिकरण भवन, 7, रोमानीमेंट, इन्दौर, इन्दौर।
02. मुख्यमंत्र सचिवालय, नगर एवं प्रामाणी नियोजन विभाग, शायिंग कार्यालयस, ए. बी. रोड, इन्दौर।
03. आपुकल इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर।

उक्त नाम विकास माजना इस विज्ञप्ति के म. प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के द्वितीय से प्रकाशित होगी।

(96-भी.)

राकेश भीमसंसद,
मुख्य कार्यालयिक अधिकारी।

कार्यालय, नारायणपुरा पन्थाना, जिला उज्ज॒वला

मन्धाना, दिनांक 10 जनवरी, 2002।

क्र./राज. रा./व. प्र./2002/36. -- सर्व-साधारण को इस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया जाता है कि परिवद्ध प्रस्ताव क्रमांक 126, दिनांक 03. जनवरी, 2002 के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 "व" द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लावे हुए जलकर की दर्द निर्धारित की जाती है। नदुनगर उक्त दर्द नगर पंचायत पंथाना क्षेत्र के लिये दिनांक 01 फरवरी, 2002 से प्रभावशाल रहेगी।

अनुमती

क्र.	विवरण	वर्तमान दर	नवीन संशोधित दर	
			रुपये	रुपये
(अ) बिना मोटर के घोल स्वर्च हेतु :--				
1.	आधा इच्छा प्रति मूल टोटी	30.00	30.00	
2.	आतिरिक्त सहायक प्रति टोटी	10.00	20.00	
(ब) बिना मोटर गैर-घोल स्वर्च हेतु :--				
1.	आधा इच्छा प्रति मूल टोटी	60.00	120.00	
2.	आतिरिक्त सहायक प्रति टोटी	20.00	40.00	

नोट. -- 01 फरवरी, 2002 से 31 मार्च 2002 तक को अग्रिम जमा को गई राशि में अन्तर को साझे उपभोक्ता को जमा कराती होगी।

द्योपक वर्मा,
अध्यक्ष

(97-भी.)

ए. एन. शर्मा,
मुख्य नगरपालिका भूपत्रकारी।

सत्य-प्रतिलिपि

Land Equisition Officer,
Indore Development Authority
INDORE

डाक व्यय को पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, गवालियर सम्भाग,
एम. पी.-19. - गवालियर-03-05



एजी. ड्र. गवालियर डिवील
एम.पी.- 19.-गवालियर-03-05

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

लमाझी

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2003-फाल्गुन 23, शके 1924

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2003

[देखिये नियम 18 (3)]

क्र./114/1-1/150/2000/गोविमा/2003:- मध्यप्रदेश नगर वाप नियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) को धारा 50 को उप-पारा (4) के अपील निवेश क्षेत्र के लिये ग्राम-मुवारकपुर, नर्सिंहगढ़, सीहोर बांसपास रोड की निन्दिति निजी भूमि-कुल रकम 84.16 एकड़ रु. वधा अनुमोदित "नगर विकास योजना" को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जात है :—

ग्राम-मुवारकपुर की निजी भूमि—

क्रमांक	खस्ता क्रमांक	रकम (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
1.	186/3	0.15
	195/1	1.92
	196	8.90
2.	187	1.59
	197	5.61
4.	198	2.50
5.	289/198	0.22
6.	206/4	1.75
7.	206/5	1.60
8.	206/6	1.50
9.	206/7	1.75
10.	236	4.10

100

(1)	(2)	(3)
		(एकड़ में)
11.	185/2	0.20
	186/1	5.20
12.	270	0.78
13.	271	0.61
14.	272/1	10.27
15.	237/2	0.51
16.	277/1, 278, 296/277/2/6/1	2.50
17.	277/1, 278, 296/277/2/6/2	2.50
18.	277/1, 278, 296/277/2/7	2.65
19.	276/2	0.35
20.	272/2/1	1.50
21.	272/2/2	0.50
22.	272/2/3	1.06
23.	277/2/2/1	0.50
24.	277/2/2/2	0.50
	कुल:-	64.16

और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं :--

अर्थात्

- संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग पर्यावरण परिसर, अरेज कालोनी, भोपाल।
- नगरपाली, नगरनिगम, सदर मंजिल, भोपाल। उक्त नगर विकास स्कॉन इस सूचना प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

(90-ली.)

अशोक जैन "भाग"
आधिकारी

कार्यालय इन्दौर, विकास प्राधिकारी
प्राधिकरण भवन-7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
दिनांक 25 फरवरी, 2003

35.— मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन द्वारा निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम-पिपल्याहाना की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक 140 को उक्त अधिनियम ही धारा-50 (7) के अंतर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित एवं प्रोत्तिकृत किया जाता है :--


उक्त योजना में ग्राम-पिपल्याहाना के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि समिलित है :--

खसरा नम्बर :—460 पार्ट, 480 पार्ट, 527 पार्ट, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511/3, 512, 513, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 पार्ट, 527, 528, 529/3, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 550, 553 पार्ट, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 576/1, 578/1, 579, 587 एवं 589/2.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :--

- कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर।

डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, ग्रामिय सम्पादन;
एम. पी. - 19..



मध्यप्रदेश राजपत्र

ग्रामिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2002-क्रमांक 17, शके 1924

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

प्राधिकरण भवन, 7-रेसकोर्ट रोड, इन्दौर

दिनांक 22 अक्टूबर, 02

क्र. 172.— मध्यप्रदेश नगर राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपलब्ध (4) के इन्दौर निवेश फेव में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम तेजत्वेर गडवडी की निनालिखित खसरा नवरों को भूमि के सम्बन्धित विकास योजना क्रमांक 141 को डिक्टा अधिनियम की धारा 50 (7) के अंतर्गत सर्व-साधारण वी जानकारी के लिए एटद्वारा प्रकाशित एवं किया जाता है।

योजना क्रमांक 141 ग्राम बोजपुर गडवडी में निनालिखित खसरा नवरों को भूमि समाचिष्ट है :—

ग्राम का नाम

खसरा नवर

बोजपुर गडवडी

62 पार्ट, 63 पार्ट, 67 पार्ट, 68, 69 पार्ट, 70 पार्ट, 71, 90 पार्ट, 91 पार्ट, 92 पार्ट एवं 93 पार्ट,

उक्त योजना की प्रति निनालिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्ट रोड, इन्दौर;
2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामोंय नियोजन विभाग, लालिंग काम्पलेक्टर, ए. बी. रोड, इन्दौर;
3. अमुकत नगर पालिका नियम, इन्दौर;

उक्त नगर नियोजना इस विज्ञापन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से व्यवस्थित होगी।

(67-वी.)

आम. क्र. गुप्ता,
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी

藏文大藏经

क्षी सूचनायें

मंड़ानुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

पंचांग 29 अक्टूबर 2002

卷之三

अधिनियम: 1951 का वीसवां संसोधन की धारा की

[इस अधिनियम के द्वारा कानूनी विधि का पारा का नाम बदला जाएगा।]

लोक न्यायालय की विभिन्न विधानों से जुड़ा हुआ तथा उनमें से कोई विधान नहीं अधिनियम 1951 को भारा-4 के अधीन अनुसू ने लोक न्यायालय की विधानों से जुड़ा हुआ तथा उनमें से कोई विधान नहीं अधिनियम 1951 को भारा-4 के अधीन अनुसू में लिया गया।

परन्तु यह संपत्ति में हित रखना हो और उसमें कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखा हो, तभी इस संपत्ति का उपयोग करता है।

स्वीकृति देखने का अवधारणा अनुचित अभिकारी, ग्रामद्वार, लोक न्यास का भौजीयक अपने न्यायालय में मैं, दिनांक 8 जून १९८०।

अंतस्त्री

तोकन्यास की सम्पर्किति का विवरण :-

1. तोकं न्यास का नाम घ पता :
 2. चल सम्पत्ति :
 3. अचल सम्पत्ति :

शिवहो वैरेण चलार सुनाज लोक व्यास मंदिर रथान्तिमा

गिरंग

चंद्रिर भूर्ति लक्ष्मीनारायण, नवाचाजार हारकरे रवलिंग

(1586)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास; दुरहानपुर, जिला सुषण्डिला

ਅਤੁਲ ਸਿੰਹ,
ਪੰਜੀਯਕ

प्राण्य - द्वारा

[वियम ५(१) देखिये ।

दिनांक 18 अक्टूबर 2002

[भृथाप्रदेश सार्वजनिक स्थान अधिनियम, 1951 को धारा -4 के अनुरूप]

पं. क्र. 01 /वी-113/2002-2003

एतद्वाप सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, गिला खण्डवा के समझ यह कि श्रीमती सर्वभेदात्मक वेचा रहन्देमल गलरेजा, निवासी सिंधी वस्ती, बुरहानपुर, बहलोल बुरहानपुर ने मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा-५ के अनुसार अनुमति दिए गए थे। इन्हीं अनुमति में विनिर्दिष्ट संख्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वाप सूत्रना-प्रतिक्रिया का अनुग्रह आवेदन दिनांक 13 नवम्बर, 2002 को मेरे न्यायालय में विचार किया जायेगा।

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी (शहर), तहसील हुजुर, भोपाल

[पश्चिम प्रदेश प्रतिक्रिया दस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) प्रतिक्रिया दस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समझ-- रजिस्ट्रार, प्रतिक्रिया दस्ट, जिला भोपाल।

कैसा कि तापाड़िया फोर्डेशन द्वारा प्रेसेजिंग दस्टी, श्री रोहित तापाड़िया पुत्र श्री प्रभात कुमार तापाड़िया, निवासी तापाड़िया स्ट्री रोड लालबाटी, जिला भोपाल के द्वारा पश्चिम प्रदेश प्रतिक्रिया दस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई प्रतिक्रिया दस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र न्यायालय में भेर द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2006 को विचार में लिया जाइ औ इसके बाहर सम्पत्ति में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुन्नाव देना चाहता है, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना देने एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से भेर समझ उपस्थित होकर अपनी आपत्तियों प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि सम्पादि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची :

दस्ट का नाम तथा पता

(तापाड़िया फोर्डेशन द्वारा प्रेसेजिंग दस्टी श्री रोहित तापाड़िया पुत्र श्री प्रभात कुमार तापाड़िया, तापाड़िया स्ट्रीट एप्लोइंग रोड लालबाटी, जिला भोपाल) दस्ट के नाम चल-अचल सम्पत्ति भी न का पंजीयन होने के उपरान्त भैंसेजिंग दस्टी, दस्ट का सूधक से खाता खोलकर उसमें अपनी 10,000/- (दस हजार रुपये) जमा करायेंगे।

अचल सम्पत्ति

निरंक.

(363)

**न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, प्रतिक्रिया दस्ट (वैरागड़-वृन्त), भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई, 2006**

[पश्चिम प्रदेश प्रतिक्रिया दस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) प्रतिक्रिया दस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समझ-- रजिस्ट्रार, प्रतिक्रिया दस्ट, जिला भोपाल।

क्र. नं. ४३७/अ.वि.अ./वैरा.दस्ट/२००६, --जैसा कि आवेदक संस्था "टेम्पल ऑफ सम्बोध प्रतिक्रिया चंगियेल दस्ट" वैरागड़, भोपाल प्रदेश प्रतिक्रिया दस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुतार प्रतिक्रिया दस्ट, उपर्युक्त पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र न्यायालय में भेर द्वारा दिनांक 15 जून, 2006 को विचार में लिया जावेगा। भी छुन्हिया या संस्था जो दस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुन्नाव देना चाहता है, तो लिखित में दो प्रतियों में अपकारण के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से भेर समझ उपस्थित होकर अपनी आपत्तियों प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि सम्पादि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

दस्ट का नाम

"टेम्पल ऑफ सम्बोध प्रतिक्रिया चंगियेल दस्ट"

वायालय का पता

ए-नं.-२२/२२८, वैरागड़, भोपाल।

अचल सम्पत्ति

निरंक.

चल सम्पत्ति

5,000/- रुपये। सात्य-प्रतिलिपि

(364)

आर. एस. गोहल,
अनुबिभागीय अधिकारी (शहर) एवं रजि-

भू-अजंक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी

इन्दौर

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयोंन सम्बन्ध के द्वारा निरोक्षण के लिये उपलब्ध हैः—

01. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शार्पिंग काम्पलेक्स, वो. रोड, इन्दौर.
03. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(31-B-बी.)

इन्दौर दिनांक 15 जून, 2006

प्रारूप पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र./124.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, रान्. 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 को उपधारा (4) के अधीन निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुबैद्धित ग्राम खजरानी की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक-150 को उक्त अधिनियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जनकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित एवं सोपित की जाता है।

उक्त योजना में ग्राम खजरानी तहसील व जिला इन्दौर के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि सम्पादित हैः—

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रक्कड़ा हैक्टेयर में
खजरानी	362 पार्ट	0.120
	366 पार्ट	0.015

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयोंन सम्बन्ध के द्वारा निरोक्षण के लिये उपलब्ध हैः—

01. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शार्पिंग काम्पलेक्स, ए. वो. रोड, इन्दौर.
03. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(31-C-बी.)

स्त्री: बी. मिह
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी,

अन्य सूचनाएँ

नाम परिवर्तन

मेरे रमण कुमार निवासी श्री रमेश उच्चायाद, निवासी एम. आई. जी. ए. 15/2, उर्जन ने अपना नाम बदल कर राघवकीर्ति निवासी श्री रमेश उच्चायाद रख दिया है। अब मुझे आपने परिवर्तित नाम राघवकीर्ति के नाम से ज्ञान दाएगा।

मुख्य नाम :

(रमण कुमार)

सत्य-प्रतिलिपि

नाम नाम :

(राघवकीर्ति)

निवासी एम. आई. जी. ए. 15/2,

उर्जन,

(32-बी.)

श्री-अर्जुन अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी
इन्दौर



झक्क व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,
एम. पी. - 19.

पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.- 19.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2000-आश्विन 21, शके 1922

भाग 3 (1)

विज्ञापन

कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी,
प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक, 22 सितम्बर, 2000

क्र. 163.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित भूमि से सम्बंधित नगर विकास योजना क्रमांक 146 को उक्त अधिनियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एटद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम निरंजनपुर की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि समाविष्ट है :-

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रक्कड़ा हेक्टर में
निरंजनपुर	78/2 पैकी	0.515

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

- कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर।
- संयुक्त सचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शापिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर।
- आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

के. सी. जैन,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

(75-बी.)

अन्य सूचनाएं

MADHYA PRADESH LIFT IRRIGATION CORPORATION LTD, BHOPAL

FORM No. 151

(See Rule-315)

Companies Act, 1956

Member's Voluntary Winding-up

Notice of Appointment of Liquidator Pursuant to Section-516

Name of Company

MADHYA PRADESH LIFT IRRIGATION
CORPORATION LIMITED

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, खालियर सम्माग,
एम. पी. - 19.- खालियर- 06-07

पंजी. क्र. खालियर डिवीजन
एम.पी.-19- खालियर-06-07



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2006-भाद्र 17, शके 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003 (मध्यप्रदेश)

इन्दौर, दिनांक 23 अगस्त, 2006

शुद्धि-पत्र

विज्ञापन क्रमांक 172.—इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर की योजना क्रमांक 150 ग्राम खजरानी के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 (7) के अन्तर्गत विज्ञापन क्रमांक 124, दिनांक 15 जून, 2006 का प्रकाशन दैनिक समाचार- पत्र नई दुनिया एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 16 जून, 2006 तथा मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 7 जुलाई, 2006 को पृष्ठ क्रमांक 1061 पर हुआ है।

उक्त विज्ञापन में त्रिटिवश/नजरचूक से ग्राम खजरानी के खसरा नम्बर 362 पार्ट रकबा 0.120 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 366 पार्ट रकबा 0.015 हेक्टर का प्रकाशन हुआ है। वास्तव में ग्राम खजरानी का सही खसरा नम्बर 362 पार्ट रकबा 0.015 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 366 पार्ट रकबा 0.120 हेक्टर पढ़ा जावे।

(54-बी.)

सौ. बी. सिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

अन्य सूचनाएँ

नाम परिवर्तन

मैं, Ravi Kumar Atulkar, निवासी K.H. No. 194/इ-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र में मेरा नाम Ravi Atulkar लिखा गया है, जबकि बाकी के सभी शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम Ravi Kumar Atulkar लिखा गया है। अतः मुझे सभी जगह Ravi Kumar Atulkar के नाम से ही जाना जाये।

OLD NAME :

RAVI ATULKER

(52-बी.)

NEW NAME :

RAVI KUMAR ATULKAR

CHANGING NAME / SURNAME

1 Vaishali A Bhagat Earlier known by this name wife of Arvind Bhagat have changed my name to Smt. Dharmshila Bhagat hence forth from date I shall be called/known distinguished by the later me.

NEW NAME :

Smt. DHARMSHILA BHAGAT

OLD NAME :

VAISHALI A BHAGAT

(53-बी.)

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम हाईस्कूल की अंकसूची (प्रमाण-पत्र सह अंकसूची) में अरविन्द चन्देल (Arvind Chandel) व पिता का नाम स्वरूप चन्देल (Swaroop Chandel) अंकित है एवं इसके आगे के शैक्षणिक योग्यताओं की अंकसूची में मेरा नाम अरविन्द सिंह चन्देल पिता का नाम श्री स्वरूप सिंह चन्देल है, जो कि सही है, अतः इसी नाम से सभी अभिलेखों में जाना व पढ़ना जावे।

नया नाम :

अरविन्द सिंह चन्देल

गायत्री जनरल स्टोर

शिन्दे, की छावनी, लक्ष्मण नवालियर, ३

पुराना नाम :

अरविन्द चन्देल

(55-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. 7/बी-113 (1)/05-06.

प्राप्ति-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

दिनांक 23 अगस्त, 2006 को जारी

1. जैसा कि श्री कन्ठेदीलाल अमृतलाल मालवीय, कार्यकारी न्यासी ने अनुसूची में दर्शित सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 19 सितम्बर, 2006 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञाप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि की समाप्ति के पश्चात् ग्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : "श्री गौड मालवीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला ट्रस्ट", खण्डवा।

चल सम्पत्ति : रुपये 3824.00 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाल चौकी ब्रांच खण्डवा में बचत खाते में जमा।

अचल सम्पत्ति : 1. श्री गौड मालवीय ब्राह्मण समाज का धर्मशाला भवन इंजीनियर द्वारा अनुमानित आंका गया मूल्य रुपये 25,63,000/-

2. धर्मशाला में पंचायती बर्तन एवं अन्य सामग्री रुपये 15,000/-

डाक व्यवस्था की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, गवालियर सम्पादन,
एम.पी.-19, - गवालियर-03-05

SCH-151



पंजी. क्र. गवालियर डिवीजन
एम.पी.- 19, - गवालियर-03-05

EXP-D-11

DW-1

02/10/03



सम्पादक पात्र
इंदौर (न.प्र.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

पंक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2003-चैत्र 7, शके 1924

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएँ

कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी

प्राधिकरण भवन-7 रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 26 फरवरी, 2003

नगर विकास योजना क्रमांक-152 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

क्र. 37.— इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 14 दिसम्बर, 2001 को पृष्ठ क्रमांक 1255 पर प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 की धारा 3 के अधीन ग्राम छोटा बांगड़दा के निम्नलिखित खसरा नंबरों की भूमि के संबंध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 152 में समाविष्ट भूमि का विवरण

प्राम का नाम (1)	खसरा नंबर (2)	रकबा (हेक्टर में) (3)
छोटा बांगड़दा	332	4.444
	336	5.374
		9.818

उक्त नगर विकास योजना क्रमांक-152 के प्रारूप की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन सम्बन्ध के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है—

- कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7 रेसकोर्स रोड, इन्दौर
- संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर
- आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर

किसी भी ऐसी अधिकारी अथवा सुझाव पर जो इस योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस प्रारूप योजना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तीरीख से 30 दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हों, (यदि वह ऐसी वांछा करे) तो उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा।

(95-बी.)

दिनांक 5 मार्च, 2003

क्र. 44.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम-निरंजनपुर एवं कबीरखेड़ी की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि के प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है :—

उक्त योजना में ग्राम-निरंजनपुर एवं कबीरखेड़ी के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि सम्पर्कित है :—

ग्राम निरंजनपुर :—191 पार्ट, 192 पार्ट, 199 पार्ट, 200 पार्ट, 208 पार्ट, 209, 210, 211 पार्ट, 212, 213, 214 पार्ट, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 पार्ट, 227, 228 पार्ट, 229, 230 पार्ट, 235 पार्ट, 236, 237, 238, 239, 240 पार्ट, 241 पार्ट, 242 पार्ट, 243, 244, 245 पार्ट, 246, 247, 248 पार्ट, 250 पार्ट, 251 पार्ट, 252, 253 पार्ट, 254, 255, 256, 257 पार्ट, 330 पार्ट, 333 पार्ट, 334 पार्ट, 335, 336, 337, 338, 339 पार्ट एवं 235/357.

ग्राम कबीरखेड़ी :—46 पार्ट, 47, 48, 49, 50 पार्ट, 51 पार्ट, 52 पार्ट, 53, 54; 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 पार्ट, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 पार्ट, 74 पार्ट, 81 पार्ट, 82 पार्ट, 84 पार्ट, 85, 86, 87 पार्ट, 89 पार्ट, 90 पार्ट, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 पार्ट, 111, 112 पार्ट, 113 पार्ट, 121 पार्ट, 122, 123 पार्ट, 130, 132 पार्ट एवं 133 पार्ट.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7 रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर
3. आयुक्त, नगरपालिका निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(96-बी.)

आर. के. गुप्ता,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

विविध

आयुक्तों एवं जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17 मार्च, 2003

क्र./क्ष्य/सामान्य-2/2003.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भूपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-3/3/2003/ए/चार, दिनांक 17-3-2003 से प्राप्त निर्देशानुसार होली एवं धूलेड़ी पर्व के अवसर पर सम्पूर्ण उज्जैन जिले के लिए दिनांक 18-3-2003 मंगलवार को विशेष स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ।

यह अवकाश कोषालय/उप-कोषालयों एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा।

भूपाल सिंह,
कलेक्टर।

निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक 151 को उक्त अधिनियम की धारा 50 (ए) के अन्तर्गत सर्व-साधारण जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है :--

189

योजना क्रमांक 151 में समाविष्ट भूमियों का विवरण :--

1. ग्राम भौंसला के खसरा नम्बर :-- 33 पार्ट, 37 पार्ट, 44 पार्ट, 48 पार्ट, 52 पार्ट, 54 पार्ट, 55 पार्ट, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 पार्ट, 63 पार्ट, 65 पार्ट, 66, 67, 68, 69, 70, 71 पार्ट, 74 पार्ट, 75 पार्ट, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 पार्ट, 83, 84 पार्ट, 85 पार्ट, 86 पार्ट, 92 पार्ट, 93 पार्ट, 94 पार्ट, 95, 96, 97, 98, 99 100 पार्ट, 101 पार्ट, 102 पार्ट, 103 पार्ट, 104 पार्ट, 117 पार्ट, 118 पार्ट, 119 पार्ट, 120 पार्ट, 121 पार्ट, 122, 123, 124 पार्ट, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132/217, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 पार्ट, 145 पार्ट, 146 पार्ट, 147 एवं 148.
2. ग्राम टिगरीया बादशाह के खसरा नम्बर :-- 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पार्ट, 12 पार्ट, 13 पार्ट, 14 पार्ट, 15 पार्ट, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पार्ट, 31 पार्ट, 34 पार्ट, 35 पार्ट, 36 पार्ट, 37 पार्ट, 38 पार्ट, 61 पार्ट, 62, 63 पार्ट, 66 पार्ट, 76 पार्ट, 77 पार्ट, 78 पार्ट, 83 पार्ट, 84 पार्ट, 139 पार्ट, 140 पार्ट, 141, 142, 143, 144 पार्ट, 145, 146 पार्ट, 153 पार्ट, 154 पार्ट, 155 पार्ट, 156 पार्ट, 159 पार्ट, 160 पार्ट, 162 पार्ट, 163, 164 पार्ट, 165 पार्ट, 166 पार्ट, 198 पार्ट, 199 पार्ट, 1/376 पार्ट, 1/377 पार्ट, 1/378 पार्ट.
3. ग्राम बड़ा बागड़ा के खसरा नम्बर :-- 319 पार्ट, 507 पार्ट, 508 पार्ट, 511 पार्ट, 512 पार्ट, 513 पार्ट, 577 पार्ट, 578 पार्ट, 579 पार्ट, 582 पार्ट, 583 पार्ट, 583/685, 584 पार्ट, 585 पार्ट, 586 पार्ट, 587 पार्ट, 588, 589, 590, 591 पार्ट, 592, 593 पार्ट, 594 पार्ट, 595 पार्ट, 596, 597, 598 पार्ट, 624 पार्ट, 625 पार्ट, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 पार्ट, 634 पार्ट, 635, 636, 637 पार्ट, 638 पार्ट, 701 पार्ट, 702 पार्ट, 703 पार्ट, 704 पार्ट, 705 पार्ट, 706 पार्ट, 707 पार्ट, 708 पार्ट, 709 पार्ट, 710 पार्ट, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717 पार्ट.
4. ग्राम छोटा बागड़ा के खसरा नम्बर :-- 103 पार्ट, 104 पार्ट, 105 पार्ट.
5. ग्राम सिरपुर के खसरा नम्बर :-- 1 पार्ट.
6. ग्राम नौनोद के खसरा नम्बर :-- 322 पार्ट, 334 पार्ट.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :--

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, शापिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(8-बी.)

आर. के. गुप्ता,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

अन्य सूचनाएँ

सरनेम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मुकेश कुमार जाटव आत्मजं श्री लक्ष्मीनारायण वर्तमान में अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जिला एवं सत्र न्यायालय, मण्डला के पद पर पदस्थ हूँ. मैंने अपना नाम मुकेश कुमार जाटव से परिवर्तित कर मुकेश कुमार "आर्य" कर लिया है. अतः अब मुझे मुकेश कुमार जाटव के स्थान पर मुकेश कुमार आर्य के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे. तथा समस्त अधिलेखों में एवं अन्य आवश्यकतानुसार मेरा नाम परिवर्तित किया जावे।

पुराना नाम :

(मुकेश कुमार जाटव)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

मण्डला (मध्यप्रदेश)

नया नाम :

(मुकेश कुमार आर्य)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

मण्डला (मध्यप्रदेश)

(7-बी.)

TRUE-COPY

Land Acquisition Officer
Indore Development Authority
INDORE

द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति।
निम्नति-पत्र, राजस्थान सरकार,
पो. - 19, रवासियर- 06-07



नमा. नं. १४३६५८ इवान
राज. नं. १० रवासियर- ०६-०७

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2006-आषाढ 16, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003 (मध्यप्रदेश)

इन्दौर, दिनांक 19 मई, 2006

प्राप्त पन्द्रह-

[नियम 18 (3) देखिये]

क्र. 99,--मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, मा. 1973 (क्रमांक 23 मा. 1973) को पारा 50 वो उपचाय (4) के फ़ासित इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम छोटा चांगड़ा को निम्नलिखित घसरा नम्बरों पर भूमि से शास्त्रिय नगर विकास योजना क्रमांक-152 को उन्न अधिनियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत यथा-याचारण की जानकारी के लिए एकदृष्टा प्रकाशित होने योग्यता की जाता है।

उक्त योजना में ग्राम छोटा चांगड़ा के निम्नलिखित घसरा नम्बरों को भूमि सम्मिलित है:-

घसरा नम्बर-332 एवं 336

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यस्थलों में चारोंपार समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:-

01. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर,
02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शास्त्रीय कार्यस्थल, ए. चौ. रोड, इन्दौर,
03. आयुक्ती, नगर नालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञापन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से ग्रहणित होगी।

(३१-वी.)

सत्य-प्रतिलिपि

भू-जल कौशिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी
इन्दौर

इन्दौर, दिनांक: 22 मई, 2006

प्रालय पन्डह

[नियम 19 (3) देखिये]

क्र. 100.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) को धारा 50 की उपधारा 4 के अधीन:- निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम सिरापुर को निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास ये क्रमांक-156 को उक्त अधिनियम को धारा 50 (4) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जा रहा है:-

उक्त योजना में ग्राम सिरापुर के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि सम्पत्ति है:-

खसरा नम्बरः-- 362 पार्ट, 364 पार्ट, 370 पार्ट, 377 पार्ट, 378 पार्ट, 379 पार्ट, 380 पार्ट, 382 पार्ट, 383 पार्ट, 387 पार्ट, 388 पार्ट, 389 पार्ट, 390 पार्ट, 391 पार्ट, 393 पार्ट, 395 पार्ट एवं 396 पार्ट.

उक्त योजना को इति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयों समय के दौरान निरोक्षण के लिये उपलब्ध है:-

01. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शासिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
03. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी.

(31-A-वी.)

इन्दौर, दिनांक 19 मई, 2006

प्रालय पन्डह

[नियम 19 (3) देखिये]

क्र. 98.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) को धारा 50 की उपधारा (4) के इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम छोटा बागड़दा को निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक-155 को उक्त अधिनियम को धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित एवं संप्रिट जाता है.

उक्त योजना में ग्राम छोटा बागड़दा तहसील व जिला इन्दौर के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि सम्पत्ति हैः-

खसरा नम्बर	रकमा हैक्टर में
301 पैकी	0.125
305 पैकी	2.914
306/1	0.393
306/2 पैकी	3.500
307/1	0.364
307/2	3.966
308/1 पैकी	0.113
308/2 पैकी	0.919
309 पैकी	1.198
309/2 पैकी	3.520
कुल रकमा	17.012

सत्य-प्रतिलिपि

महानगर निवेश विभागी

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मार्च 2006

[पाता 3 (1)]

रत्नालय, दिनांक 14 फरवरी, 2006

[मध्यप्रदेश संहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (A) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2006/169. -- कार्यालयोंन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक / परिसमापन / 2005 - 2034, रत्नालय, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 के द्वारा स्टॉ बोर्ड कर्म, साख मह, सं., रत्नालय जिसका पंजीयन क्रमांक/35, दिनांक 11 नवम्बर, 1960 है, को परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया, कारण बताओ सूचना-पत्र में सूचना पालि के 15 दिवस में कार्यालयोंन समय में उपस्थित होकर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था किन्तु संस्था के सम्बन्ध में सेक्षिक में कोई उत्तर नियम समरोचित में ग्राम नहीं हुआ है और न ही व्यक्तिगत पक्ष समर्थन माल्य, है अतः संस्था को मध्यप्रदेश अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (A) के अनुसार परिसमापन में लाने चाहिए है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन संहकारीता विभाग को विज्ञप्ति क्र./एफ-15-01-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. कोठारी, सहायक रजिस्ट्रार, संहकारी सोसायटियां जिला रत्नालय स्टॉ बोर्ड कर्म, साख महकारी संस्था अन्तर्गत, रत्नालय, पंजीयन क्र. 35, दिनांक 11 नवम्बर, 1960 को मध्यप्रदेश संहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (A) के परिसमापन में लाता हूं तथा मध्यप्रदेश संहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत ब्रो के. सी. चौहान, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 14 फरवरी, 2006 को कार्यालयोंन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(15)

श्री. एस. कोठारी,
सहायक रजिस्ट्रार,

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर-452003 (मध्यप्रदेश)

इन्दौर, दिनांक 23 फरवरी, 2006

विज्ञप्ति क्रमांक : 35. -- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) को धारा 50 को उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश थेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम खजराना को निम्नलिखित खसरा नम्बरों को भूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक-159 को उक्त अधिनियम को धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर के निम्नलिखित खसरा नम्बरों को भूमि सम्बन्धित है:--
खसरा नम्बर:--249 पार्ट, 250 पार्ट, 251, 252 पार्ट, 257 पार्ट, 258 पार्ट, 276 पार्ट, 277 पार्ट, 278, 279 पार्ट, 280 पार्ट, 281 पार्ट
एवं 282 पार्ट।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:--

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर.
2. संशुद्ध संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शांतिंग कामलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र ने प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(69-बी.)

सी. बी. सिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सम्बन्धी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रोंमुद्रणलय, राजालियर द्वारा मुद्रित-2006।

(Signature)
10/3
13-3

२२८

डाक व्यवस्था की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्पादन,
एम. पी. - १९- ग्वालियर- ०६-०७



पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी. - १९- ग्वालियर-०६-०७

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

[मांक ४]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी, 2007-माघ 6, शके 1928

भाग ३ (१)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 29 नवम्बर, 2006

प्रारूप-पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र. 213.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कस्बा इन्दौर की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक-160 को उक्त अधिनियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में कस्बा इन्दौर, तहसील च मिला इन्दौर के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित हैः—

खसरा नम्बरः—352 पार्ट, 355 पार्ट, 635 पार्ट एवं 645 पार्ट,

उक्त योजना को प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैः—

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर.
02. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.
03. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शासिंग काप्टलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(८५-बी.)

इन्दौर, दिनांक 6 दिसंबर, 2006

वि. क्र. 218.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम चितावद की निम्नलिखित खसरा नवरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक-163 को उक्त अधिनियम की धारा 50.(7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जातकारी के लिए एतद्वाय प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम चितावद, तहसील व जिला इन्दौर के निम्नलिखित खसरा नवरों की भूमि सम्बन्धित हैः—
ग्राम चितावद, खसरा नवरः—237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 पार्ट, 244 पार्ट, 245 पार्ट, 246, 247, 248 पार्ट, 249 पार्ट,
252, 253, 254, 256 पार्ट।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैः—

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेस्कोस रोड, इन्दौर।
02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शापिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर।
03. आयुक्त, नगर शासिक निगम, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इसे विज्ञापन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(86-बी.)

सौ. बी. सिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मथुरा प्रसाद जैवसबाल, अपना उपनाम जैवसबाल से राब करने की घोषणा करता हूँ, आज
के बाद मुझे मथुरा प्रसाद राय के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

मथुरा प्रसाद जैवसबाल

नया नाम :

मथुरा प्रसाद राय
आत्मज छोटेलाले राय,
अति. परिचालक श्रेणी-1 (लाइन),
कार्या. अति. अधी. यंत्री, नगर सम्भाग
पश्चिम म. प्र. पू. क्ष. वि. वि. कं. लि. मर्या.,
जबलपुर।

(84-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं कार्यालय कलेक्टर, जिला सामग्र

सागर, दिनांक 8 जनवरी, 2007

क्र. क/211/व. लि.-3/06.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3/2/1999/14,
दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर, सागर वर्ष 2007 के लिए सागर जिले के अन्तर्गत
निम्नांकित तारीखों को पूरे जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व/त्यौहार
1.	9 मार्च, 2007	शुक्रवार	रंगपंचमी
2.	19 अक्टूबर, 2007	शुक्रवार	महाअष्टमी
3.	20 नवम्बर, 2007	मंगलवार	देवउठनी एकादशी
4.	26 नवम्बर, 2007	सोमवार (विशेष अवकाश)	सर हरिसिंह गौर जयंती (केवल सागर नगर के लिये)

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उप-कोषालय को लागू नहीं होंगे।

(44)

शिवशेखर शुक्ला,
कलेक्टर।

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,
एम. पी. - 19. - ग्वालियर- 06-07



पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-06-07

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त 2006-भाद्र 3, शके 1928

-भाग ३ (३)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर-452003 (मध्यप्रदेश)

दिनांक 8 अगस्त, 2006

प्रारूप चौदह

[नियम 18 (2) देखिये]

नगर विकास योजना क्रमांक 161 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

विज्ञापन क्रमांक 166. - - एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की भाग 50 की उपधारा (3) के अधीन ग्राम सुकलिया, छोटा बांगड़ा, गाड़राखेड़ी, सिरपुर में निम्नांकित खसरा नम्बर के लिए नगर विकास स्कॉम का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 161 में समाविष्ट भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर
1. सुकलिया--	20 पार्ट, 22 पार्ट, 23 पार्ट, 24 पार्ट, 25 पार्ट, 27 पार्ट, 28 पार्ट, 29 पार्ट, 30 पार्ट, 31 पार्ट, 32 पार्ट, 33 पार्ट, 41 पार्ट, 43 पार्ट, 128 पार्ट, 129 पार्ट, 130 पार्ट, 131 पार्ट, 132 पार्ट, 217 पार्ट, 219 पार्ट एवं 226 पार्ट.
2. छोटा बांगड़ा--	240 पार्ट, 241 पार्ट, 249 पार्ट, 250 पार्ट, 251 पार्ट, 252 पार्ट, 253 पार्ट, 257 पार्ट, 258 पार्ट, 259 पार्ट, 261 पार्ट, 299 पार्ट, 300 पार्ट, 301 पार्ट, 302 पार्ट, 305 पार्ट, 308 पार्ट, 309 पार्ट, 310 पार्ट, 315 पार्ट, 316 पार्ट, 335 पार्ट, 365 पार्ट, 366, 367 पार्ट, 368 पार्ट एवं 369 पार्ट.
3. गाड़राखेड़ी--	14 पार्ट, 234 पार्ट, 235 पार्ट, 236 पार्ट एवं 237 पार्ट.

4. सिरपुर-- 158 पार्ट, 159 पार्ट, 160 पार्ट, 161 पार्ट, 162 पार्ट, 164 पार्ट, 165 पार्ट, 166 पार्ट, 167 पार्ट, 168 पार्ट, 179 पार्ट, 180 पार्ट एवं 181 पार्ट।

तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैः--

- (1) कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
- (2) कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
- (3) कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर जो उस योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी बांछा करे, इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा।

(50-बी.)

दिनांक 8 अगस्त, 2006

प्राप्तव्य चौंदह

[नियम 18 (2) देखिये]

नगर विकास योजना क्रमांक 165 के प्राप्तव्य के प्रकाशन की सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक 165--एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ग्राम राऊ में निर्मांकित खसरा-नस्वर के लिए नगर विकास स्कीम का प्राप्तव्य तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 165 की चतुर्सीमा:--

उत्तर : प्रस्तावित आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्र को विभाजित करने वाली मेजर रोड (मेजर रोड में सम्मिलित होनेवाले क्षेत्र को मिलाकर).

पश्चिम : वर्तमान खण्डवा-इन्दौर रेल्वे लाइन।

दक्षिण : प्रस्तावित मेजर रोड से 30 मीटर दक्षिण तक।

पूर्व : प्लानिंग क्षेत्र की सीमा व प्रस्तावित मेजर रोड तथा इस रोड से 30 मीटर पूर्व तक।

तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैः--

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर जो उस योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी बांछा करे, इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा।

सी. बी. सिंह,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

(50-A-बी.)

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयोन समव के दौरान नियोक्ताओं के लिये उपलब्ध हैं:—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोस रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(41-बी.)

इन्दौर, दिनांक 14 अगस्त, 2007

प्रारूप-पन्द्रह

[निवम 18 (3). देखिए]

वि. क्र. 148.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) को धारा 50 की उपचारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम राज की निम्नलिखित खसरा नम्बरों को भूमि से सञ्चालित नगर विकास योजना क्रमांक 165 को उक्त अधिनियम की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये, एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

उक्त योजना में ग्राम राज के निम्नलिखित खसरा नम्बरों को भूमि सम्प्रिलित हैं:—

खसरा नम्बर:—97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127 पार्ट, 135 पार्ट, 169 पार्ट, 171 पार्ट, 172, 173 पार्ट, 205 पार्ट, 206, 207, 208 पार्ट, 210 पार्ट, 211 पार्ट, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258 पार्ट, 261, 262, 263, 264, 265, 266 पार्ट, 267, 268 पार्ट, 274, 275, 278 पार्ट, 279, 280 पार्ट, 281, 282, 284 पार्ट, 292 पार्ट, 293 पार्ट, 294, 295 पार्ट, 296 पार्ट, 304 पार्ट, 305 पार्ट, 309 पार्ट, 310 पार्ट, 311 पार्ट, 312 पार्ट, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 पार्ट, 326 पार्ट, 327, 356 पार्ट, 357, 358, 360, 361 पार्ट, 362 पार्ट, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 465, 614 पार्ट, 615 पार्ट, 616 पार्ट, 617 पार्ट, 618 पार्ट, 622 पार्ट, 623 पार्ट, 624 पार्ट, 625 पार्ट, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633 पार्ट, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642 पार्ट, 643, 644 पार्ट, 645 पार्ट, 646, 647 पार्ट, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 660 पार्ट, 661 पार्ट, 662 पार्ट, 663, 664, 665 पार्ट, 666 पार्ट, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678 पार्ट, 679 पार्ट, 680 पार्ट, 681 पार्ट, 682, 683, 684, 685, 686 पार्ट, 687 पार्ट, 688 पार्ट, 689 पार्ट, 690 पार्ट, 691 पार्ट, 692 पार्ट, 693 पार्ट, 696 पार्ट, 697 पार्ट, 698 पार्ट, 699, 700 पार्ट, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 पार्ट, 708 पार्ट, 709 पार्ट, 721 पार्ट, 722 पार्ट, 724 पार्ट, 727 पार्ट, 728 पार्ट, 729 पार्ट, 888 पार्ट, 889 पार्ट, 890 पार्ट, 891 पार्ट, 892 पार्ट, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899; 901, 902, 903, 904 पार्ट, 905 पार्ट, 906 पार्ट, 907 पार्ट, 908 पार्ट, 909, 910, 911, 912 पार्ट, 913, 914 पार्ट, 915 पार्ट, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935 पार्ट, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946 पार्ट, 947 पार्ट, 948, 949 पार्ट, 950 पार्ट, 951 पार्ट, 952 पार्ट, 953 पार्ट, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977 पार्ट, 987 पार्ट, 988 पार्ट, 989, 990, 991 पार्ट, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 पार्ट, 1012 पार्ट, 1013, 1014 पार्ट, 1015, 1016, 1017 पार्ट, 1018 पार्ट, 1022 पार्ट, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 पार्ट, 1045 पार्ट, 1046, 1047 पार्ट, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 पार्ट, 1073, 1074 पार्ट, 1075 पार्ट, 1081 पार्ट, 1083 पार्ट, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089 पार्ट, 1107 पार्ट, 1108 पार्ट, 1109 पार्ट, 1110, 1111, 1112, 1113 पार्ट, 1115 पार्ट, 1116 पार्ट, 1118 पार्ट, 1119 पार्ट, 1120 पार्ट, 1121, 1122, 1123, 1124 पार्ट, 1125 पार्ट, 1126 पार्ट, 1127, 1128, 1129, 1130 पार्ट, 1131 पार्ट, 1132 पार्ट, 1133 पार्ट, 1134 पार्ट, 1135 पार्ट, 1136 पार्ट, 1137, 1138 पार्ट, 1139 पार्ट, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157 पार्ट, 1158 पार्ट, 1159 पार्ट, 1160 पार्ट, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165.

1166, 1167, 1168 पार्ट, 1169 पार्ट, 1170, 1171 पार्ट, 1172 पार्ट, 1176, 1181, 1182 पार्ट, 1183 पार्ट, 1184 पार्ट, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189 पार्ट, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 पार्ट, 1240 पार्ट, 1241 पार्ट, 1242 पार्ट, 1243 पार्ट, 1244 पार्ट, 1245 पार्ट, 1246 पार्ट, 1247 पार्ट, 1248 पार्ट, 1249, 1250 पार्ट, 1251 पार्ट, 1252 पार्ट, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 पार्ट, 1266 पार्ट, 1377 पार्ट, 1378 पार्ट, 315/1500, 336/1501, 328/1505 पार्ट, 1229/1506, 677/1508 एवं 652/1509.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:-

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शार्पिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

सत्य प्रतिलिपि

(42-बी.)

प्रमोद गुप्ता,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

भू-अर्जन अधिकारी अन्य सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT JABALPUR, MADHYA PRADESH

ORIGINAL JURISDICTION

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

IN THE MATTER OF M/S. CARBIDE AND CHEMICALS LTD. PURNEA,

DISTRICT PANNA

COMPANY PETITION NO. 20 OF 1994

IN RE CARBIDE AND CHEMICALS LTD.

ADVERTISEMENT OF PETITION

[Under Rule 99]

Notice is hereby given that a period for winding up of above named company by the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur was presented on the 10th July, 2007 presented to the said court by Board for Industrial and Financial Reconstruction, New Delhi and that the said petition is directed to be heard before the court on the 30th August 2007.

Any creditor, contributory or either person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in apposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for hearing.

R. M. SHARMA,
Advocate

(Advocate for applicant).

(37-बी.)

5Ch-166

848

गधप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

[भाग 3 (1)]

विज्ञापन**स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं**

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेस्कोसेर्व रोड, इन्दौर-452003 (म. च.)

दिनांक 29 जून, 2010

प्रारूप-पद्धति

[नियम-18 (3) देखिये]

नि. क्र. 78.—गधप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्र. 23 सन् 1973) को धारा-50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम टिगरिया बादशाह एवं छोटा बागड़दा को निम्नलिखित खसरा नम्बर की भूमि से संबंधित नगर विकास योजना क्रमांक 166 को उक्त अधिनियम की धारा-50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को जनकारी के लिये एकदृष्टा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

योजना क्रमांक 166 ग्राम टिगरिया बादशाह एवं छोटा बागड़दा में निम्नलिखित खसरा नम्बर की भूमि सम्मिलित है:—

ग्राम का टिगरिया बादशाह के खसरा नम्बर:—138 पार्ट, 139 पार्ट, 140 पार्ट, 141 पार्ट, 144 पार्ट, 146 पार्ट, 147, 148, 149, 150, 151, 152 पार्ट, 156 पार्ट, 157, 158 पार्ट, 164 पार्ट, 165 पार्ट, 167 पार्ट, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 पार्ट, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 पार्ट, 199 पार्ट, 200 पार्ट, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 पार्ट, 226 पार्ट, 229 पार्ट, 232 पार्ट, 233 पार्ट, 234 पार्ट, 237 पार्ट, 238 पार्ट, 239 पार्ट, 240 पार्ट, 315 पार्ट, 346 पार्ट, 347 पार्ट।

ग्राम छोटा बागड़दा के खसरा नम्बर:—1 पार्ट, 217 पार्ट, 225 पार्ट, 227 पार्ट।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेस्कोसेर्व रोड, इन्दौर।
2. संयुक्त सचिवालय, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शार्पिंग कॉम्प्लेक्स, ए. चौ. रोड, इन्दौर।
3. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के भव्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

चन्द्रमौलि शुक्ला,

मुख्य कार्यपालिका अधिकारी

(78-ली.)

अन्य सूचनाएं**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में कु. काम्यां भंभानी पुत्री श्री अरोक भंभानी के नाम से जानी पहचानी जाते थे और इसी नाम से अपने हस्ताक्षर करती थीं। शादी के उपरान्त मेरा नाम हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार बदल गया है और मैं वर्तमान में परिवर्तित नाम श्रीमती जिथा पंजवानी जानी श्री प्रशांत पंजवानी के नाम से जानी पहचानी जाती हूं और इसी नाम से हस्ताक्षर करती हूं।

पुराना नाम :

नवा नाम :

(काम्या भंभानी)

(जिथा पंजवानी)

पत्नी श्री प्रशांत पंजवानी,

निवासी 13 सांई लीला, शाभाजी कॉलोनी,

आंध्रे बाजार, व्यासनगर,

(94-ली.)

डाक व्यवस्था की पूर्ण अदायगी के बिना
डाक हाथ में जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, चालियर संभाग,
एम. फी.-19-चालियर- 2008-10

पंजी. क्र. चालियर डिवीजन
एम.पी. -19- चालियर-2008-10

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2010-आश्विन 23, शके 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं
हन्दीर चिकास प्राधिकारी, हन्दीर

7, रेसकोर्स रोड, हन्दीर
दिनांक 06 अक्टूबर 2010

प्रकाशित-पंचम

[गियर 18(3) द्वाखें]

मध्यप्रदेश सरकार

6048

15 OCT 2010

क्र. क्र. 132—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवास अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा-50 की उपधारा (4) के अपील हन्दीर निवास भेत्र में हन्दीर चिकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम नैनोट, छोटी बागड़ा, बड़ा बागड़ा, टियरिया बादशाह, पालांडी, घरवी एवं घंवरामता की नियन्त्रिति ग्राम नम्बरों के भूमि में उन्नति व्यवस्था चिकास द्वारा दिया गया है। इन ग्रामों की विवरण ग्राम का धारा-50(1) के अनुसार सरकारी नामकरण को जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

ग्राम नैनोट के खसरा नम्बर—307 पार्ट।

ग्राम छोटी बागड़ा के खसरा नम्बर—1 पार्ट, 7 पार्ट, 103 पार्ट।

बड़ा बागड़ा के खसरा नम्बर—319 पार्ट, 504 पार्ट, 505 पार्ट, 506 पार्ट, 507 पार्ट, 508 पार्ट, 509, 510 पार्ट, 511 पार्ट, 512 पार्ट, 513 पार्ट, 514 पार्ट, 564 पार्ट, 575 पार्ट, 576 पार्ट, 577 पार्ट, 578 पार्ट, 579 पार्ट, 580 पार्ट, 581 पार्ट, 582 पार्ट, 583 पार्ट, 584 पार्ट, 585 पार्ट, 586 पार्ट, 587 पार्ट, 591 पार्ट, 593 पार्ट, 594 पार्ट, 595 पार्ट, 598 पार्ट, 599 पार्ट, 623 पार्ट, 624 पार्ट, 625 पार्ट, 632 पार्ट, 633, 634 पार्ट, 637 पार्ट, 639 पार्ट, 640 पार्ट, 690 पार्ट, 701 पार्ट, 702 पार्ट, 703 पार्ट, 704 पार्ट, 705 पार्ट, 706 पार्ट, 707 पार्ट, 708 पार्ट, 709 पार्ट, 710 पार्ट, 711 पार्ट।

ग्राम टियरिया बादशाह के खसरा नम्बर—1 पार्ट, 11 पार्ट, 12 पार्ट, 13 पार्ट, 14 पार्ट, 15 पार्ट, 30 पार्ट, 31 पार्ट, 32 पार्ट, 34 पार्ट, 35 पार्ट, 36 पार्ट, 37 पार्ट, 38 पार्ट, 39 पार्ट, 40 पार्ट, 41, 42 पार्ट, 43 पार्ट, 59 पार्ट, 60 पार्ट, 61 पार्ट, 63 पार्ट, 64, 65 पार्ट, 66, 67, 68 पार्ट, 69 पार्ट, 70 पार्ट, 74 पार्ट, 75 पार्ट, 76 पार्ट, 78 पार्ट, 79 पार्ट, 80, 81 पार्ट, 82, 83 पार्ट।

*1170

84 पार्ट, 85, 86 87 पार्ट, 88 पार्ट, 89 पार्ट, 90 पार्ट, 138 पार्ट, 139 पार्ट, 140 पार्ट, 141 पार्ट, 142 पार्ट, 146 पार्ट, 153 पार्ट, 154 पार्ट, 155 पार्ट, 156 पार्ट, 157 पार्ट, 158 पार्ट, 159 पार्ट, 160 पार्ट, 161 पार्ट, 162 पार्ट, 164 पार्ट, 165 पार्ट, 166 पार्ट, 167 पार्ट, 198 पार्ट, 199 पार्ट, 200 पार्ट, 1/376 पार्ट, 1/377 पार्ट एवं 1/378 पार्ट।

ग्राम पालाखेडी के खसरा नम्बर:—239 पार्ट, 240 पार्ट, 241 पार्ट, 280 पार्ट, 281 पार्ट, 282 पार्ट, 321 पार्ट, 325 पार्ट, 326 पार्ट, 327 पार्ट, 328 पार्ट, 329, 330 पार्ट, 331, 332, 234/333।

ग्राम चरदरी के खसरा नम्बर:—57 पार्ट, 58 पार्ट, 59 पार्ट, 60 पार्ट, 76 पार्ट, 82 पार्ट, 83, 84, 85, 86, 87 पार्ट।

ग्राम भवरासला के खसरा नम्बर:—1 पार्ट, 20 पार्ट, 23 पार्ट, 31 पार्ट, 32, 33 पार्ट, 34, 35 पार्ट, 37 पार्ट, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 62 पार्ट, 63, 64, 65 पार्ट, 71 पार्ट, 72, 73 पार्ट, 74 पार्ट, 75 पार्ट, 82 पार्ट, 84 पार्ट, 85 पार्ट, 86 पार्ट, 100 पार्ट, 101 पार्ट, 102 पार्ट, 103 पार्ट, 104 पार्ट, 105 पार्ट, 117 पार्ट, 118/4 पार्ट, 118/5 पार्ट, 119/4, 119/5, 121/4 एवं 121/5।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समवय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:—

1. कार्यालय इन्डौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्डौर।
2. संयुक्त सचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शांपिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्डौर।
3. आमुखत, इन्डौर नगर प्रांतिक निगम, इन्डौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञाप्ति वेद मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(136-बी.)

दिनांक 06 अक्टूबर, 2010

प्रांतीप-पन्ना

[नियम 18(3) वैधिक]

वि. क्र. 131.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सं. 1973 (क्रमांक-23 सं. 1973) की धारा-50 की उपलब्ध (4) के अधीन इन्डौर निवेश क्षेत्र में इन्डौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम भवरासला, कुमेडी एवं सुकल्ला की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से संबंधित नगर विकास योजना क्रमांक 169-ए को उक्त अधिनियम की धारा-50(7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

ग्राम भवरासला के खसरा नम्बर:—150 पार्ट, 151 पार्ट, 152 पार्ट, 153 पार्ट, 154 पार्ट, 155 पार्ट, 156 पार्ट, 157, 158 पार्ट, 175 पार्ट, 176 पार्ट, 177 पार्ट, 178 पार्ट, 180 पार्ट, 183 पार्ट, 184 पार्ट, 185 पार्ट, 189 पार्ट, 190 पार्ट, 191 पार्ट, 192 पार्ट, 195 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 199 पार्ट, 201 पार्ट, 202 पार्ट, 203 पार्ट, 204 पार्ट, 205 पार्ट, 206 पार्ट, 207 पार्ट, 209 पार्ट, 210 पार्ट, 211 पार्ट, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट एवं 215 पार्ट।

ग्राम कुमेडी के खसरा नम्बर:—17 पार्ट, 20 पार्ट, 21 पार्ट, 22 पार्ट, 23 पार्ट, 24 पार्ट, 26 पार्ट, 27 पार्ट, 28 पार्ट, 29 पार्ट, 30 पार्ट, 31 पार्ट, 32 पार्ट, 33 पार्ट, 34 पार्ट, 35 पार्ट, 36 पार्ट, 38 पार्ट, 39, 40, 41 पार्ट, 42 पार्ट, 46 पार्ट, 56 पार्ट, 58 पार्ट, 60 पार्ट, 151 पार्ट, 157 पार्ट।

ग्राम सुकल्ला के खसरा नम्बर:—183 पार्ट, 184 पार्ट, 304 पार्ट, 305 पार्ट, 306 पार्ट, 307 पार्ट, 308 पार्ट, 309 पार्ट, 312 पार्ट, 313 पार्ट, 316 पार्ट, 317 पार्ट, 318, 319, 320, 321, 322, 323 पार्ट, 324, 325 पार्ट, 327 पार्ट, 329 पार्ट, 330 पार्ट, 331, 332 पार्ट, 334 पार्ट, 335 पार्ट, 336 पार्ट, 337 पार्ट, 338 पार्ट, 340 पार्ट, 341 पार्ट, 342 पार्ट, 343 पार्ट, 345 पार्ट, 350 पार्ट, 356, 357 पार्ट, 359 पार्ट, 360 पार्ट, 361 पार्ट, 363 पार्ट, 364 पार्ट एवं 374 पार्ट।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समवय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. कार्यालय इन्डौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्डौर।

2. संयुक्त सचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शांपिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्डौर।

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,
एम. पी.-19-ग्वालियर- 2011-13



पंजी. क्र. ग्वालियर डिवोजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-2011-13

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2011-आषाढ़ 31, शके 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003 (मध्यप्रदेश)

दिनांक 27 जून, 2011

प्रारूप पन्द्रह

[नियम-18 (3) देखिये]

वि. क्र. 111.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम छोटा बागड़ा, तहसील व जिला इन्दौर के निम्नलिखित खसरा नंबरों को प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

योजना क्रमांक 170 ग्राम छोटा बागड़ा (खेलग्राम) — में निम्नलिखित खसरा नंबरों की भूमियां सम्प्रिलित हैं :—

ग्राम छोटा बागड़ा के खसरा नंबर :— 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6, 7 पार्ट, 8, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 12 पार्ट, 13 पार्ट, 35 पार्ट, 39 पार्ट, 61 पार्ट,

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तंथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक चिंगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(110-बी.)

चन्द्रमौली शुक्ला,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शबाना बानो था, परन्तु अब मैंने वर्तमान में अपना नाम बदलकर शबाना अनवर खान रख लिया है। अब मुझे शबाना अनवर खान के नाम से ही जाना पड़ेगा चाहा जावे।

पुराना नाम :

(शबाना बानो)

(SHABANA BANO)

नया नाम :

(शबाना अनवर खान)

(SHABANA ANWAR KHAN)

बी-569, आनन्द नगर, ग्वालियर.

(106-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकी बेन अश्विन कुमार शाह ने विवाह उपर्यात अपना नाम परिवर्तन कर नेहा शाह कर लिया है। अब से मुझे नेहा शाह के नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

(पिंकी बेन अश्विन कुमार शाह)

नया नाम :

(नेहा शाह)

170, R. N. T. मार्ग,

23-A, झाकुआ टावर, इन्दौर (म. प्र.).

(107-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे GOKLANI NIRMALA BEN ASHOK BHAI के नाम से जाना जाता था, किंतु अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर ANJALI DEVJANI रख लिया है। अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ANJALI DEVJANI के नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

(गोखलानी निर्मला बेन अशोक भाई)

(GOKLANI NIRMALA BEN ASHOK BHAI)

(108-बी.)

नया नाम :

(अंजली देवजानी)

(ANJALI DEVJANI)

ई. डब्ल्यू. एस. 31, 32, कोटा सुल्तानाबाद,
भोपाल (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नरसिंगा राव रूपा अंबेकर था, जो कि अब बदलकर मेरा नाम हिमानी निरवाण हो गया है। अतः मुझे अब भविष्य में मेरे नये नाम हिमानी निरवाण के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(नरसिंगा राव रूपा अंबेकर)

(NARASINGA RAO ROOPA AMBEKAR)

(109-बी.)

नया नाम :

(हिमानी निरवाण)

, (HIMANI NIRBAN)

एफ-ए, 60 स्कीम नं. 54, विजय नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, स्मिता जितेन्द्र पटेल ने अपना नाम परिवर्तन कर शकुन्तला बेन पटेल कर लिया है। अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

(स्मिता जितेन्द्र पटेल)

(111-बी.)

नया नाम :

(शकुन्तला बेन पटेल)

7/11, वल्लभ नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, गवालियर सम्भाग,
एम. पी.-19-गवालियर- 2011-13

पंजी. क्र. गवालियर विधायिका
एम.पी.-19- गवालियर-2011-13



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011-वैशाख 16, शके 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 28 मार्च, 2011

प्रारूप-चौदह

[नियम 18 (2) देखिए]

नगर विकास योजना क्रमांक 171 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

वि. क्र. 50.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 19 जून, 2009 को पृष्ठ क्रमांक 1049 पर प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में एतद्वाया यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा-50 को उपधारा (3) के अधीन ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि के संबंध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 171 में समाविष्ट ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्प्लित है।

खसरा नम्बर:—24 पार्ट, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 पार्ट, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 पार्ट, 109, 110, 111 पार्ट, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 पार्ट, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 पार्ट, 176 पार्ट, 177 पार्ट, 178, 179 पार्ट, 186 पार्ट, 189 पार्ट, 190 पार्ट, 195 पार्ट, 325 पार्ट, 327 पार्ट, 435 पार्ट, 436 पार्ट, 437 पार्ट, 438, 439 पार्ट, 440 पार्ट, 441, 442 पार्ट, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 पार्ट, 465, 466, 467, 468 पार्ट, 485 पार्ट, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 67/1500, 65/1499, 68/1496, 69/1501, 69/1510, 116/1444, 165/1461, 492/1441, 492/1525, 88/1530 एवं 189/1513 पार्ट।

करत नगर विकास योजना के प्रारूप की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान विरोधण के लिये उपलब्ध हैः—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शापिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर, जो उस योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यदि ऐसी वांछ करे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा।

चन्द्रमौली शुक्ल,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

(39-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा पूर्व में नाम MONA JAISINGHANI था, जो कि बदलकर VAISHALI CHAWLA हो गया है तथा भविष्य में मुझे VAISHALI CHAWLA के नाम जाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(मोना जसिंगहानी)

(वैशाली चावला)

(MONA JAISINGHANI)

(VAISHALI CHAWLA)

पता:-29-A Sector Indra Puri
Bhopal (मध्यप्रदेश).

(32-बी.)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा पूर्व में नाम ASHA JAISINGHANI था, जो कि बदलकर MUSKAN CHAWLA हो गया है तथा भविष्य में मुझे MUSKAN CHAWLA के नाम जाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(आशा जसिंगहानी)

(मुस्कान चावला)

(ASHA JAISINGHANI)

(MUSKAN CHAWLA)

पता:-29-A Sector Indra Puri
Bhopal (मध्यप्रदेश).

(33-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मंगलाकान्त करोड़े पुत्र स्व. श्री शिवप्रसाद करोड़े, निवासी-29, गायत्री नगर, तानसेन रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश मेरा पूर्व नाम मंगलाकान्त करोड़े था, जो अब मंगेश निगम रख लिया है।

अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मंगेश निगम के नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(मंगलाकान्त करोड़े)

(मंगेश निगम)

पता : 29, गायत्री नगर,
तानसेन रोड, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(34-बी.)

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,
एम. पी.-19-ग्वालियर- 2011-13



पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-2011-13

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011-पौष 2, शके 1933

भाग 3 (1)

बिज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 09 दिसम्बर, 2011

प्रारूप पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र. 234.—मध्यप्रदेश नगर तथा 3 म निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) को धा. 50 की उप-धारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम नैनोद, छोटा बांगड़ा एवं कोर्डियाबड़ी की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से संबंधित नाम विकास योजना क्रमांक 172 के उक्त अधिनियम को धा. 50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण के जनकारी के लिये प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

योजना क्रमांक 172 में ग्राम नैनोद, छोटा बांगड़ा एवं कोर्डियाबड़ी के निम्नलिखित खसरा नम्बरों का भूमियां समिलित हैं:—

ग्राम नैनोद के खसरा नंबर:—256 पार्ट, 313 पार्ट, 314 पार्ट, 316 पार्ट, 317 पार्ट, 318, 319, 320 पार्ट, 322 पार्ट, 323 पार्ट, 324 पार्ट, 329, 331 पार्ट, 332 पार्ट, 333 पार्ट, 34 पार्ट।

ग्राम छोटा बांगड़ा के खसरा नंबर:—105 पार्ट।

ग्राम कोर्डियाबड़ी के खसरा नंबर:—1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एवं 6 पार्ट।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कालयों में कार्यालयीन समय के दोगन निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर।

02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर।

03. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिका नि. 1 म, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति न मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।
(235-बी.)

दिनांक 09 दिसम्बर, 2011

प्रारूप चन्द्रह

[नियम 18 (३) देखिये]

नि. क्र. 235.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ (क्र.मांक 23 नं. १९७३) की धारा ३० की उप पाठ (— के अधीन इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम खजारानी एवं खजराना की निम्नलिखित खसरा नंबरों की भूमि ये सं घर तारा को योजना क्रमांक 173 को उक्त अधिनियम की धारा ५० (२) के अन्तर्गत सर्व राजारण को जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशि एवं घोषित किया जाता है।

योजना क्रमांक 173 में ग्राम खजरानी एवं ग्राम खजराना ऐ निम्नलिखित खसरा नंबरों की भूमियां सरिष्ठित हैं—

ग्राम खजराना के खसरा नंबर— ३९१ पाठ, ३९२ पाठ, ३९३ सर्व, ३९४ घाँ, ३९५ पाठ, ३९६ घाँ, ३९७ पाठ, ३९८ पाठ, ४१७ पाठ.

ग्राम खजराना के खसरा नंबर— ५११ पाठ, ६४६ पाठ, ६४७ पाठ, ६४८ घाँ, ६४९ पाठ, ६५१ पाठ, ६५२ पाठ, ६५३ पाठ, ६६० पाठ, ६६२ पाठ, ६६३ पाठ, ६६४ पाठ, ६६५ पाठ, ६८७ घाँ, ७०० पाठ, ७०१ पाठ, ७०२ घाँ, ७०३ पाठ, ७११ घाँ, ७१२ पाठ एवं ७५० घाँ।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है—

१. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी प्राधिकरण भवन, रेसकौर्स रोड, इन्दौर.
२. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शिंग कॉम्प्लैक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
३. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(235 आ-बी.)

चन्द्रमौलि शुक्ला,
मुख्यकार्यपालिक अधिकारी

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011

प्रारूप चन्द्रह

[नियम 18 (३) देखिये]:

क्र. 1126/मुवानि/भोविप्रा/11.—भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल, ग्राम अमरावदखुर्द में दो किता खसरा क्र. ६१/१ एवं १/२ रक्का १९.५५ एकड़ में से २.१७६ एकड़ में आवासीय योजना का प्रारूप तैयार कर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ की धारा-५० की उपधारा (३) का प्रकाशने दिनांक ११ नवम्बर, २०११ को राजपत्र में किया गया है, प्राप्त आपत्तियों/सुझाव के विचारोपरान्त नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ की धारा-५० की उपधारा (४) के अधीन निवेश क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नगर विकास स्कीम को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। उक्त स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं, अर्थात्—

१. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल, प्रगति भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.
२. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय पर्यावरण परिसर ई-५, ओरा कॉलोनी, भोपाल.
३. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.

उक्त नगर विकास स्कीम राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवर्तित होगी।

(240-बी.)

क्षी. पी. मालवीय,
मुख्य वास्तु नियोजक.

३. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवार्तित होगी।
(137-बी.)

दिनांक ०५ अक्टूबर 2010

वि. क्र. 130.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् १९७३ की धारा-५० की उपधारा (२) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वाय यह प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है कि ग्राम खजारानी एवं खजाराना तहसील व जिला इन्दौर की भूमि के सभ्यत्व में इन्दौर विकास अधिकारी नियांकत खसरा नम्बरों की भूमि के विकास बाबत अंगीकृत विकास योजना २०२१ (मास्टर प्लान) के प्रावधानों एवं उसमें निर्धारित भू-उपयोग अनुसार लिंक मार्ग निर्माण बाबत एक नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है। इस योजना को योजना नम्बर १७३ दिया गया है।

योजना नम्बर १७३ में ग्राम खजारानी एवं खजाराना के नियांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित है।—

१. खजारानी के खसरा भूम्बर:—३१ पार्ट, ३९२ पार्ट, ३९३ पार्ट, ३९४ पार्ट, ३९५ पार्ट, ३९६ पार्ट, ३९७ पार्ट, ३९८ पार्ट, ४१७ पार्ट,
ग्राम खजाराना के खसरा भूम्बर:—५१ पार्ट, ६४६ पार्ट, ६४७ पार्ट, ६४८ पार्ट, ६४९ पार्ट, ६५० पार्ट, ६५१ पार्ट, ६५२ पार्ट, ६५३ पार्ट, ६६० पार्ट,
६६२ पार्ट, ६६३ पार्ट, ६६४ पार्ट, ६६५ पार्ट, ६८७ पार्ट, ७०० पार्ट, ७०१ पार्ट, ७०२ पार्ट, ७०३ पार्ट, ७११ पार्ट,
७१२ पार्ट, ७१३ पार्ट, ७३५ पार्ट एवं ७४० पार्ट।

(५-बी.)

के. के. माहेश्वरी
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं एतद् यह सर्व सूचित करती हूँ कि शादी से पूर्व में यह नाम विद्या तिखे था और अब शादी के बाद में ही नाम सुनीता बालुंजकर हो गया है एवं सभी दस्तावेज़ में यही नाम अंकित किया जावे।

दराना नाम :

(विद्या तिखे)

नवा नाम :

(सुनीता बालुंजकर)

पति श्री सुभाष बालुंजकर,
विट्ठिनी की गोत्र, विट्ठिनी का बाड़ा,
सशकर, खालियर, मध्यप्रदेश।

(१३४-बी.)

नाम परिवर्तन

प्रक्रि
श्रीमती शिल्पा परांजपे हो गया है। अब मैं श्रीमती शिल्पा परांजपे पत्नी श्री श्वाम परांजपे के नाम से ही जानी जाती हूँ। अतः समस्त पत्र व्यवहार एवं दस्तावेज़ में यही नाम अंकित किया जावे।

पुरुष नाम :

(वर्षा दांडेकर)

(१३३-बी.)

नवा नाम :

(श्रीमती शिल्पा परांजपे)

९७-शकुन्तलापुरी, धारोपुर, खालियर।

नाम परिवर्तन

पूर्व मैं नाम सरजू प्रसाद आत्मज श्री नाथूराम ब्राह्मण था, इसी नाम से दिनांक ०१-०३-१९७४ से २४-०४-१९७९ तक नैमित्तिक व्यय कलेक्टर रेट पर मासिक चैकन पर सॉड रक्षक (नन्दी रक्षक) के पद पर एवं दिनांक २५-०४-१९७९ से ३०-०६-२००७ तक नैमित्तिक (क्रॅफ्ट-जैटेट) भरत दास ब्राह्मण के नाम पर शासकीय सेवाएं कर सेवा निवृत्त हुआ है।

अतः सरजू प्रसाद के स्वान पर दिनांक ०१-०३-१९७४ से ३०-०६-२००७ तक की सेवाएं (भरत दास ब्राह्मण) के नाम पर माना जावे।

पुरुष नाम :

(भरजू प्रसाद)

नवा नाम :

(भरत दास ब्राह्मण)

आत्मज श्री नाथूराम

ग्राम-पोस्ट-कुण्डेश्वर,

जिला व तहसील दीक्षियगढ़ (मध्यप्रदेश)।

(१३८-बी.)

दिनांक 09 दिसम्बर, 2011

प्रारूप पन्द्रह

[नियम 18 (१) देखिये]

नि. क्र. 235.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम २३ दिसम्बर १९७३ (क्रमांक २३ मंद. १९७३) की धारा ५० की उप पारा (१) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम खजरानी एवं खजराना को निम्नलिखित खसरा नम्बरों को भूमि से सं धेत घोषि करा जाता है।

योजना क्रमांक 173 में ग्राम खजरानी एवं ग्राम खजराना वे निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमियां समिलित हैं—

ग्राम खजरानी के खसरा नम्बर:—३९१ पार्ट, ३९२ पार्ट, ३९३ पार्ट, ३९४ पार्ट, ३९५ पार्ट, ३९६ पार्ट, ३९७ पार्ट, ३९८ पार्ट, ४१७ पार्ट,

ग्राम खजराना के खसरा नम्बर:—५११ पार्ट, ६४६ पार्ट, ६४७ पार्ट, ६४८ पार्ट, ६४९ पार्ट, ६५१ पार्ट, ६५२ पार्ट, ६५३ पार्ट, ६६० पार्ट, ६६२ पार्ट, ६६४ पार्ट, ६६५ पार्ट, ६८७ पार्ट, ७०० पार्ट, ७०१ पार्ट, ७०२ पार्ट, ७०३ पार्ट, ७११ पार्ट, ७१२ पार्ट एवं ७४० पार्ट।

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन रूप के दौशन निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं—

१. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, रेसवोर्स रोड, इन्दौर।
२. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, इंटिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर।
३. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर।

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

(235 आ-बी.)

चन्द्रमौलि शुक्ला,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011

प्रारूप पन्द्रह

[नियम 18 (३) देखिये]

क्र. 1126/मुवानि/भोविप्रा/11.—भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल, ग्राम अमरावदखुर्द में दो किला खसरा क्र. ६१/१ एवं १/२ रुकना ९.५५ एकड़ में से २.१७६ एकड़ में आवासीय योजना का प्रारूप तयार कर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को धारा ५० को उपधारा (३) का प्रकाशन दिनांक ११ नवम्बर, २०११ को राजपत्र में किया गया है, प्राप्त आपत्तियों/सुझाव के विचारोपान्त नगर तथा ग्राम निवेश विकास स्कॉम को सर्व-साधारण को जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। उक्त स्कॉम को प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है, अर्थात्—

१. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल, प्रगति भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल।
२. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय पर्यावरण परिसर ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
३. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल।

उक्त नगर विकास स्कॉम राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवर्तित होगी।

(240-बी.)

व्हा. पी. मालवीय,
मुख्य वास्तु नियोजक।

३. आयुका, इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर.

उल्ता नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनों से प्रवर्तित होगी।

(137-बी.)

दिनांक 05 अक्टूबर 2010

वि. नं. 130.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 की धारा-50 की उपधारा (2) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वाहाण यह प्रकाशित एवं पोषित किया जाता है कि ग्राम खजरानी एवं खजराना ताहसील ये जिला इन्दौर की भूमि के सम्बन्ध में इन्दौर विकास प्राधिकारी निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि के विकास बाबत अंगीकृत विकास योजना 2021 (मास्टर प्लान) के प्रावधानों एवं उसमें निर्धारित भू-उपयोग अनुसार लिक मार्ग निर्माण वाले एक नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है; इस योजना को योजना क्रमांक 173 दिया गया है।

योजना क्रमांक 173 में ग्राम खजरानी एवं खजराना के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित है:—

१। खजरानी के खसरा नम्बर:—391 पार्ट, 392 पार्ट, 393 पार्ट, 394 पार्ट, 395 पार्ट, 396 पार्ट, 397 पार्ट, 398 पार्ट, 417 पार्ट।

ग्राम खजरानी के खसरा नम्बर:—511 पार्ट, 646 पार्ट, 647 पार्ट, 648 पार्ट, 649 पार्ट, 650 पार्ट, 651 पार्ट, 652 पार्ट, 653 पार्ट, 660 पार्ट, 662 पार्ट, 663 पार्ट, 664 पार्ट, 665 पार्ट, 687 पार्ट, 700 पार्ट, 701 पार्ट, 702 पार्ट, 703 पार्ट, 711 पार्ट, 712 पार्ट, 713 पार्ट, 735 पार्ट एवं 740 पार्ट।

(5-१.)

के. के. माहश्यरी,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम यह सर्व रूचित करती है कि शादी से पूर्व मेरु नाम विद्या तिखे था और अब शादी के बाद मेरु नाम सुनीता बालुंजकर हो गया है एवं सभी कागजात इसी नाम से हैं। मुझे अब इसी नाम से जाना एवं पढ़ा जाये। यह मैं सर्व सूचित करती हूँ।

पुराना नाम :

(विद्या तिखे)

नया नाम :

(सुनीता बालुंजकर)

पति श्री सुभाष बालुंजकर,

चिट्ठनिस की गोठ, चिट्ठनिस की बाड़।

सरकार, राजिलियर, मध्यप्रदेश।

(134-बी.)

नाम परिवर्तन

श्रीमती शिल्पा परांजपे हो गया है, अब मैं श्रीमती शिल्पा परांजपे चली श्री इशाम परांजपे के नाम से ही जानी जाती हूँ। अतः समस्त पत्र व्यवहार एवं दस्तावेज में यही नाम अंकित किया जावे।

पुराना नाम :

(व्याधी दाम्पदेकर)

नया नाम :

(श्रीमती शिल्पा परांजपे)

97-शंकुन्नलापुरी, धारोपुर, राजिलियर।

(133-बी.)

नाम परिवर्तन

यूवे मेरा नाम सरजू प्रसाद आत्मज श्री नाथराम ब्राह्मण था, इसी नाम से दिनांक 01-03-1974 से 24-04-1979 तक नैमेनिक व्यय कलेक्टर रेट पर ग्रामिक वैलन पर सॉड रक्षक (नन्दी रक्षक) के पद पर एवं दिनांक 25-04-1979 से 30-06-2007 तक नैमेनिक (कार्पेनेप्ट नियमित) भरते दास ब्राह्मण के नाम पर शासकीय सेवाएं कर सेवा निष्ठृत हुआ है।

अतः सरजू प्रसाद के स्थान पर दिनांक 01-03-1974 से 30-06-2007 तक की सेवाएं (भरत दास ब्राह्मण) के नाम पर मात्रा जावे।

पुराना नाम :

(सरजू प्रसाद)

नया नाम :

(भरत दास ब्राह्मण)

आत्मज श्री नाथराम

ग्राम-पोल्ड कुण्डेश्वर,

जिला य ताहसील दीएपगड़ (मध्यप्रदेश)।

(138-बी.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2012—आष्ट्वन 20, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

* कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7 रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003

दिनांक 01 अक्टूबर, 2012

प्रस्तुत-उन्नीस

[नियम 19 (5) देखिये]

[धारा-50 की उप-धारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना]

वि. क्र. 171.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23 सन्-1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना अर्थात् योजना क्रमांक 174 क्षेत्र ग्राम लसूडियामोरी, अरंडिया, मायाखेड़ी, तलावलीचांदा के लिए निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:—

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7 रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.

योजना क्रमांक 174 (ट्रांसपोर्ट हब) में निम्नलिखित ग्रामों एवं खसरा नम्बरों की भूमियाँ सम्मिलित हैं:—

1. ग्राम लसूडियामोरी के खसरा नम्बर:— 196 पार्ट, 197 पार्ट, 198 पार्ट, 199 पार्ट, 200 पार्ट, 208 पार्ट, 209 पार्ट, 210 पार्ट, 211, 212, 213, 214, 215 पार्ट, 216 पार्ट, 217, 218, 219 पार्ट, 220 पार्ट, 221 पार्ट, 222 पार्ट, 223 पार्ट, 224 पार्ट, 225 पार्ट, 226 पार्ट, 227 पार्ट, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 पार्ट, 239 पार्ट, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 255, 256 पार्ट, 257 पार्ट, 258 पार्ट, 259 पार्ट, 260 पार्ट, 277 पार्ट, 279 पार्ट, 280 पार्ट, 332 पार्ट एवं 207/338 पार्ट.

2. ग्राम अंरडिया के खसरा नंबरः—6 पार्ट, 7 पार्ट, 179 पार्ट, 183 पार्ट, 199 पार्ट, 200 पार्ट.
3. ग्राम मायाखेड़ी के खसरा नंबरः—1 पार्ट, 35 पार्ट.
4. ग्राम तलावलीचांदा के खसरा नंबरः—224 पार्ट, 231 पार्ट, 233 पार्ट, 234 पार्ट, 235, 236 पार्ट.

(162-बी.)

दिनांक 01 अक्टूबर, 2012

प्रस्तुप-उन्नीस

[नियम 19 (5) देखिये]

[धारा -50 की उप धारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना]

वि. क्र. 172.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23 सन्-1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना अर्थात् योजना क्रमांक 1/5 क्षेत्र ग्राम निपानिया, कनाडिया, टिगरियाराब एवं बिचौली हप्सी के लिए धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की ज्ञानकारी के लिये एतद्वारा अंतिमरूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियाँ निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं:—

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7 रेस्कोर्स रोड, इन्दौर.
02. सयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.

योजना क्रमांक 175 में निम्नलिखित ग्रामों एवं खसरा नम्बरों की भूमियाँ सम्मिलित हैं:—

1. ग्राम निपानिया के खसरा नंबरः—260 पार्ट, 265 पार्ट, 284 पार्ट, 285 पार्ट, 288 पार्ट, 289 पार्ट, 291 पार्ट, 292 पार्ट, 293, 294, 295, 296 पार्ट, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 एवं 309.

2. ग्राम कनाडिया के खसरा नंबरः—1, 2, 3 पार्ट, 4, 5, 6 पार्ट, 7, 8, 9 पार्ट, 10, 27 पार्ट, 28, 29, 30, 31 पार्ट, 33 पार्ट, 34 पार्ट, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 पार्ट, 61, 62 पार्ट, 63 पार्ट, 64 पार्ट, 65 पार्ट, 86 पार्ट, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 पार्ट, 105 पार्ट, 106, 107 पार्ट, 108, 110, 111, 112, 113, 114 पार्ट, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126 पार्ट, 148 पार्ट, 149, 150 पार्ट, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 पार्ट, 158, 159, 160 पार्ट, 172 पार्ट, 182 पार्ट, 183 पार्ट, 184 पार्ट, 185, 186, 187, 188, 189, 190 पार्ट, 191 पार्ट, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 पार्ट, 201, 202, 203, 204, 205, 206 पार्ट, 207 पार्ट, 208, 209, 210, 212, 213 पार्ट, 214, 215, 216, 217 पार्ट, 218, 219, 220, 221, 222 पार्ट, 223, 224 पार्ट, 225 पार्ट, 233 पार्ट, 150/1274 पार्ट.

3. ग्राम टिगरियाराब के खसरा नंबरः—1 पार्ट, 2, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6, 7, 9, 10 पार्ट, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पार्ट, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 पार्ट, 37 पार्ट, 39 पार्ट, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 पार्ट, 49 पार्ट, 50 पार्ट, 55 पार्ट, 56 पार्ट, 58 पार्ट, 69 पार्ट, 70 पार्ट, 71 पार्ट, 72 पार्ट.

4. ग्राम बिचौली हप्सी के खसरा नंबरः—1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7, 8, 9, 10, 11 पार्ट, 12 पार्ट, 13, 16 पार्ट, 17 पार्ट, 19 पार्ट, 20 पार्ट, 25, 26, 27, 28 पार्ट, 29 पार्ट, 30 पार्ट, 31 पार्ट, 32 पार्ट, 33 पार्ट, 35, 36 पार्ट, 37, 38 पार्ट, 39 पार्ट, 40 पार्ट, 43 पार्ट, 44 पार्ट, 45 पार्ट, 46 पार्ट, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 पार्ट, 56 पार्ट, 57 पार्ट, 58 पार्ट, 59 पार्ट, 60, 61 पार्ट, 62 पार्ट, 63 पार्ट, 65 पार्ट, 66 पार्ट, 67 पार्ट, 68 पार्ट, 69 पार्ट, 85 पार्ट, 99 पार्ट, 100 पार्ट, 101, 102 पार्ट, 103 पार्ट, 104 पार्ट, 105 पार्ट, 131 पार्ट, 135 पार्ट, 136 पार्ट, 137 पार्ट, 138, 140 पार्ट, 141 पार्ट, 142 पार्ट, 143, 144 पार्ट, 145, 146 पार्ट, 147 पार्ट, 148 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 201 पार्ट, 202 पार्ट, 204 पार्ट, 205 पार्ट, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 पार्ट, 217 पार्ट, 218 पार्ट, 219, 220 पार्ट, 221 पार्ट, 222 पार्ट, 223 पार्ट, 224, 225, 226, 227, 228, 229 पार्ट, 230, 231, 232, 233 पार्ट, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 पार्ट, 246 पार्ट, 247 पार्ट, 249 पार्ट, 252 पार्ट, 286 पार्ट, 287, 288, 289 पार्ट, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 पार्ट, 297 पार्ट, 298 पार्ट, 299 पार्ट, 300 पार्ट, 326, 327 पार्ट, 328, 329 पार्ट, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 पार्ट, 346 पार्ट, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 पार्ट, 355 पार्ट, 356 पार्ट, 401 पार्ट, 402 पार्ट, 403, 407, 408 पार्ट, 409 पार्ट, 410 पार्ट, 404/461.

(162-बी.)

दीपक सिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013-भाद्र 22, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 22 अगस्त, 2013

प्रारूप चौदह

[नियम 18 (2) देखिये]

नगर विकास योजना क्रमांक 176 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

वि. क्र./131.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 13 जुलाई, 2012 को प्रकाशित वि. के संदर्भ में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) को धारा-50 की धारा (3) के अधीन निमांकित ग्राम एवं खसरा नम्बरों की दर्शित भूमि के संबंध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 176 में ग्राम बड़ा बांगड़ा, पालाखेड़ी, लिम्बोदागारी, टिगरिया बादशाह, तहसील हातौद, जिला इन्दौर एवं भंवरासला, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के निमांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित हैं:—

ग्राम बड़ा बांगड़ा के खसरा नम्बर:—356 पार्ट, 499 पार्ट, 500 पार्ट, 501 पार्ट, 502, 503, 504 पार्ट, 505 पार्ट, 506 पार्ट, 51 532 पार्ट, 513 पार्ट, 514 पार्ट, 515, 516, 517, 518 पार्ट, 519 पार्ट, 521 पार्ट, 557 पार्ट, 558, 559 पार्ट, 560, 561, 562, 563, 564 पार्ट, 565 567, 568, 569 पार्ट, 570 पार्ट, 571 पार्ट, 572 पार्ट, 573, 574, 575 पार्ट, 576 पार्ट, 577 पार्ट, 579 पार्ट, 580 पार्ट, 581 पार्ट, 582 पार्ट, 58 586 पार्ट, 593 पार्ट, 598 पार्ट, 599 पार्ट, 600, 601, 602, 603, 604 पार्ट, 605 पार्ट, 612 पार्ट, 613 पार्ट, 614 पार्ट, 615 पार्ट, 616, 617, 618 620, 621, 622, 623 पार्ट, 624 पार्ट, 625 पार्ट, 638 पार्ट, 639, 640, 641 पार्ट, 642 पार्ट, 643 पार्ट, 644 पार्ट, 645 पार्ट, 646 पार्ट, 707 1

ग्राम पालाखेड़ी के खसरा नम्बर:—234/333 पार्ट, 236 पार्ट, 238 पार्ट, 239 पार्ट, 240 पार्ट, 241 पार्ट, 242, 243, 24 245 पार्ट, 246 पार्ट, 247 पार्ट, 250 पार्ट, 251 पार्ट, 280 पार्ट, 281, 282 पार्ट, 283, 284, 285 पार्ट, 286 पार्ट, 290 पार्ट, 291, 292 पार्ट, 2 316 पार्ट, 317 पार्ट, 318 पार्ट, 319, 320, 321 पार्ट, 322, 323 पार्ट, 324, 325 पार्ट, 326 पार्ट, 327 पार्ट, 328 पार्ट, 330 पार्ट, 332 4

ग्राम लिम्बोदागारी के खसरा नम्बर:—194 पार्ट, 485 पार्ट, 486 पार्ट, 488.

ग्राम टिगरिया बादशाह के खसरा नम्बर:—1 पार्ट, 76 पार्ट.

ग्राम भंवरासला के खसरा नम्बर:—90.

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप को एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरोक्षण के लिये उपलब्ध है—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शासिण कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर जो उक्त योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा।

(320-बी.)

दीपकसिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

अन्य सूचनाएँ

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म/मैसर्स—जनकनन्दनी कंस्ट्रक्शन, 501, सुरेश नगर, थाटीपुर, लश्कर, न्वालियर का वर्तमान कार्यस्थल जो कि 501, सुरेश नगर, थाटीपुर, लश्कर, न्वालियर था. दिनांक 29 जुलाई, 2013 से नवीन स्थल ए-8, बिनय नगर, सेक्टर नम्बर-4, जल रोड, न्वालियर पर परिवर्तित किया जा रहा है। सर्व-साधारण एवं आमजन सूचित हों।

फर्म/मैसर्स—जनकनन्दनी कंस्ट्रक्शन,
सुमित उपाध्याय, (भागीदार)
द्वारा अनिल अग्रवाल (एडवोकेट),
खुर्जेवाला मोहल्ला, दौलतगंज, लश्कर,
न्वालियर मध्यप्रदेश।

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म नीमच पेट्रोल घम्प, स्थान महू रोड, नीमच (म. प्र.) में दिनांक 04 जून, 2011 को नवीन भागीदार श्री संश्रय शर्मा पुत्र श्री यशपाल शर्मा, निवासी नीमच इस फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। सर्व जन सूचित हों।

(321-बी.)

फर्म नीमच पेट्रोल घम्प,
नासिर हुसैन,
(भागीदार)
महू रोड, नीमच (म. प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार श्री सोहन लाल पारीख पिता श्री हुकुमचंद पारीख दिनांक 01 अप्रैल, 1968 से एवं विजय कुमार पिता श्री धूलचंद पारीख दिनांक 01 जनवरी, 1970 से (दोनों निवासी—34/2, न्यू पलासिया, इन्दौर) एवं श्रीमती सीमा पति श्री मनोज कुमार बड़जात्या एवं गौतम पिता श्री प्रकाशचन्द बड़जात्या (दोनों निवासी—146, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर) दिनांक 01 अप्रैल, 1990, मैसर्स धनलक्ष्मी केमिकल इंडस्ट्रीज, इन्दौर (पता—1. परदेशीपुरा, इन्दौर जिसका रजिस्टर ऑफ फर्म में पंजीयन क्रमांक 172, दिनांक 25 अप्रैल, 1968 है) में भागीदार थे। ये सभी भागीदार 01 अप्रैल, 1993 से उक्त फर्म की भागीदारी से निकल गये थे जिसके साक्ष्य में 01 अप्रैल, 1993 को इन सभी ने निवृत्तीकरण दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए थे। दिनांक 01 अप्रैल, 1993 से उक्त फर्म के किसी भी निर्णय, सम्पत्ति, लेनदार एवं देनादारी में/से हमारे पक्षकारों का कोई लेना/देना नहीं है। यह सूचना दिनांक 01 अप्रैल, 1993 से जो भागीदार थे उन्हें देना थी पर त्रुटिवश उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम सर्व-साधारण को सूचित कर रहे हैं। हम यह भी सूचित कर रहे हैं कि गौतम पिता श्री प्रकाशचन्द बड़जात्या का निधन दिनांक 04 जून, 2009 को हो गया था।

(319-बी.)

कपिल शर्मा,
(हाईकोर्ट एडवोकेट)
10, नन्दलालपुरा, इन्दौर (म.प्र.).



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2015-भाद्र 6, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 24 अगस्त, 2015

प्रारूप पन्डह

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र. 225.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन्-1973 (क्रमांक 23 सन्-1973) को धारा-५० को उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम भंवरासला, भांग्या, कुमेर्डी, शक्करखेड़ी, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर एवं ग्राम कैलोदहाला, तलावली चांदा, लसुड़िया मोरी एवं अंरेडिया तहसील व जिला इन्दौर की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सावधित नगर विकास योजना क्रमांक 177 को उक्त अधिनियम की धारा-५० (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है।

योजना क्रमांक 177 में ग्राम भंवरासला, भांग्या, कुमेर्डी, शक्करखेड़ी, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर एवं ग्राम कैलोदहाला, तलावली चांदा, लसुड़िया मोरी एवं अंरेडिया तहसील व जिला इन्दौर के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित हैं:—

(1) ग्राम भंवरासला, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :—174 पार्ट, 183 पार्ट, 184 पार्ट, 185 पार्ट, 186 पार्ट, 187, 188, 189 पार्ट, 190 पार्ट, 191 पार्ट, 206 पार्ट, 207 पार्ट, 208 पार्ट एवं 215 पार्ट।

(2) ग्राम कुमेर्डी, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :—1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट एवं 7 पार्ट।

(3) ग्राम भांग्या, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :—29 पार्ट, 30, 31 पार्ट, 33 पार्ट, 35 पार्ट, 113 पार्ट, 117 पार्ट, 118, 119 पार्ट, 128 पार्ट, 129, 130, 131, 132, 133, 134 पार्ट, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 पार्ट, 145 पार्ट, 162 पार्ट, 163, 164, 165, 166, 167 पार्ट, 169 पार्ट, 170, 171, 172, 173, 174, 175 पार्ट, 176, 177 पार्ट, 178, 179 पार्ट, 180 पार्ट, 181 पार्ट, 182 पार्ट, 183 पार्ट, 192 पार्ट, 195 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 199 पार्ट, 200, 201 पार्ट, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 पार्ट, 211, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट, 215, 216 पार्ट, 217 पार्ट एवं 218 पार्ट।

412

(4) ग्राम शक्करखेड़ी, तहसील स्थावर, जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 66 पार्ट, 87 पार्ट, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95 पार्ट, 96 पार्ट, 97, 98 पार्ट, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 पार्ट, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 111 पार्ट, 113 पार्ट, 114, 115, 116, 116/145, 117, 118, 119, 120 पार्ट, 121, 122, 123, 124, 125 पार्ट, 126 पार्ट, 127 पार्ट, 128, 129, 130 पार्ट, 131 पार्ट, 137 पार्ट, 138 पार्ट, 139 पार्ट, 140, 141 पार्ट एवं 142 पार्ट.

(5) ग्राम कैलोदहाला तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 109 पार्ट, 166 पार्ट, 194 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 203 पार्ट, 204 पार्ट, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट, 215 पार्ट, 220 पार्ट, 221 पार्ट, 222 पार्ट, 223 पार्ट, 234 पार्ट, 235, 236, 237, 238 पार्ट, 239, 240, 241, 242 पार्ट, 245 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 255, 256, 257 पार्ट, 258, 259, 260, 261, 262 पार्ट, 263 पार्ट, 264 पार्ट, 266 पार्ट, 298 पार्ट, 302 पार्ट, 304 पार्ट, 305, 306, 307, 308, 309 पार्ट, 310 एवं 311 पार्ट.

(6) लसुड़िया-मोरो-तहसील व जिला-इन्दौर के खसरा नम्बर :— 1, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 12 पार्ट, 44 पार्ट, 102 पार्ट, 103, 104, 105, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 108 पार्ट, 111 पार्ट, 124 पार्ट, 125, 126 पार्ट, 127 पार्ट, 207 पार्ट, 208 पार्ट, 209 पार्ट, 210 पार्ट एवं 209/334, 207/338 पार्ट.

(7) ग्राम तलावली चांदा तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 24 पार्ट, 25, 26 पार्ट, 31 पार्ट, 206 पार्ट, 207, 208 पार्ट, 209, 210 पार्ट, 215 पार्ट, 219 पार्ट, 221 पार्ट, 222, 223, 224 पार्ट, 225, 226 पार्ट, 228 पार्ट, 230 पार्ट, 231 पार्ट, 233 पार्ट, 234 पार्ट एवं 236 पार्ट.

(8) ग्राम अरंडिया तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 6 पार्ट, 7 पार्ट, 24 पार्ट, 25 पार्ट, 33 पार्ट, 167 पार्ट, 168 पार्ट, 169 पार्ट, 170 पार्ट, 171 पार्ट, 172, 173, 174, 175, 176 पार्ट, 177, 178 पार्ट, 179 पार्ट, 180, 181 पार्ट, 189 पार्ट, 215 पार्ट, 216 पार्ट एवं 217 पार्ट.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेस्कोर्स रोड, इन्दौर.
2. संस्थुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, इन्दौर नगर नालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना-इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

राकेश सिंह,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(292-बी.)

अन्य सूचनाएं CHANGE OF NAME

To whom it may concern that my name was Sohan Singh Bundela and now I have changed my Name to Soham Bundela. So, I will be known by the new name with immediate effect.

Old Name :

(SOHAN SINGH BUNDELA)

(280-B.)

New Name :

(SOHAM BUNDELA)
251-A, Vaibhav Laxmi Nagar,
Vijay Nagar, Indore(M. P.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धनपत चर्मकार आत्मज श्री प्रेमलाल चर्मकार, निवासी-ग्राम ब्योटार पो. लहरपुर, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में निवास करता हूँ मैं वर्तमान में धनपत चर्मकार के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ तथा मेरे समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्रों में भी यही अंकित है मैं व्यक्तिगत कारणों से अपना उपनाम बदल रहा हूँ जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाशन दिनांक से अब मेरा नाम धनपत चौधरी हो गया है। जिसके पश्चात् भविष्य में गुज्जे धनपत चौधरी के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा एवं साथ ही मैं माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक मध्यप्रदेश से अनुरोध करता हूँ की मेरा समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा उपनाम धनपत चौधरी किया जाए।

पुरना नाम :

(धनपत चर्मकार)

(DHANPAT CHARMKAR)

(281-बी.)

नया नाम :

(धनपत चौधरी)

(DHANPAT CHOUDHARY)

आत्मज-श्री प्रेमलाल चर्मकार
ग्राम-ब्योटार पो. लहरपुर, तहसील जैतहरी,
जिला अनूपपुर (म.प्र.).